स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फरवरी, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2020 अंक - 2

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रावधान है कि प्रत्येक मामले में अपील का अधिकार नहीं है और इसका प्रयोग केवल विधि द्वारा विशेष रूप से उपबंधित मामलों तक ही सीमित है । ऐसे विशेष मामलों में भी इस संहिता के अधीन केवल एक बार अपील किए जाने को अनुज्ञात किया गया है और उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील न्यायालय के विनिश्चय का पुनर्विलोकन अपील द्वारा करने को आमतौर पर अनुज्ञात नहीं किया गया है । अन्याय की संभावना से बचने के लिए ऐसे मामलों में जिनमें अपील का भी अधिकार उपलब्ध न हो वहां इस संहिता के अधीन एक और तरीका विहित किया गया है जिसे पुनरीक्षण कहा जाता है । इस संहिता की धारा 397 से 405, उच्च न्यायालय को प्रदत्त की गई पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में है । उच्च न्यायालय को दी गई पुनरीक्षण की शक्ति बहुत व्यापक है और इसकी प्रकृति पूर्णतया वैवेकिक है । अतः, किसी भी पक्षकार को ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई किए जाने का अधिकार नहीं है । संहिता की धारा 401 का मूल उद्देश्य अपील न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करना है जिसे उन मामलों में कोई अन्याय न हो जिनके संबंध में इस संहिता में अपील का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, इस शक्ति का प्रयोग ऐसे आपवादिक मामलों में ही किया जाना चाहिए जिनमें प्रक्रिया की त्रुटि, विधि की कमी या अधिकारिता के दुरुपयोग को लेकर अन्याय हुआ हो । संहिता की धारा 401(1) के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपील न्यायालय की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसा कि अपील न्यायालय संहिता की धारा 386(क) के अधीन दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में उलट सकता है या पुनः विचारण किए जाने का आदेश भी कर सकता है । उच्च न्यायालय की नियंत्रणकारी शक्ति वैवेकिक है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के हित के लिए किया जाना चाहिए । ऐसी परिस्थितियों की विस्तृत सूची बनाना न तो संभव है और न ही उचित है

जिनमें पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया जाना न्यायोचित कहा जा सके किन्तु किसी प्राइवेट पक्षकार द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किए जाने से संबंधित मानदंड अधिकथित किए गए हैं । कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में यह पाया जाता है कि अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है, तब न्यायालय स्वःप्रेरणा से दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों को भी नोटिस जारी कर सकता है और न्यायालय पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर सकता है । **सनातन सारंगी** बनाम **ओडिशा राज्य** (2020) 1 दा. नि. प. 185 वाला मामला इस स्थिति को भलीभांति स्पष्ट करता है ।

इस अंक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कुंवर पाल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	143
गोविंद एम. एस. और अन्य **बनाम** केरल राज्य	199
दलीप पुनमागर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 268)	
प्रेम बहादुर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	268
रंजीत सिंह **उर्फ** रंजीत **बनाम** बिहार राज्य	243
सनातन सारंगी **बनाम** ओडिशा राज्य	185
सूर्य देव यादव और अन्य **बनाम** बिहार राज्य	211
सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	168

संसद् के अधिनियम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – हत्या – अभियुक्तों द्वारा हत्या के लिए उकसाए जाने का अभिकथन किया जाना – पुरानी शत्रुता का न पाया जाना – मृतक का घटनास्थल पर अचानक पहुंचना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे सह-अभियुक्तों को उकसाए जाने या मृतक के साथ कोई पुरानी शत्रुता होने का पता चलता हो और मृतक घटनास्थल पर अचानक ही पहुंचा है जिससे अभियुक्तों का हत्या कारित करने का आशय साबित नहीं होता है, अतः हत्या के अपराध से की गई दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

सनातन सारंगी बनाम **ओडिशा राज्य** 185

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – मृतक को संविदा के अन्तर्गत कार्य आबंटित किया जाना – आबंटित कार्य छोड़ने से मृतक द्वारा इनकार किए जाने पर अभियुक्तों द्वारा उस पर गोली चलाना – नामित अभियुक्तों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होना – प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य से सभी नामित अभियुक्तों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि होती है और नामित न किए गए सह-अभियुक्त के संबंध में उसकी शिनाख्त को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में केवल नामित अभियुक्त ही हत्या के दोषी हैं और सह-अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

रंजीत सिंह उर्फ **रंजीत** बनाम **बिहार राज्य** 243

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 और 34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27] – हत्या – अभियुक्तों द्वारा हथियारों से लैस होकर मृतक पर हमला करना – मृतक को घसीटते हुए दूर ले जाकर उस पर गोली चलाना – मृतक के पिता, माता और पत्नी की प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षा – विचारण न्यायालय द्वारा दोषासिद्धि और दंडादेश – चुनौती – यद्यपि मृतक का पिता-सूचना देने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित था किन्तु उसके द्वारा घटनास्थल पर किसी अभियुक्त की शनाख्त न की जानी – उसके द्वारा यह कथन किया जाना कि घटनास्थल पर उसके और मृतक के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था – यह कथन अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के संबंध में गंभीर रूप से संदेह उत्पन्न करता है – सूचना देने वाले व्यक्ति के फर्दबयान को लेखबद्ध किए जाने के संबंध में अन्वेषण अधिकारी और सूचना देने वाले व्यक्ति के कथनों में गंभीर विरोधाभास है, अत: अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे मामला स्थापित करने में असफल रहा है और अभियुक्त संदेह के फायदे के हकदार हैं ।

सूर्य देव यादव और अन्य बनाम **बिहार राज्य** 211

– धारा 302 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं है तथा उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

प्रेम बहादुर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 268

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 और 34 – हत्या – आयुध की बरामदगी – अचानक प्रकोपन – जहां मामले में अपराध के आयुध की बरामदगी न हुई हो तथा अचानक प्रकोपन में आकर आवेश की तीव्रता में हमला किए जाने का कोई साक्षी नहीं है तथा मृतक के शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किए जाने का भी साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त-अपीलार्थी दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

प्रेम बहादुर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 268

– धारा 304क – दुर्घटना से मृत्यु – घटनास्थल पर दो पक्षों के बीच तनाव – मृतक का अचानक जीप के सामने आ जाना – उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से वाहन चलाने का साक्ष्य न होना – चालक-अभियुक्त ने सभी छात्रों को जीप में सवार होने के पश्चात् किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जीप चलाई और मृतक अचानक जीप के नीचे आ गया और इस स्थिति में चालक के लिए यह संभव नहीं था कि वह यह सुनिश्चित कराता कि जीप के आस-पास कोई व्यक्ति नहीं है, अतः इस स्थिति में चालक-अभियुक्त की लापरवाही साबित नहीं होती है और वह धारा 304क के अधीन अपराध से दोषमुक्त होने का हकदार है ।

सनातन सारंगी बनाम **ओडिशा राज्य** 185

– धारा 323, 304ख और 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4] – विवाह के पश्चात् पति, सास, ननद और बहनोई द्वारा मृतका से दहेज की मांग – तत्पश्चात् दहेज और संतानहीनता के कारण मृतका की प्रताड़ना और उत्पीड़न – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा मृतका पर तेल छिड़क कर उसे आग लगाया जाना – अस्पताल में मृतका के मृत्युकालिक

पृष्ठ संख्या

कथन को लेखबद्ध किया जाना – उक्त कथन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जाना तथा आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाना – प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाना – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उसकी दोषसिद्धि तथा राज्य द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए अपीलें फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय ने वर्तमान निर्णय द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निपटारा किया – उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहराया जबकि उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दर्शित प्रायश्चित की भावना को विचार में लेते हुए उसके आजीवन कारावास के दंड को कम करके 14 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया ।

कुंवर पाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 143

– धारा 406, 420 और 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 और 154] – छल और आपराधिक न्यास भंग – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडित किया जाना – प्रतिनिधिक दायित्व – कंपनी के निदेशकों द्वारा षड्यंत्र किए जाने का अभिकथन – कंपनी के निदेशकों का प्रतिनिधिक दायित्व तभी बनता है जब कानून में इस संबंध में उपबंध किया गया हो और कंपनी के साथ निदेशकों को अभियुक्त तभी बनाया जा सकता है जब इस संबंध में आपराधिक आशय के साथ उनकी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो और चूंकि कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित अभियुक्त निदेशकों की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है और न ही

पृष्ठ संख्या

उनके द्वारा अपराध कारित किए जाने का अभिकथन किया गया है इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जा सकती है ।

गोविंद एम. एस. और अन्य बनाम **केरल राज्य** 199

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005

– धारा 12, 18, 19, 21 और 22 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के विरुद्ध परिवाद फाइल किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा पति को स्त्रीधन के रूप में 5,00,000/- रुपए का संदाय करने और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रति मास का संदाय करने का अंतरिम निदेश – पति द्वारा सेशन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती – सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि – पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतरिम आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए और एक द्वितीय न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु इस शक्ति का प्रयोग सर्वथा अनुचित है ।

सोम प्रकाश रावत उर्फ **सन्नी और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 168

कुंवर पाल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2011 की दांडिक अपील संख्या 520 इसके साथ 2011 की शासकीय अपील सं. 7242)

तारीख 7 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323, 304ख और 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4] – विवाह के पश्चात् पति, सास, ननद और बहनोई द्वारा मृतका से दहेज की मांग – तत्पश्चात् दहेज और संतानहीनता के कारण मृतका की प्रताड़ना और उत्पीड़न – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा मृतका पर तेल छिड़क कर उसे आग लगाया जाना – अस्पताल में मृतका के मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया जाना – उक्त कथन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जाना तथा आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाना – प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाना – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उसकी दोषसिद्धि तथा राज्य द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए अपीलें फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय ने वर्तमान निर्णय द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निपटारा किया – उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहराया जबकि उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दर्शित प्रायश्चित की भावना को विचार में लेते हुए उसके आजीवन कारावास के दंड को कम करके 14 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया ।

वर्तमान अपील का निपटारा करते हुए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 5 मई, 2004 को उसकी बहिन, अर्थात् श्रीमती पिंकी का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार कुंवर पाल, पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम सैनी, पुलिस थाना इंचौली से हुआ और उक्त विवाह में पर्याप्त दहेज दिया गया था किंतु श्रीमती पिंकी के ससुराल पक्ष वाले विवाह में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने श्रीमती पिंकी पर यह दबाव बनाना आरंभ किया कि वह अपने पिता से एक रंगीन टी.वी., मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद के लिए मांग करे । पिंकी का पति, अर्थात् कुंवर पाल और साथ ही श्रीमती लीलावती, जो ग्राम सैनी के निवासी हैं तथा उसकी ननद, अर्थात् श्रीमती ओमवती और उसका बहनोई, अर्थात् हृदय कुमार, जो वर्तमान में ग्राम सैनी में निवास कर रहे हैं, दहेज के लिए उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे तथा उस पर हमला भी करते थे । पिंकी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपने माता-पिता को अवगत कराया था जिसके उपरांत जानकारी देने वाले व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्यों ने श्रीमती पिंकी के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को संतुष्ट करने की चेष्टा की किंतु वे फिर भी उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे । तारीख 7 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न 10.35 बजे सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने उस पर किरोसीन तेल डालकर उसे आग लगा दी और इस संबंध में ग्राम सैनी के ग्रामीण व्यक्तियों ने फोन द्वारा पिंकी के पिता को सूचना दी थी । तदुपरांत श्रीमती पिंकी के पिता और कुटुंब सदस्य ग्राम सैनी स्थित श्रीमती पिंकी के ससुराल वाले घर पहुंचे तथा उसे चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल प्यारे लाल शर्मा, मेरठ में दाखिल कराया । उक्त अस्पताल के डाक्टर ने उसकी बुरी तरह जली हुई अवस्था को देखकर उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मेरठ को निर्दिष्ट किया और उपचार के दौरान तारीख 8 दिसंबर, 2006 को प्रातः लगभग 4.45 बजे श्रीमती पिंकी का जल जाने के कारण हुई क्षतियों से देहांत हो गया । कुंवर पाल ने अपनी पहली पत्नी श्रीमती अंजू, पुत्री गजराज सिंह, निवासी बुलंदशहर की भी हत्या की थी और इस संबंध में उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन पुलिस थाना इंचौली में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी,

जो अब वर्ष 1997 का दांडिक मामला सं. 172 है । यह तथ्य सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में उसकी बहिन पिंकी के विवाह के पश्चात् आया था । इस प्रकार, उसने यह प्रार्थना की थी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जाए और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए । उक्त लिखित रिपोर्ट के अनुसरण में दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन पुलिस थाना इंचौली, जिला मेरठ के क्रमशः अभियुक्त पति कुंवर पाल, सास श्रीमती लीलावती, ननद ओमवती और बहनोई हृदय कुमार के विरुद्ध तारीख 8 दिसंबर, 2006 को अपराह्न 4.45 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो अब वर्ष 2006 का दांडिक मामला सं. 378 है । अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी और अन्य तीन अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ ने तारीख 16 मार्च, 2007 को अभियुक्त के मामले को विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् श्रीमती लीलावती, श्रीमती ओमवती और हृदय कुमार के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया । राज्य सरकार ने भी विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर शासकीय अपील फाइल की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् श्रीमती लीलावती, श्रीमती ओमवती और हृदय कुमार को पूर्वोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया है, जिसे वर्तमान अपील से संबद्ध किया गया है । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में अभि. सा. 1 पिंटू (सूचना देने वाला व्यक्ति और मृतका का भाई), अभि. सा. 2 महेन्दर सिंह (मृतका का पिता), अभि. सा. 3 कांस्टेबल मारुफ अली, अभि. सा. 4 डा. सतेन्द्र सत्यवीर सव्यसाची, अभि. सा. 5 डा. विक्रम सिंह, वरिष्ठ

विकृति वैज्ञानिक, जिला सरकारी अस्पताल, मेरठ, जिसने मृतका श्रीमती पिंकी के मृत शरीर की शव-परीक्षा की थी, अभि. सा. 6 राकेश कुमार नायब तहसीलदार मेरठ, जिसके पर्यवेक्षणाधीन मृतका का पंचनामा तैयार किया गया, अभि. सा. 7 महेन्दर बहादुर, तहसीलदार, मेरठ, जिसने मृतका श्रीमती पिंकी के मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया, अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार, जिसने मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र दिया था, अभि. सा. 9 राजेश कुमार श्रीवास्तव, सर्किल अधिकारी, जिसने अन्वेषण आरंभ किया तथा अभि. सा. 10 बी. पी. सिंह, सर्किल अधिकारी, जिसने अन्वेषण को समाप्त किया, की परीक्षा की तथा अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने अपने आदेश और निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 304ख के अधीन आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इसके अतिरक्त उसे दंड संहिता की धारा 498क के अधीन तीन वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया और यह आदेश भी किया गया कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर वह छह मास का और कारावास भोगेगा और साथ ही उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर वह एक मास का और कारावास भोगेगा । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2011 की दांडिक अपील सं. 5021 और राज्य ने 2011 की शासकीय अपील सं. 7242 फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान दांडिक अपील के अपीलार्थी कुंवर पाल की ओर से उपस्थित विद्वान् कांउसेल श्री अजय कुमार मिश्रा को सुना तथा शासकीय अपील के अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के लिए उपस्थित होने

वाले विद्वान् काउंसेल श्री अयांक मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान् ए.जी.ए. को भी सुना । जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, चूंकि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों को विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दिए गए आजीवन कारावास के दंड के प्रश्न की सीमा तक ही सीमित रखा इसलिए न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर उसी सीमा तक विचार किया है । पक्षकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि श्रीमती पिंकी का विवाह अपीलार्थी कुंवर पाल के साथ तारीख 7 अप्रैल, 2004 को अनुष्ठापित हुआ था और घटना तारीख 7 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न लगभग 10.35 बजे घटित हुई थी और तारीख 8 दिसंबर, 2006 को प्रातः 4.45 बजे जलने के कारण हुई क्षतियों से उसकी मृत्यु हो गई थी । इससे पूर्व तारीख 7 दिसंबर, 2006 को मेरठ के नायब तहसीलदार अभि. सा. 7 महेन्दर बहादुर द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया गया तथा उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार द्वारा तारीख 7 दिसंबर, 2006 को फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी किए गए थे, प्रथम अपराह्न 6.05 बजे उसके कथन को लेखबद्ध किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात् दूसरा उसी दिन अपराह्न 6.35 बजे जब उसका कथन पूरा हुआ था । मृत्युकालिक कथन को भी अभि. सा. 7 द्वारा प्रदर्श के. ए. 13 के रूप में साबित किया गया है और अभि. सा. 8 द्वारा भी क्रमशः प्रदर्श के. ए. 14 और 15 के रूप में फिटनेस प्रमाणपत्र को साबित किया गया है । मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तर के रूप में है, जिसमें मृतका ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पति कुंवर पाल ने पूर्वाह्न 10 बजे के करीब उस पर किरोसीन तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी जिसके पीछे उसकी दहेज और बालक की मांग थी । उसने यह और कथन किया कि वह घर से बाहर की ओर भागी किंतु न तो कोई उसे बचाने के लिए आगे आया और न ही किसी ने उसे लगी आग को बुझाया और उसके पश्चात् उसके पति ने उसे लगी लाग को बुझाया और वह घटनास्थल से भाग गया । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि

उसकी सास और ससुर घर में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे बाहर गए हुए थे । मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में यह प्रकट नहीं किया गया था कि घटना के दौरान अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार उपस्थित थे । विचारण न्यायालय ने मृतका के मृत्युकालिक कथन पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी कुंवर पाल को प्रश्नगत अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया और उसे दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आजीवन कारावास का दंड दिया था जबकि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि घटना की तारीख और समय पर अपीलार्थी कुंवर पाल के सिवाय किसी अन्य अभियुक्त की उपस्थिति या घटना में उसके संलिप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । अतः, अपीलार्थी कुंवर पाल द्वारा उसकी पत्नी पर किरोसीन तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले करने का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सुस्थापित है । इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी कुंवर पाल की दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है जिसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा भी कोई आक्षेप अथवा विवाद नहीं किया गया है किंतु उन्होंने दंडादेश के प्रश्न पर विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के संबंध में यह दलील देते हुए आक्षेप किया है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन न्यूनतम 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड को उपबंधित किया गया है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी कुंवर पाल को आजीवन कारावास से दंडित करके गलती की है चूंकि वह 13 वर्ष के कारावास को पूरा करने जा रहा है क्योंकि वह तारीख 31 दिसंबर, 2006 से ही कारावास में है, इसलिए उसके दंडादेश को उसके द्वारा पहले से पूरी की गई कारावास की अवधि तक कम कर दिया जाए और इस प्रकार आजीवन कारावास के दंडादेश को अपास्त किया जाए तथा तद्नुसार उसे निर्मुक्त किया जाए । दूसरी ओर यद्यपि विद्वान् ए.जी.ए. ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के दंडादेश के प्रश्न के संबंध

में दी गई दलील का विरोध किया है किंतु वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि मृतका के मृत्युकालिक कथन के अनुसार यह अत्यंत स्पष्ट है कि यद्यपि अपीलार्थी कुंवर पाल ने दहेज और बालक की मांग के चलते मृतका को आग के हवाले कर दिया था और जब मृतका घर से बाहर की ओर भागी तो कोई भी व्यक्ति उसे बचाने या उसकी आग को बुझाने के लिए आगे नहीं आया और फिर उसके पति कुंवर पाल ने उसके शरीर पर लगी आग को बुझाया और तत्पश्चात् वह घटनास्थल से भाग गया । विद्वान् ए.जी.ए. ने यह और उल्लेख किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कुंवर पाल ने दहेज की मांग के कारण पूर्व में वर्ष 1997 में अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी जिसके लिए उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया गया था इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास का दंड देते समय इस तथ्य पर भी विचार किया था जिसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उक्त मामले में विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त किया था । मृतका के मृत्युकालिक कथन में अपीलार्थी कुंवर पाल द्वारा पूर्व में मृतका को आग लगाए जाने के संबंध में दो परिस्थितियों को प्रमुख रूप से उल्लिखित किया गया है कि मृतका को उसके पति द्वारा दहेज और बालक की मांग के कारण जलाया गया जो यह दर्शित करता है कि मृतका संतानहीन थी और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी कुंवर पाल ने भावावेश में मृतका को आग लगा दी थी किंतु अपीलार्थी कुंवर पाल ने ही मृतका के शरीर से आग को बुझाया था जिससे यह दर्शित होता है कि उसे अपनी गलती को महसूस करने की चेष्टा की और आग बुझाने के पश्चात् वह वहां से भाग गया । अपीलार्थी कुंवर पाल का यह व्यवहार यह दर्शित करता है कि घटना भवावेश में घटित हुई थी और विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी कुंवर पाल को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना अत्यधिक कठोर है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को मान्य ठहराते हुए और मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारी सुविचारित राय है कि न्याय की मांग यह है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी कुंवर पाल के दंडादेश को उपांतरित किया जाए और आजीवन कारावास को घटाकर 14 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाए और इसलिए धारा 304ख के अधीन आजीवन कारावास के दंड को तद्नुसार 14 वर्ष के कठोर कारावास में उपांतरित किया जाता है । जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद ओमवती और बहनोई हृदय कुमार की दोषमुक्ति के विरुद्ध फाइल की गई पूर्वोक्त शासकीय अपील में विद्वान् ए.जी.ए की उक्त दोषमुक्ति के संबंध में दी गई दलील का संबंध है, उसमें कोई बल नहीं है क्योंकि मृत्युकालिक कथन से यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों अभियुक्त-प्रत्यर्थी घटना की तारीख, समय और स्थल पर मौजूद नहीं थे और मृतका ने केवल अपने पति पर ही उसे जलाने का आरोप लगाया है तथा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का यह साक्ष्य कि मृतका ने उन्हें यह जानकारी दी थी कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने उसे मिलकर आग लगाई है, मृतका के मृत्युकालिक कथन से मिथ्या साबित हो जाता है । विद्वान् ए.जी.ए इस तथ्य को भी मिथ्या साबित नहीं कर सके कि पति कुंवर पाल, जिसके द्वारा मृतका को जलाए जाने का आरोप मृत्युकालिक कथन में उल्लिखित है, के सिवाय अन्य अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और इसलिए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए इस तर्क कि विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश उक्त प्रत्यर्थियों के संबंध में किसी अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है, में गुण है और हमें विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति उचित प्रतीत होती है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी कुंवर पाल के संबंध में अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् मृतका की क्रमशः सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार से संबंधित शासकीय अपील को खारिज किया जाता है । (पैरा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील संख्या 520 इसके साथ 2011 की शासकीय अपील सं. 7242.

2007 के सेशन विचारण सं. 346 में अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 11 द्वारा पारित तारीख 12 अगस्त, 2011 के निर्णय के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अभिताभ कुमार तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, अमित राणा, लोकेश कुमार मिश्रा और नूर मोहम्मद

प्रत्यर्थी की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – वर्तमान दांडिक अपील वर्ष 2007 के सेशन विचारण सं. 346 (राज्य बनाम कुवर पाल सिंह और अन्य) में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 11 द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2011 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी कुंवर पाल सिंह द्वारा फाइल की गई है । उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया गया और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 304ख के अधीन आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इसके अतिरक्त उसे दंड संहिता की धारा 498क के अधीन तीन वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया और यह आदेश भी किया गया कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर वह छह मास का और कारावास भोगेगा और साथ ही उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर वह एक मास का और कारावास भोगेगा । यह आदेश किया गया है कि ये सभी दंड एक साथ चलेंगे ।

2. राज्य सरकार ने भी विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से

व्यथित होकर शासकीय अपील फाइल की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् श्रीमती लीलावती, श्रीमती ओमवती और हृदय कुमार को पूर्वोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया है, जिसे वर्तमान अपील से संबद्ध किया गया है ।

3. अभियोजन का पक्षकथन, जिसे परिवादी पिन्टू पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम खनौदा, पुलिस थाना देवराला, जिला मेरठ द्वारा फाइल की गई लिखित रिपोर्ट में अधिकथित किया है, यह है कि तारीख 5 मई, 2004 को उसकी बहिन, अर्थात् श्रीमती पिंकी का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार कुंवर पाल, पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम सैनी, पुलिस थाना इंचौली से हुआ और उक्त विवाह में पर्याप्त दहेज दिया गया था किंतु श्रीमती पिंकी के ससुराल पक्ष वाले विवाह में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने श्रीमती पिंकी पर यह दबाव बनाना आरंभ किया कि वह अपने पिता से एक रंगीन टी.वी., मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद के लिए मांग करे । पिंकी का पति, अर्थात् कुंवर पाल और साथ ही श्रीमती लीलावती, जो ग्राम सैनी के निवासी हैं तथा उसकी ननद, अर्थात् श्रीमती ओमवती और उसका बहनोई, अर्थात् हृदय कुमार, जो वर्तमान में ग्राम सैनी में निवास कर रहे हैं, दहेज के लिए उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे तथा उस पर हमला भी करते थे । पिंकी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपने माता-पिता को अवगत कराया था जिसके उपरांत जानकारी देने वाले व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्यों ने श्रीमती पिंकी के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को संतुष्ट करने की चेष्टा की किंतु वे फिर भी उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे । तारीख 7 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न 10.35 बजे सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने उस पर किरोसीन तेल डालकर उसे आग लगा दी और इस संबंध में ग्राम सैनी के ग्रामीण व्यक्तियों ने फोन द्वारा पिंकी के पिता को सूचना दी थी । तदुपरांत श्रीमती पिंकी के पिता और कुटुंब सदस्य ग्राम सैनी स्थित श्रीमती पिंकी के ससुराल वाले घर पहुंचे तथा उसे चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल प्यारे लाल शर्मा, मेरठ में दाखिल कराया । उक्त अस्पताल के डाक्टर ने उसकी बुरी तरह जली हुई अवस्था को देखकर उसे आयुर्विज्ञान

महाविद्यालय, मेरठ को निर्दिष्ट किया और उपचार के दौरान तारीख 8 दिसंबर, 2006 को प्रातः लगभग 4.45 बजे श्रीमती पिंकी का जल जाने के कारण हुई क्षतियों से देहांत हो गया । कुंवर पाल ने अपनी पहली पत्नी श्रीमती अंजू, पुत्री गजराज सिंह, निवासी बुलंदशहर की भी हत्या की थी और इस संबंध में उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन पुलिस थाना इंचौली में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जो अब वर्ष 1997 का दांडिक मामला सं. 172 है । यह तथ्य सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में उसकी बहिन पिंकी के विवाह के पश्चात् आया था । इस प्रकार, उसने यह प्रार्थना की थी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जाए और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए ।

4. उक्त लिखित रिपोर्ट के अनुसरण में दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन पुलिस थाना इंचौली, जिला मेरठ के क्रमशः अभियुक्त पति कुंवर पाल, सास श्रीमती लीलावती, ननद ओमवती और बहनोई हृदय कुमार के विरुद्ध तारीख 8 दिसंबर, 2006 को अपराह्न 4.45 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो अब वर्ष 2006 का दांडिक मामला सं. 378 है ।

5. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी और अन्य तीन अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ ने तारीख 16 मार्च, 2007 को अभियुक्त के मामले को विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया ।

6. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् श्रीमती लीलावती, श्रीमती ओमवती और हृदय कुमार के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 323, 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में अभि. सा. 1 पिंटू (सूचना देने वाला व्यक्ति और मृतका का भाई), अभि. सा. 2 महेन्दर सिंह (मृतका का पिता), अभि. सा. 3 कांस्टेबल मारुफ अली, अभि. सा. 4 डा. सतेन्द्र सत्यवीर सव्यसाची, अभि. सा. 5 डा. विक्रम सिंह, वरिष्ठ विकृति वैज्ञानिक, जिला सरकारी अस्पताल, मेरठ, जिसने मृतका श्रीमती पिंकी के मृत शरीर की शव-परीक्षा की थी, अभि. सा. 6 राकेश कुमार नायब तहसीलदार मेरठ, जिसके पर्यवेक्षणाधीन मृतका का पंचनामा तैयार किया गया, अभि. सा. 7 महेन्दर बहादुर, तहसीलदार, मेरठ, जिसने मृतका श्रीमती पिंकी के मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया, अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार, जिसने मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र दिया था, अभि. सा. 9 राजेश कुमार श्रीवास्तव, सर्किल अधिकारी, जिसने अन्वेषण आरंभ किया तथा अभि. सा. 10 बी. पी. सिंह, सर्किल अधिकारी, जिसने अन्वेषण को समाप्त किया, की परीक्षा की तथा अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन लेखबद्ध किए गए और अभियुक्तों ने अपने कथनों में यह कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी रंगीन टी. वी., मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए की मांग नहीं की तथा उन्होंने आगे यह और कथन किया कि उन्होंने मृतका श्रीमती पिंकी की हत्या नहीं की है और किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों की सलाह पर उनके विरुद्ध एक मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की गई है । अभियुक्त-व्यक्तियों ने यह भी कथन किया कि चूंकि मृतका श्रीमती पिंकी अपना कथन देने की स्थिति में नहीं थी इसलिए मृतका श्रीमती पिंकी का एक मिथ्या मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने उनके विरुद्ध एक गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । प्रारंभ में अभियुक्त-व्यक्तियों ने अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का आशय दर्शित किया था किंतु तारीख 8 जून, 2011 को उन्होंने यह कथन किया कि वे अपनी ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके ।

9. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी कुंवर पाल को दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए और दंडादिष्ट किया जाए, जबकि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार को दोषमुक्त कर दिया ।

10. अपीलार्थी-अभियुक्त कुंवर पाल सिंह ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की तथा राज्य सरकार ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् मृतका श्रीमती पिंकी की क्रमशः सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनाई हृदय कुमार की दोषमुक्ति के विरुद्ध शासकीय अपील फाइल की । इस प्रकार दोनों अपीलें एक ही निर्णय और आदेश के विरुद्ध उद्भूत हुई हैं और इसलिए इन दोनों का विनिश्चय इस एक समान निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी कुंवर पाल की ओर से अपील पर मुख्यतः दंडादेश के प्रश्न पर दलीलें प्रस्तुत की । उन्होंने यह निवेदन किया कि कुंवर पाल सिंह, जो मृतका का पति है, तारीख 31 दिसंबर, 2006 अर्थात् लगभग 13 वर्ष से कारागार में है । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन न्यूनतम दंड 7 वर्ष है और विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को लेखबद्ध करके तथा उसे आजीवन कारावास का अधिकतम अवधि का कारावास का दंड देकर गलती की है, जो अत्यधिक कठोर है और उसने पहले ही दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए लगभग 13 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया है इसलिए पहले से पूरी की गई कारावास की अवधि को पूरा दंड मानकर उसे निर्मुक्त कर दिया जाए ।

12. उन्होंने आगे यह और निवेदन किया है कि यदि मृतका के मृत्युकालिक कथन पर विश्वास भी कर लिया जाए तब भी उसके परिशीलन मात्र से ही यह दर्शित होता है कि चूंकि मृतका संतानहीन थी

इसलिए मृतका और अपीलार्थी के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था । घटना के समय मृतका और अपीलार्थी के विवाह को दो वर्ष हो चुके थे और संतानहीनता की कुंठा के कारण मृतका ने स्वयं ही अग्निदाह कर लिया था यद्यपि मृतका द्वारा यह कथन किया गया है कि दहेज और बालक की मांग के चलते उसे उसके पति कुंवर पाल ने आग लगाई थी ।

13. उन्होंने न्यायालय का ध्यान एक अन्य तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि यद्यपि अपीलार्थी कुंवर पाल ने ही उस पर किरोसीन तेल डालकर उसे आग लगाई थी और उसके पश्चात् वह घर से बाहर की ओर भागी थी, किंतु कोई भी व्यक्ति उसे बचाने या उसे लगाई गई आग को बुझाने के लिए आगे नहीं आया था और फिर अपीलार्थी कुंवर पाल ने स्वयं ही उस आग को बुझाया था और उसके पश्चात् वह घटनास्थल से भाग गया था । इस प्रकार उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि मृतका के मृत्युकालिक कथन को सत्य भी मान लिया जाए तो भी अपीलार्थी द्वारा स्वयं मृतका को लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया था और चूंकि उसने पहले ही लगभग 13 वर्ष के कारावास को पूरा कर लिया है इसलिए उसके दंडादेश को उसके द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि तक कम कर दिया जाए तथा आजीवन कारावास के दंडादेश को अपास्त कर दिया जाए ।

14. जहां तक अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 अर्थात् मृतका श्रीमती पिंकी की क्रमशः सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार की विचारण न्यायालय द्वारा आरोपों से दोषमुक्ति के संबंध में, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त अपील फाइल की गई है, दी गई दलील का संबंध है उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतका के मृत्युकालिक कथन के अनुसार घटना की तारीख और समय पर मृतका की सास उपस्थित नहीं थी क्योंकि वह घर से बाहर थी । जहां तक ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार का संबंध है, मृत्युकालिक कथन में उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है अतः उन्हें वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 पिंटू और अभि. सा. 2 महेन्द्र, जो मृतका के क्रमशः भाई और पिता है, द्वारा अभियुक्त के रूप में मिथ्या फंसाया गया है । अभि. सा. 1 और अभि.

सा. 2 ने उक्त अभियुक्तों के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में जानकारी दी थी, जिसका आधार यह था कि मृतका ने अभि. सा. 1 को यह जानकारी दी थी कि उक्त अभियुक्तों ने अपराध में भाग लिया था, जो अब मिथ्या सिद्ध हो गया है । इस प्रकार उन्होंने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की दोषमुक्ति ऐसे किसी अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है, जिसमें इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित हो और यह प्रार्थना की कि शासकीय अपील को खारिज किया जाए ।

15. इसके विपरीत दूसरी ओर विद्वान् ए. जी. ए. ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश से संबंधित दलीलों का कड़ा विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 7 महेन्द्र बहादुर, तहसीलदार द्वारा लेखबद्ध मृतका के मृत्युकालिक कथन और अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार द्वारा दिए गए फिटनेस प्रमाणपत्र को विचार में लेते हुए तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सही रूप से अपीलार्थी कुंवर पाल को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराया है और आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया है और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मृतका का मृत्युकालिक कथन विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि अपीलार्थी कुंवर पाल ने ही मृतका पर किरोसीन तेल छिड़क कर उसे आग लगाई थी और वह घटना स्थल से भाग भी गया था और मृतका को उसके पिता द्वारा अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो आसपास के ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

16. उन्होंने आगे यह और निवेदन किया कि मृतका का अपीलार्थी से विवाह घटना से दो वर्ष पूर्व अर्थात् तारीख 7 अप्रैल, 2004 को हुआ था जबकि यह घटना तारीख 7 दिसंबर, 2006 को हुई थी जब मृतका के साथ दहेज की मांग के कारण क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था और अगले ही दिन अर्थात् तारीख 8 दिसंबर, 2006 को पीड़िता की उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अतः विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी

को सही रूप से दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन सिद्धदोष ठहराया है और आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया है ।

17. जहां तक प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् मृतका की सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार को दोषमुक्ति का संबंध है, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई शासकीय अपील द्वारा चुनौती दी गई है, उन्होंने यह दलील दी है कि क्रमशः अभि. सा. 1 पिंटू (मृतका का भाई) और अभि. सा. 2 महेन्दर (मृतका का पिता) के कथन यह दर्शित करते हैं कि विवाह के तुरंत पश्चात् मृतका का दहेज के रूप में रंगीन टी. वी., मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद की मांग को लेकर उत्पीड़न किया गया, उसे पीटा गया तथा प्रताड़ित किया गया, जिसके संबंध में उसने अपने पिता को बताया था ।

18. उन्होंने यह और निवेदन किया कि जब ग्रामीणों से घटना की सूचना पाकर अभि. सा. 1 अपने पिता अभि. सा. 2 के साथ मृतका के ससुराल वाले घर में पहुंचा था तो उक्त अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 ने मृतका के पति कुंवर पाल के साथ मिलकर मृतका को मृत्यु के मुख तक पहुंचा दिया था इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषमुक्ति गलत प्रतीत होती है और उसे अपास्त किया जाए तथा उन्हें सिद्धदोष ठहराया जाए ।

19. पूर्वोक्त दो अपीलों में पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार किया जाए ।

20. अभि. सा. 1 पिंटू, जो मृतका का भाई है और इस मामले का शिकायतकर्ता है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अभियोजन के उस पक्षकथन को दोहराया है, जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथित किया गया है । उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसकी बहिन का विवाह तारीख 7 अप्रैल 2004 को अभियुक्त कुंवर पाल के साथ अनुष्ठापित हुआ था किंतु विवाह के पश्चात् से ही अभियुक्त उसकी बहिन को प्रताड़ित कर रहा था और

मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी. तथा 50,000/- रुपए नकद की मांग कर रहा था और जब उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो उन्होंने तारीख 7 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न 10.35 बजे मृतका श्रीमती पिंकी पर किरोसीन तेल छिड़कर कर उसे आग लगा दी । यह सूचना प्राप्त होने पर वह अपनी बहिन के ससुराल वाले घर पहुंचा जहां उसने अपनी बहिन को जली हुई दशा में पाया जिसने उसे यह बताया कि अभियुक्त-व्यक्तियों ने उसे आग लगाकर इस मरणासन्न दशा में पहुंचाया था । मृतका को तुरंत प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल, मेरठ ले जाकर भर्ती किया गया किंतु चूंकि उसकी दशा काफी गंभीर थी इसलिए उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मेरठ को निर्दिष्ट किया गया जहां तारीख 8 दिसंबर, 2006 को अपराह्न 4.45 बजे उसकी मृत्यु हो गई । पिंटू ने यह साबित किया कि उसके द्वारा पुलिस थाना इंचौली, जिला मेरठ में लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसे प्रदर्श के. ए. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

21. अभि. सा. 2 महेन्दर सिंह, जो मृतका का पिता है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि श्रीमती पिंकी उसकी बड़ी पुत्री थी और उसका विवाह तारीख 7 अप्रैल, 2004 को अभियुक्त कुंवर पाल के साथ अनुष्ठापित हुआ था किंतु विवाह के तुरंत पश्चात् से ही मृतका श्रीमती पिंकी का क्रमशः पति कुंवर पाल, सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार, उसके द्वारा दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं थे और वे दहेज के रूप में रंगीन टी. वी., मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपए नकद की मांग कर रहे थे और इसके लिए वे निरंतर उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे और यातना दे रहे थे । उसने यह कथन किया कि उसे टेलीफोन से यह संदेश प्राप्त हुआ था कि अभियुक्तों ने उसकी पुत्री श्रीमती पिंकी को जला दिया है और जब वह अभियुक्त के घर पहुंचा तो उसने वहां अपनी पुत्री को जली हुई अवस्था में फर्श पर पड़ा पाया और उसकी पुत्री ने उसे यह सूचित किया कि उसे सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने मिलकर जलाया था । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि श्रीमती पिंकी को जिला सरकारी अस्पताल, मेरठ में भर्ती किया गया और उसके पश्चात् उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को

निर्दिष्ट किया गया जहां उपचार के दौरान अगली प्रातः जलने के कारण हुई क्षतियों से उसकी मृत्यु हो गई किंतु उससे पूर्व अभि. सा. 8 नायब तहसीलदार द्वारा उसका मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध कर लिया गया था ।

22. अभि. सा. 3 कांस्टेबल मारुफ अली एक औपचारिक साक्षी है, जिसने यह साबित किया कि घटना के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और ससुंगत जी. डी. दर्ज की गई थी, जिन्हें प्रदर्श के. ए. 2 और 3 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

23. अभि. सा. 4 डा. सतेन्द्र सत्यवीर सव्यसाची ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने तारीख 7 दिसंबर, 2006 को जिला अस्पताल मेरठ में अपराह्न लगभग 2.10 बजे कुंवर पाल की पत्नी मृतका श्रीमती पिंकी की परीक्षा की थी और यह पाया था कि उसका शरीर लगभग 60-70% जल चुका था और उसने इस प्रकार क्षति रिपोर्ट को साबित किया जिसे प्रदर्श के. ए. 4 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई :-

> "पूर्ण शरीर पर सतही से गहरे जलने के घाव, अनेक स्थानों पर त्वचा का शरीर से अलग हो जाना । चेहरे के दाहिने भाग, दाहिनी जंघा, हाथ के मध्य भाग, बाईं जंघा, दोनों टांगों के मध्य और निचले भाग तथा दोनों पैरों और दोनों तलवों को छोड़कर पूर्ण शरीर जला हुआ है ।"

24. उसने यह भी कथन किया कि उसने मृतका के शरीर से किरोसीन तेल की महक महसूस की थी और उसने क्षति रिपोर्ट को भी साबित किया ।

25. अभि. सा. 5 डा. विक्रम सिंह, वरिष्ठ विकृति वैज्ञानिक, जो पी. एल. शर्मा अस्पताल, मेरठ में तैनात है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने तारीख 8 दिसंबर, 2006 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे मृतका श्रीमती पिंकी के मृत शरीर की शव-परीक्षा की और यह साबित किया कि वह प्रदर्श के. ए. 5 के रूप में अभिलेख पर विद्यमान है और यह कथन किया कि मृतका की मृत्यु उसके शरीर के 80 प्रतिशत तक सतही रूप से जल जाने के कारण हुई

है और उसने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व जलने की क्षतियां पाईं :-

1. आधे मुख, दाएं और बाएं नितम्ब, नाभि, दाईं ओर की जंघा पार्श्विक पक्ष, और दाएं घुटने, दाईं टांग, बाईं जंघा पिछला भाग पार्श्विक पक्ष, बाएं घुटने का जोड़, बाईं टांग, दाएं तलवे, पीठ के निचले हिस्से को छोड़कर पूरा शरीर शल्य पट्टी से ढका है ।

2. क्षति सं. 1 को छोड़कर पूर्ण शरीर पर सतही से गहरे जलने (80 प्रतिशत) के निशान, -

जलने के घावों के किनारे पर त्वचा पर लाल रेखा विद्यमान है ।

छोटे-छोटे फफोले (छाले) विद्यमान हैं ।

खोपड़ी के बालों और बरौनी का झुलसना विद्यमान है।

डाक्टर की राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने की क्षतियों के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है ।

26. अभि. सा. 6 राकेश कुमार ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 8 दिसंबर, 2006 को वह जिला मेरठ में नायब तहसीलदार के रूप में तैनात था और मृतका की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट उसके पर्यवेक्षण में तैयार की गई और उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट उससे संबंधित जी. डी. की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखे पत्र, आर. आई. को लिखे पत्र, फोटोलेश, प्ररूप सं. 77, नमूना सील को साबित किया है, जिन्हें प्रदर्श के. ए. 6 से के. ए. 12 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

27. अभि. सा. 7 महेन्दर बहादुर ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तारीख 7 दिसंबर, 2006 को नायब तहसीलदार, मेरठ के रूप में तैनात था और उसने आगे यह और कथन किया कि वह सूचना प्राप्त होने पर श्रीमती पिंकी के मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध करने के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मेरठ पहुंचा था और वहां पहुंचकर उसने यह पाया कि वह होश में थी और वह अपना

कथन लेखबद्ध कराने की स्थिति में थी और अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार ने भी उसकी मानसिक फिटनेस को प्रमाणित किया था और उसके पश्चात् उसने तारीख 7 दिसंबर, 2006 को अपराह्न 6.05 बजे से 6.35 बजे के बीच उसका मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया और उसने उक्त मृत्युकालिक कथन को साबित किया जिसे प्रदर्श के. ए. 13 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

28. अभि. सा. 8 डा. अजीत ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तारीख 7 दिसंबर, 2006 को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में आपातकाल ड्यूटी पर तैनात था और तहसीलदार महेन्दर बहादुर (अभि. सा. 7) श्रीमती पिंकी के कथन को लेखबद्ध करने के लिए अस्पताल आया था जब वह जली हुई स्थिति में अस्पताल में भर्ती थी और उसने आगे यह और कथन किया कि उसने यह प्रमाणपत्र दिया कि वह अपना कथन लेखबद्ध कराने की स्थिति में है और तदुपरांत अपराह्न 6.05 बजे से 6.35 बजे के बीच उसका कथन लेखबद्ध किया गया और जिस समय उसका कथन समाप्त हुआ तो उसने पुनः उसकी मानसिक फिटनेस के संबंध में प्रमाणपत्र दिया जो उस समय उत्तम थी । इस प्रकार उसने मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में तारीख 7 दिसंबर, 2006 को दिए गए दोनों प्रमाणपत्रों को साबित किया है जिनमें से पहला अपराह्न लगभग 6.05 बजे कथन आरंभ होने से पूर्व और दूसरा अपराह्न लगभग 6.35 बजे उसका कथन पूरा होने के पश्चात् दिया गया और जिन्हें प्रदर्श के. ए. 14 और 15 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

29. अभि. सा. 9 राजेश कुमार श्रीवास्तव सर्किल अधिकारी जिसकी परीक्षा विचारण न्यायालय द्वारा की गई थी, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तारीख 8 दिसंबर 2006 को सर्किल अधिकारी, देवराला के रूप में तैनात था और उसने वर्तमान मामले का अन्वेषण स्वीकार किया था और इसके दौरान उसने इस मामले की सूचना देने वाले व्यक्ति, अर्थात् अभि. सा. 1 पिंटू की परीक्षा की थी और उसने विवाह का निमंत्रण-पत्र (वह निमंत्रण-पत्र जिसमें तारीख 7 अप्रैल, 2004 को श्रीमती पिंकी के

अभियुक्त कुंवर पाल के साथ विवाह से संबंधित कार्यक्रमों का विवरण है) को साबित किया है, जिसे प्रदर्श के. ए. 16 के रूप में चिह्नित किया गया है । इसके अतिरिक्त उसने स्थल-नक्शे को भी साबित किया है, जो प्रदर्श के. ए. 17 के रूप में चिह्नित है और उसने उस स्थान को भी दर्शित किया है, जहां मृतका को अभियुक्त के घर में जली हुई अवस्था में पाया गया था । उसने उस स्थान के फर्श के टुकड़ों, घटनास्थल से संबंधित ज्ञापन तथा अभियुक्त के घर के ताले को खोलने बंद करने संबंधी ज्ञापन को भी साबित किया है, जिन्हें के. ए. 18 और 19 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

30. अभि. सा. 10 बी. पी. सिंह ने भी, जो मामले का दूसरा अन्वेषण अधिकारी है, विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 23 दिसंबर, 2006 को सर्किल अधिकारी, देवराला के रूप में तैनात था और उसने पूर्व सर्किल अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के स्थानांतरण के पश्चात् इस मामले के अन्वेषण को स्वीकार किया था । उसने अन्वेषण को पूरा किया और अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसे साबित किया जो प्रदर्श के. ए. 20 के रूप में चिह्नित है ।

31. वर्तमान दांडिक अपील के अपीलार्थी कुंवर पाल की ओर से उपस्थित विद्वान् कांउसेल श्री अजय कुमार मिश्रा को सुना तथा शासकीय अपील के अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अयांक मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान् ए.जी.ए. को भी सुना ।

32. जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, चूंकि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों को विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दिए गए आजीवन कारावास के दंड के प्रश्न की सीमा तक ही सीमित रखा इसलिए न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर उसी सीमा तक विचार किया है ।

33. पक्षकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि श्रीमती पिंकी का विवाह अपीलार्थी कुंवर पाल के साथ तारीख 7 अप्रैल, 2004 को अनुष्ठापित हुआ था और घटना तारीख 7 दिसंबर, 2006 को पूर्वाह्न लगभग 10.35 बजे घटित हुई थी और तारीख 8 दिसंबर, 2006 को प्रातः 4.45 बजे जलने के कारण हुई क्षतियों से उसकी मृत्यु हो गई थी । इससे पूर्व तारीख 7 दिसंबर, 2006 को मेरठ के नायब तहसीलदार अभि. सा. 7 महेन्दर बहादुर द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया गया तथा उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में अभि. सा. 8 डा. अजीत कुमार द्वारा तारीख 7 दिसंबर, 2006 को फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी किए गए थे, प्रथम अपराह्न 6.05 बजे उसके कथन को लेखबद्ध किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात् दूसरा उसी दिन अपराह्न 6.35 बजे जब उसका कथन पूरा हुआ था । मृत्युकालिक कथन को भी अभि. सा. 7 द्वारा प्रदर्श के. ए. 13 के रूप में साबित किया गया है और अभि. सा. 8 द्वारा भी क्रमशः प्रदर्श के. ए. 14 और 15 के रूप में फिटनेस प्रमाणपत्र को साबित किया गया है ।

34. मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तर के रूप में है, जिसमें मृतका ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पति कुंवर पाल ने पूर्वाह्न 10 बजे के करीब उस पर किरोसीन तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी जिसके पीछे उसकी दहेज और बालक की मांग थी । उसने यह और कथन किया कि वह घर से बाहर की ओर भागी किंतु न तो कोई उसे बचाने के लिए आगे आया और न ही किसी ने उसे लगी आग को बुझाया और उसके पश्चात् उसके पति ने उसे लगी लाग को बुझाया और वह घटनास्थल से भाग गया । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी सास और ससुर घर में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे बाहर गए हुए थे । मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में यह प्रकट नहीं किया गया था कि घटना के दौरान अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार उपस्थित थे ।

35. विचारण न्यायालय ने मृतका के मृत्युकालिक कथन पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी कुंवर पाल को प्रश्नगत अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया और उसे दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन

आजीवन कारावास का दंड दिया था जबकि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि घटना की तारीख और समय पर अपीलार्थी कुंवर पाल के सिवाय किसी अन्य अभियुक्त की उपस्थिति या घटना में उसके संलिप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । अतः, अपीलार्थी कुंवर पाल द्वारा उसकी पत्नी पर किरोसीन तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले करने का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सुस्थापित है । इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी कुंवर पाल की दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है जिसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा भी कोई आक्षेप अथवा विवाद नहीं किया गया है किंतु उन्होंने दंडादेश के प्रश्न पर विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के संबंध में यह दलील देते हुए आक्षेप किया है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन न्यूनतम 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड को उपबंधित किया गया है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी कुंवर पाल को आजीवन कारावास से दंडित करके गलती की है चूंकि वह 13 वर्ष के कारावास को पूरा करने जा रहा है क्योंकि वह तारीख 31 दिसंबर, 2006 से ही कारावास में है, इसलिए उसके दंडादेश को उसके द्वारा पहले से पूरी की गई कारावास की अवधि तक कम कर दिया जाए और इस प्रकार आजीवन कारावास के दंडादेश को अपास्त किया जाए तथा तद्नुसार उसे निर्मुक्त किया जाए ।

36. दूसरी ओर यद्यपि विद्वान् ए.जी.ए. ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के दंडादेश के प्रश्न के संबंध में दी गई दलील का विरोध किया है किंतु वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि मृतका के मृत्युकालिक कथन के अनुसार यह अत्यंत स्पष्ट है कि यद्यपि अपीलार्थी कुंवर पाल ने दहेज और बालक की मांग के चलते मृतका को आग के हवाले कर दिया था और जब मृतका घर से बाहर की ओर भागी तो कोई भी व्यक्ति उसे बचाने या उसकी आग को बुझाने के लिए आगे नहीं आया और फिर उसके पति कुंवर पाल ने उसके शरीर पर लगी आग को बुझाया और तत्पश्चात् वह घटनास्थल से भाग गया ।

37. विद्वान् ए.जी.ए. ने यह और उल्लेख किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कुंवर पाल ने दहेज की मांग के कारण पूर्व में वर्ष 1997 में अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी जिसके लिए उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया गया था इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास का दंड देते समय इस तथ्य पर भी विचार किया था जिसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उक्त मामले में विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त किया था ।

38. मृतका के मृत्युकालिक कथन में अपीलार्थी कुंवर पाल द्वारा पूर्व में मृतका को आग लगाए जाने के संबंध में दो परिस्थितियों को प्रमुख रूप से उल्लिखित किया गया है कि मृतका को उसके पति द्वारा दहेज और बालक की मांग के कारण जलाया गया जो यह दर्शित करता है कि मृतका संतानहीन थी और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी कुंवर पाल ने भावावेश में मृतका को आग लगा दी थी किंतु अपीलार्थी कुंवर पाल ने ही मृतका के शरीर से आग को बुझाया था जिससे यह दर्शित होता है कि उसने अपनी गलती को महसूस करने की चेष्टा की और आग बुझाने के पश्चात् वह वहां से भाग गया । अपीलार्थी कुंवर पाल का यह व्यवहार यह दर्शित करता है कि घटना भावावेश में घटित हुई थी और विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी कुंवर पाल को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना अत्यधिक कठोर है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को मान्य ठहराते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारी सुविचारित राय है कि न्याय की मांग यह है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी कुंवर पाल के दंडादेश को उपांतरित किया जाए और आजीवन कारावास को घटाकर 14 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाए और इसलिए धारा 304ख के अधीन आजीवन कारावास के दंड को तद्नुसार 14 वर्ष के कठोर कारावास में उपांतरित किया जाता है ।

39. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् सास श्रीमती लीलावती, ननद ओमवती और बहनोई हृदय कुमार की दोषमुक्ति के विरुद्ध फाइल की गई पूर्वोक्त शासकीय अपील में विद्वान् ए.जी.ए. की उक्त दोषमुक्ति के संबंध में दी गई दलील का संबंध है, उसमें कोई बल नहीं है क्योंकि मृत्युकालिक कथन से यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों अभियुक्त-प्रत्यर्थी घटना की तारीख, समय और स्थल पर मौजूद नहीं थे और मृतका ने केवल अपने पति पर ही उसे जलाने का आरोप लगाया है तथा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का यह साक्ष्य कि मृतका ने उन्हें यह जानकारी दी थी कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने उसे मिलकर आग लगाई है, मृतका के मृत्युकालिक कथन से मिथ्या साबित हो जाता है ।

40. विद्वान् ए.जी.ए. इस तथ्य को भी मिथ्या साबित नहीं कर सके कि पति कुंवर पाल, जिसके द्वारा मृतका को जलाए जाने का आरोप मृत्युकालिक कथन में उल्लिखित है, के सिवाय अन्य अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और इसलिए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए इस तर्क कि विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश उक्त प्रत्यर्थियों के संबंध में किसी अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है, में गुण है और हमें विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति उचित प्रतीत होती है ।

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी कुंवर पाल के संबंध में अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है ।

42. अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, अर्थात् मृतका की क्रमशः सास श्रीमती लीलावती, ननद श्रीमती ओमवती और बहनोई हृदय कुमार से संबंधित शासकीय अपील को खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

(2020) 1 दा. नि. प. 168 इलाहाबाद

सोम प्रकाश रावत उर्फ सन्नी और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 16296 से संबंधित 2016 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 20843)

तारीख 20 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 – धारा 12, 18, 19, 21 और 22 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के विरुद्ध परिवाद फाइल किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा पति को स्त्रीधन के रूप में 5,00,000/- रुपए का संदाय करने और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रति मास का संदाय करने का अंतरिम निदेश – पति द्वारा सेशन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती – सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि – पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतरिम आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए और एक द्वितीय न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु इस शक्ति का प्रयोग सर्वथा अनुचित है ।

वर्तमान आवेदन का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, श्रीमती सरिता और श्री सोम प्रकाश रावत के बीच तारीख 18 नवंबर, 2010 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था, जिसमें श्रीमती सरिता के पिता ने लगभग 7 लाख रुपए का व्यय किया था । किंतु पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे और उनमें शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं हुए ।

इन परिस्थितियों में श्रीमती सरिता ने महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन परिवाद फाइल किया । इसके अतिरिक्त, मध्यकता केन्द्र में भी पति-पत्नी के बीच सुलह संबंधी कार्यवाही चलती रही, जिसके दौरान आवेदक ने सदैव यह आशय दर्शित किया कि वह अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाना चाहता है, जबकि अपने कपटपूर्वक एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करके दूसरा विवाह भी कर लिया, जिससे उसके दो बालक भी हैं । दूसरी ओर विचारण न्यायालय ने श्रीमती सरिता के परिवाद की सुनवाई करते हुए श्री सोम प्रकाश रावत को यह निदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को स्त्रीधन के रूप में 5 लाख रुपए और भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रतिमास का संदाय करे । आवेदक ने उक्त आदेश को सेशन न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने उक्त आदेश की पुष्टि की । तदुपरांत, आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय में वर्तमान आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय निम्नानुसार है । यह स्पष्ट है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि ऐसी महिलाओं को जो उनके कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा का शिकार हैं, संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और साथ ही उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके । यह एक ऐसी सांविधानिक आज्ञा थी जिसे ऐसी महिलाओं के संरक्षण हेतु इस विधान द्वारा पूरा किया गया, जिनके साथ उनके कुटुंब के भीतर क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है । यह अधिनियम इस प्रकार के अन्य अधिनियमों और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रियाओं से भिन्न है । यह एक ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले अन्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है और अपने इस अधिकार के संरक्षण हेतु आवेदक द्वारा यह आवेदन फाइल किया

गया था । स्वीकृत रूप से आवेदक सोम प्रकाश रावत की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और उसके पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका विवाह उसके साथ हुआ था तब वह आगरा विश्वविद्यालय में समूह-4 की नौकरी कर रहा था जिससे यह तात्पर्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय का एक समूह-4 का एक कर्मचारी था और वह अपनी पत्नी का भरणपोषण करने में समर्थ था इसलिए आवेदक ने उससे विवाह किया था । उसके पश्चात् वह एल. जी. सेवा केन्द्र में नौकरी करने लगा किन्तु यह सेवा केन्द्र उसी विपिन कुमार का था, जिसे विवाह के समय 5,00,000/- रुपए का नकद संदाय किया गया था । पति-पत्नी के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे । आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था । उसकी प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने उसके विरुद्ध की गई हिंसा के ब्यौरों को प्रकट किया । इसी संबंध में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने भी रिपोर्ट किया है । शपथ पर यह कथन किया गया है कि दहेज के बदले नकद 5,00,000/- रुपए का संदाय किया गया जिसका उपयोग दहेज और गृहस्थी की अन्य वस्तुओं का क्रय करने के लिए किया गया था । पति ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह एक मोटर साइकिल का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है जिसे उसने विवाह में प्राप्त किया था किन्तु वह यह नहीं बता सका था कि वह मोटर साइकिल कब और कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस मोटर साइकिल के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसे दहेज के रूप में दिया गया था । यह कथन किया गया है कि कुल मिलाकर आवेदक के उपयोग हेतु घरेलू वस्तुओं के क्रय के लिए 5,00,000/- रुपए का नकद संदाय किया गया जो स्त्रीधन के समतुल्य है । अत: विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के अभिसाक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और वह भरणपोषण के लिए हकदार थी जिससे वह उसके समक्ष आई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके जिस संबंध में 5,000/- रुपए प्रतिमास का नियमित संदाय उसे किया जा रहा है जिसे इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है

और जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । पूर्वोक्त अपील, जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित किया गया था और जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लेने हेतु किए गए प्रत्यावर्तन आवेदन को खारिज किया गया था । अत: इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का पति चाहे वह एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत हो या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए का प्रतिमास का नियमित संदाय कर रहा है क्योंकि उसे विधिक रूप से अपनी पत्नी का भरणपोषण करना है । अत: 5,000/- रुपए प्रतिमास की यह अल्प राशि एक वास्तविक राशि थी जिसे न्यायोचित रूप से आवेदक के भरणपोषण हेतु दिए जाने का निदेश दिया गया था और इसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई थी । जहां तक 5,00,000/- रुपए का संबंध है, यह साबित किया गया था कि उसका संदाय आवेदक के माता-पिता द्वारा उसकी घरेलू वस्तुओं के लिए विवाह के समय किया गया था जिसके संबंध में आवेदक के पति और उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया था अत: उक्त रकम को स्त्रीधन के रूप में आवेदक को वापस संदाय किए जाने का निदेश भी सर्वथा उचित और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है । आवास के संबंध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदक का उसके पति के साथ उसके आवास में निवास करना संभव नहीं है क्योंकि वहां वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ रह रहा है और वह एक किराए का आवास है । अत: इस अनुतोष का स्वयं आवेदक द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है और इसलिए उसके संबंध में कोई जोर नहीं दिया गया है, तद्नुसार इस अनुतोष के संबंध में कोई न्यायनिर्णयन आवश्यक नहीं है । मामले से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पति, जिसने एकपक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री प्राप्त कर ली थी, जैसाकि पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है नियमित रूप से मध्यकता केन्द्र के समक्ष उपस्थित हो रहा था और उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि उसने एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है, इसकी बजाय वह अपनी पत्नी को यह आश्वासन देता रहा कि वह उसे वापस अपने घर में

लाना चाहता है । उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया जबकि उसने विवाह-विच्छेद संबंधी वाद फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात् उसने दूसरा विवाह भी कर लिया । अत: अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट और साथ ही अपील न्यायालय का आदेश उपरोक्त तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है और वह विधिक परिप्रेक्ष्य में सही है । (पैरा 4, 5, 6, 7 और 8)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय की ऐसा कोई आदेश करने, जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे, की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करती है । इसका अर्थ यह है कि इस धारा के अधीन अन्तर्निहित अधिकारिता यह उपबंध करती है कि न्यायालय के पास इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है । अत: न्याय के हित को सुरक्षित करने, किसी विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस न्यायालय को इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के साथ यह अन्तर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है । जबकि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, संविधान के अधीन गारंटी किए गए महिलाओं के अधिकारों का ऐसी स्थिति में और अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया एक विशेष अधिनियम है, जहां किसी महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है । इस प्रकार यह एक स्वयं में संपूर्ण संहिता है जिसमें अपील किए जाने की प्रक्रिया और शक्ति को उपबंधित किया गया है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने सम्यक् प्रक्रिया का प्रयोग करने के पश्चात् आक्षेपित

आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील खारिज की गई थी और इस अपील का निपटारा अपील न्यायालय द्वारा सम्यक्त: कर दिया गया था, अत: द्वितीय अपील न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । इस आवेदन में कोई गुणता नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 6 एस. सी. सी. 588 :
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम **गौर शेट्टी महेश जे. टी.** ; 9

[2008] (2008) 8 एस. सी. सी. 781 :
मोनिका कुमार बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 11

[2008] (2008) 1 एस. सी. सी. 474 :
हमीदा बनाम **रशीद** । 10

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 16296 से संबंधित 2016 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 20843.

वर्तमान अपील वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

आवेदकों की ओर से सर्वश्री कमलेश कुमार द्विवेदी और संदीप कुमार केसारी

प्रति पक्षकारों की ओर से ए. जी. ए. श्री पुनीत श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम – वर्तमान आवेदन सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और चार अन्यों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के

अधीन उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यों के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन को मंजूर किया जाए और 2013 के परिवाद मामला सं. 584 (सरिता बनाम सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य) में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 4, अलीगढ़ द्वारा तारीख 16 अप्रैल, 2016 को पारित निर्णय को अभिखंडित किया जाए । उपरोक्त मामला जिला अलीगढ़ के पुलिस थाना ससानी गेट से संबंधित है । जहां सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्यों के विरुद्ध महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12, 18, 19, 21 और 22 के अधीन परिवाद फाइल किया गया था जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा इस मामले से संबंधित वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 (सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में तारीख 24 जून, 2016 को आदेश पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त यह और प्रार्थना की गई है कि इन कार्यवाहियों का निपटारा होने तक उपरोक्त दो आदेशों के प्रभाव को आस्थगित किया जाए ।

2. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पुलिस थाना ससानी गेट, जिला अलीगढ़ में सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी की पत्नी श्रीमती सरिता द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12, 18, 19, 21 और 22 के अधीन एक परिवाद फाइल किया गया जिसके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि श्रीमती सरिता को उसका स्त्रीधन, भरणपोषण और उसके ससुराल वाले घर में उसके पति के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाए । इन दोनों के बीच तारीख 18 नवंबर, 2010 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था और इस विवाह में श्रीमती सरिता के पिता द्वारा 7,00,000/- रुपए का व्यय किया गया था । श्रीमती सरिता के बहनोई विपिन कुमार ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की थी जिन्हें श्रीमती सरिता के माता-पिता द्वारा नकद पैसा देकर आगरा से क्रय किया जाना था । इस सूची में एक डबल बैड, सोफा सैट, एलईडी 32 इंच का टीवी, ए.सी., फ्रिज, बर्तनों, कपड़ों, डाइनिंग टेबल, अतिथि कक्ष टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मोटर साइकिल और अन्य वस्तुओं का उल्लेख

था । विपिन कुमार को, जो उसके पति का जीजा है, 5,00,000/- रुपए नकद का संदाय किया गया किन्तु सगाई के समय केवल एक मोटर साइकिल ही दिखाई गई थी । वस्तुओं के क्रय हेतु संदाय किए गए शेष धन के बारे में यह बताया गया था कि उसे भिन्न-भिन्न दुकानों में वस्तुओं के क्रय हेतु जमा किया गया है और विवाह के पश्चात् वे सभी वस्तुएं उनके घर पहुंच जाएंगी । किन्तु विवाह की तारीख के 15 दिन पश्चात् भी वे वस्तुएं वहां नहीं पहुंची थीं । पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और परिवादी के अनुसार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया और इस संबंध में उसके द्वारा उसके आवेदन में घरेलू हिंसा के रूप में उसके प्रति हिंसक व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया । उसके पश्चात् उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने उसके सारे गहने और स्त्रीधन छीनने के पश्चात् उसे घर से बाहर निकाल दिया जिसके उपरांत वह अपने माता-पिता के घर गई जहां उसने इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी तथा इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई । इसके पश्चात् उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने इसे मनाने की चेष्टा की और उसे यह आश्वासन दिया कि उसे आगे कोई ओर प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और इस आश्वासन पर विश्वास करके आवेदक अपने पति के साथ वापस उसके घर चली गई । उसका पति बदायूं स्थित एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत था और वह उस समय 1,80,000/- रुपए प्रतिमास का वेतन प्राप्त कर रहा था । दोनों पति-पत्नी के बीच हुए समझौते के आधार पर वह तारीख 7 अगस्त, 2012 को अपने ससुराल वाले घर में गई । उसके पश्चात् उसे उझियानी, बदायूं ले जाया गया जहां वह एक किराए के मकान में रहने लगी । वहां वह अपने पति के साथ तारीख 7 अगस्त, 2012 से तारीख 10 सितंबर, 2012 तक निवास करती रही जिसके पश्चात् उनके संबंधों में पुन: तनाव आ गया । इसके पश्चात् उसे वापस अलीगढ़ वाले घर भेज दिया गया और इस प्रकार उसके पति ने उसे अपने साथ नहीं रखा था । पुन: उसके ससुराल पक्ष वालों द्वारा उसे मनाने की चेष्टा की गई और तारीख 12 जून, 2013 को उसका पति, ससुर और विपिन कुमार उसके घर आए और उन्होंने यह मांग रखी कि जब तक दहेज संबंधी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, आवेदक की विदाई संभव नहीं

थी । उसके पश्चात् दोनों पक्षों में वाद-विवाद और हाथापाई हुई । अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके साथ गाली-गलौज किया और उसके पश्चात् उसके द्वारा तारीख 13 जून, 2013 को महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया जिसमें उसने संरक्षण हेतु प्रार्थना की थी । इसके अतिरिक्त, विवाह के समय संदत्त किए गए 5,00,000/- रुपए वापस दिलाने और साथ ही 5,000/- रुपए प्रतिमास का भरणपोषण प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया । इसके अलावा यह प्रार्थना भी की गई कि ससुराल पक्ष के घर में उसके लिए आवास भी उपलब्ध कराया जाए । इस संबंध में उसके पति ने अपना आक्षेप प्रस्तुत किया । तारीख 18 नवंबर, 2010 को विवाह का अनुष्ठापन एक स्वीकृत तथ्य है किन्तु दहेज के दिए जाने और एल. जी. कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करते हुए वेतन के रूप में 1,80,000/- रुपए के प्रतिमास के उपार्जन संबंधी तथ्यों से इनकार किया गया । यह कथन किया गया कि उसकी आय केवल 5,200/- रुपए प्रतिमास थी । इसके अलावा यह भी कथन किया गया कि तारीख 18 सितंबर, 2011 के पश्चात् आवेदक कभी भी अपने पति के साथ नहीं रही थी । पति बदायूं स्थित एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत है । उसने यह भी कथन किया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं रहे । मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपने निष्कर्षों के साथ एक निर्णय पारित किया जिसके द्वारा स्त्रीधन के बदले आवेदक को निर्णय की तारीख से दो मास के भीतर उसके पति द्वारा 5,00,000/- रुपए का संदाय करने का निदेश दिया गया और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रतिमास संदाय करने का भी निदेश दिया गया । इसके अतिरिक्त, यह भी निदेश दिया गया कि आवेदक के ससुराल पक्ष के राधास्वामी हजूरी भवन, पीपल मंडी, आगरा स्थित गृह में आवेदक को शौचालय की सुविधा के साथ आवास हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराया जाए और यह कक्ष उस गृह के ऊपर वाले हिस्से में उपलब्ध कराया जाए जहां राधास्वामी न्यास के भवन में उसकी ससुराल पक्ष के लोग निवास कर रहे थे । इसके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को भी भंग कर दिया गया जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा

फाइल किए गए विवाह की पुन: बहाली के आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था और इस निर्णय के विरुद्ध एक त्रुटि दूर करने संबंधी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है । किसी भी न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद की उपरोक्त डिक्री को आस्थगित करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । इसके पश्चात् आवेदक के पति का पुन: विवाह हुआ और उसके दो बालक भी हुए जिनके साथ वह वर्तमान में निवास कर रहा है और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उस घर में, जिसमें वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ निवास कर रहा है, आवेदक को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए क्योंकि आवेदक स्वयं अपने पति के दूसरे कुटुंब के साथ रहना पसन्द नहीं करेगी जिसमें उसकी दूसरी पत्नी और बालक सम्मिलित हैं । वह गृह, जिसके संबंध में एक कक्ष आवेदक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, वर्तमान में आवेदक के ससुराल पक्ष के कब्जे में नहीं है । उक्त गृह को तारीख 20 जून, 2017 को राधास्वामी न्यास को लौटा दिया गया था । 5,000/- रुपए प्रतिमास का भरणपोषण मंजूर करने का आदेश भी आधारहीन था फिर भी पूर्वोक्त न्यायालय के आदेश की अनुपालना करते हुए और साथ ही इस न्यायालय द्वारा त्रुटि दूर करने हेतु फाइल की गई दांडिक अपील में पारित निर्णय का अनुपालन करते हुए उक्त भरणपोषण का संदाय प्रतिमास आवेदक को किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 5,00,000/- रुपए का संदाय करने का आदेश भी आधारहीन था और वह आवेदक के पति की क्षमता से परे है । इसलिए उक्त आदेश को अपील न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ में वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 में दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी । दोनों न्यायालयों ने, उनके समक्ष उठाए गए उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी की है । यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समतुल्य है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया गया है जिसके द्वारा उपरोक्त आवेदन को मंजूर करने और महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन फाइल की गई कार्यवाहियों के साथ दोनों

न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है ।

3. आवेदक-प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया और यह दलील दी है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, जो एक सामाजिक-आर्थिक विधान है, के अधीन कार्यवाहियां और कुटुंब न्यायालयों या इस न्यायालय के समक्ष चल रही अन्य कार्यवाहियों का इन कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की पत्नी है । विवाह-विच्छेद की अभिकथित डिक्री एक एकपक्षीय डिक्री है जिसे कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया क्योंकि समनों आदि की कोई भी तामील नहीं की गई थी और इसलिए जब आवेदक को इस एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई तो उसने तुरंत उक्त डिक्री को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया था और विचारण न्यायालय ने उदारता दिखाते हुए विलंब को मॉफ करने हेतु आवेदन को मंजूर किया था किन्तु विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लिए जाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसके लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई है और यह अपील निपटान हेतु इस न्यायालय में लंबित है । इस प्रकार विवाह-विच्छेद अभी न्यायाधीन है । इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे तत्पश्चात् मध्यकता केन्द्र को निर्दिष्ट किया गया जहां दोनों पक्षकार दो मास से अधिक समय से सतत् रूप से उपस्थित हुए और आवेदक के पति ने सदैव यह इच्छा दर्शित करते हुए कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है उसे अनेक तरह के आश्वासन दिए और किसी भी समय उसने यह प्रकट नहीं किया कि उसने विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली है और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है । उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया । यह बात स्वयं में यह दर्शित करती है कि वह किस प्रकार दोहरी चाल चल रहा था, एक ओर वह अपनी मासूमियत दर्शित करते हुए मध्यकता केन्द्र में इस आशय के साथ उपस्थित होता रहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है और दूसरी तरफ उसने कपटपूर्वक एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली थी और उसने कभी भी इस तथ्य को प्रकट नहीं किया । आवेदक ने, जो

उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, उसके प्रति दिखाई जा रही क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट अभिप्राप्त की गई जो उपरोक्त आवेदन से संबंधित थी । इसके पश्चात् दोनों पक्षकारों को उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिसके उपरांत दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और विचारण न्यायालय ने 5,00,000/- रुपए के संदाय से माध्यम से आवेदक को स्त्रीधन का परिदान करने और 5,000/- रुपए प्रतिमास की दर से भरणपोषण लेने और साथ ही उसके ससुराल पक्ष के गृह में उसे आवास के रूप में एक कक्ष उपलब्ध कराने का निदेश देने वाला आदेश पारित करते हुए आवेदक को संरक्षण प्रदान किया । यद्यपि यह बात सत्य है कि उपरोक्त परिसर को आवेदक के ससुराल पक्ष द्वारा लौटा दिया गया है और इसलिए उससे संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार वर्तमान में आवेदक के ससुराल पक्ष के लोग उपरोक्त परिसर में निवास नहीं कर रहे हैं और उसका पति अब अपनी दूसरी पत्नी और दो बालकों के साथ निवास कर रहा है अत: उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक उसके साथ निवास करने की स्थिति में नहीं है, किन्तु आक्षेपित आदेश द्वारा, जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है, आवेदक को घरेलू हिंसा से पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया था । अत: इस न्यायालय से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए यह आशयित नहीं है कि वह तथ्यात्मक साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अपील न्यायालय के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करे और इस प्रकार स्वयं को एक द्वितीय अपील न्यायालय समझे । अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग उस समय किया जाना होता है जब विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया हो और न्याय की अवहेलना की दशा में न्याय प्रदान करने के लिए भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु इस आवेदन के माध्यम से उससे अपील न्यायालय के रूप में शक्ति का प्रयोग करने की प्रार्थना की गई है । अत: इस आवेदन को खारिज किया जाता है ।

4. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय निम्नानुसार है ।

5. यह स्पष्ट है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि ऐसी महिलाओं को जो उनके कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा का शिकार हैं, संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और साथ ही उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके । यह एक ऐसी सांविधानिक आज्ञा थी जिसे ऐसी महिलाओं के संरक्षण हेतु इस विधान द्वारा पूरा किया गया, जिनके साथ उनके कुटुंब के भीतर क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है । यह अधिनियम इस प्रकार के अन्य अधिनियमों और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रियाओं से भिन्न है । यह एक ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले अन्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है और अपने इस अधिकार के संरक्षण हेतु आवेदक द्वारा यह आवेदन फाइल किया गया था । स्वीकृत रूप से आवेदक सोम प्रकाश रावत की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और उसके पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका विवाह उसके साथ हुआ था तब वह आगरा विश्वविद्यालय में समूह-4 की नौकरी कर रहा था जिससे यह तात्पर्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय का एक समूह-4 का एक कर्मचारी था और वह अपनी पत्नी का भरणपोषण करने में समर्थ था इसलिए आवेदक ने उससे विवाह किया था । उसके पश्चात् वह एल. जी. सेवा केन्द्र में नौकरी करने लगा किन्तु यह सेवा केन्द्र उसी विपिन कुमार का था, जिसे विवाह के समय 5,00,000/- रुपए का नकद संदाय किया गया था । पति-पत्नी के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे । आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था । उसकी प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने उसके विरुद्ध की गई हिंसा के ब्यौरों को प्रकट किया । इसी संबंध में जिला परिवीक्षा

अधिकारी ने भी रिपोर्ट किया है । शपथ पर यह कथन किया गया है कि दहेज के बदले नकद 5,00,000/- रुपए का संदाय किया गया जिसका उपयोग दहेज और गृहस्थी की अन्य वस्तुओं का क्रय करने के लिए किया गया था । पति ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह एक मोटर साइकिल का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है जिसे उसने विवाह में प्राप्त किया था किन्तु वह यह नहीं बता सका था कि वह मोटर साइकिल कब और कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस मोटर साइकिल के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसे दहेज के रूप में दिया गया था । यह कथन किया गया है कि कुल मिलाकर आवेदक के उपयोग हेतु घरेलू वस्तुओं के क्रय के लिए 5,00,000/- रुपए का नकद संदाय किया गया जो स्त्रीधन के समतुल्य है । अत: विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के अभिसाक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और वह भरणपोषण के लिए हकदार थी जिससे वह उसके समक्ष आई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके जिस संबंध में 5,000/- रुपए प्रतिमास का नियमित संदाय उसे किया जा रहा है जिसे इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है और जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । पूर्वोक्त अपील, जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित किया गया था और जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लेने हेतु किए गए प्रत्यावर्तन आवेदन को खारिज किया गया था । अत: इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का पति चाहे वह एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत हो या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए का प्रतिमास का नियमित संदाय कर रहा है क्योंकि उसे विधिक रूप से अपनी पत्नी का भरणपोषण करना है । अत: 5,000/- रुपए प्रतिमास की यह अल्प राशि एक वास्तविक राशि थी जिसे न्यायोचित रूप से आवेदक के भरणपोषण हेतु दिए जाने का निदेश दिया गया था और इसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई थी ।

6. जहां तक 5,00,000/- रुपए का संबंध है, यह साबित किया गया था कि उसका संदाय आवेदक के माता-पिता द्वारा उसकी घरेलू वस्तुओं

के लिए विवाह के समय किया गया था जिसके संबंध में आवेदक के पति और उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया था अत: उक्त रकम को स्त्रीधन के रूप में आवेदक को वापस संदाय किए जाने का निदेश भी सर्वथा उचित और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है ।

7. आवास के संबंध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदक का उसके पति के साथ उसके आवास में निवास करना संभव नहीं है क्योंकि वहां वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ रह रहा है और वह एक किराए का आवास है । अत: इस अनुतोष का स्वयं आवेदक द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है और इसलिए उसके संबंध में कोई जोर नहीं दिया गया है, तद्नुसार इस अनुतोष के संबंध में कोई न्यायनिर्णयन आवश्यक नहीं है ।

8. मामले से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पति, जिसने एकपक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री प्राप्त कर ली थी, जैसाकि पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है नियमित रूप से मध्यकता केन्द्र के समक्ष उपस्थित हो रहा था और उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि उसने एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है, इसकी बजाय वह अपनी पत्नी को यह आश्वासन देता रहा कि वह उसे वापस अपने घर में लाना चाहता है । उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया जबकि उसने विवाह-विच्छेद संबंधी वाद फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात् उसने दूसरा विवाह भी कर लिया । अत: अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट और साथ ही अपील न्यायालय का आदेश उपरोक्त तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है और वह विधिक परिप्रेक्ष्य में सही है ।

9. उच्चतम न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **गौर शेट्टी महेश जे. टी.**[1] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता

[1] (2010) 6 एस. सी. सी. 588.

की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय कोई न्यायालय या उच्च न्यायालय सामान्य रूप से यह जांच नहीं कर सकता कि क्या प्रश्नगत साक्ष्य विश्वसनीय है या फिर उसके संबंध में कोई युक्तियुक्त आशंका तो नहीं है और इस प्रकार आरोप संवहनीय हो सकते हैं अथवा नहीं । इसकी बजाय यह कृत्य विचारण न्यायाधीश का है ।

10. उच्चतम न्यायालय ने **हमीदा** बनाम **रशीद**[1] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि न्याय उस समय बेहतर रूप से प्रदान किया जा सकेगा यदि न्यायालय का बहुमूल्य समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिकाओं की सुनवाई में नष्ट न होकर अपीलों की सुनवाई में बेहतर रूप से उपयोग में लाया जाए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिकाएं अंतर्वर्ती प्रक्रम पर फाइल की जाती हैं, जिनका उद्देश्य विहित प्रक्रिया को बाधित करना या विचारण में विलंब करना होता है जिसके दौरान वे साक्षियों पर दबाव बना सकें या वे इतने विलंब के कारण साक्ष्य देने में अपनी दिलचस्पी खो दें जिसके परिणामस्वरूप अंतत: उचित न्याय नहीं मिल पाता है ।

11. इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने **मोनिका कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग यदाकदा, ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक करना चाहिए और उसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब स्वयं उक्त धारा में विनिर्दिष्ट रूप से अधिकथित शर्तें न्यायोचित प्रतीत होती हैं ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय की ऐसा कोई आदेश करने, जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे, की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करती है । इसका अर्थ यह है कि इस धारा के

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 474.

[2] (2008) 8 एस. सी. सी. 781.

अधीन अन्तर्निहित अधिकारिता यह उपबंध करती है कि न्यायालय के पास इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है । अत: न्याय के हित को सुरक्षित करने, किसी विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस न्यायालय को इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के साथ यह अन्तर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है । जबकि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, संविधान के अधीन गारंटी किए गए महिलाओं के अधिकारों का ऐसी स्थिति में और अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया एक विशेष अधिनियम है, जहां किसी महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है । इस प्रकार यह एक स्वयं में संपूर्ण संहिता है जिसमें अपील किए जाने की प्रक्रिया और शक्ति को उपबंधित किया गया है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने सम्यक् प्रक्रिया का प्रयोग करने के पश्चात् आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील खारिज की गई थी और इस अपील का निपटारा अपील न्यायालय द्वारा सम्यक्त: कर दिया गया था, अत: द्वितीय अपील न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है ।

13. इस आवेदन में कोई गुणता नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

14. तथापि, उपरोक्त परिवर्तित परिस्थितियों में आवेदक को आवास उपलब्ध कराए जाने संबंधी आदेश का एक भाग निष्पादन योग्य नहीं रहा है जिसके लिए मजिस्ट्रेट समुचित रूप से विचार करेंगे और विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

सनातन सारंगी

बनाम

ओडिशा राज्य

(1990 की दांडिक अपील सं. 200)

तारीख 17 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति डी. दास

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – अभियुक्तों द्वारा हत्या के लिए उकसाए जाने का अभिकथन किया जाना – पुरानी शत्रुता का न पाया जाना – मृतक का घटनास्थल पर अचानक पहुंचना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे सह-अभियुक्तों को उकसाए जाने या मृतक के साथ कोई पुरानी शत्रुता होने का पता चलता हो और मृतक घटनास्थल पर अचानक ही पहुंचा है जिससे अभियुक्तों का हत्या कारित करने का आशय साबित नहीं होता है, अतः हत्या के अपराध से की गई दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304क – दुर्घटना से मृत्यु – घटनास्थल पर दो पक्षों के बीच तनाव – मृतक का अचानक जीप के सामने आ जाना – उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से वाहन चलाने का साक्ष्य न होना – चालक-अभियुक्त ने सभी छात्रों को जीप में सवार होने के पश्चात् किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जीप चलाई और मृतक अचानक जीप के नीचे आ गया और इस स्थिति में चालक के लिए यह संभव नहीं था कि वह यह सुनिश्चित कराता कि जीप के आस-पास कोई व्यक्ति नहीं है, अतः इस स्थिति में चालक-अभियुक्त की लापरवाही साबित नहीं होती है और वह धारा 304क के अधीन अपराध से दोषमुक्त होने का हकदार है ।

अपीलार्थी ने इस अपील द्वारा 1989 के सेशन विचारण मामला सं. 32/94 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 20 जुलाई,

1990 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी है । इस निर्णय द्वारा इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304क के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और यह आदेश किया गया है कि वह दो वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा । इस समागम पर, यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के साथ अन्य दो व्यक्ति अर्थात् कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल का अभियुक्त के रूप में विचारण किया गया है और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया गया है । तारीख 7 अगस्त, 1990 को अपील स्वीकार किए जाने पर तारीख 14 नवंबर, 2007 को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई, अपीलार्थी को आंशिक रूप से सुनने के पश्चात् इस न्यायालय ने श्री जी. मिश्रा, अधिवक्ता को नियुक्त किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्या यह मामला अपीलार्थी और उन दो अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरुद्ध जिन्हें दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/114 के अधीन आरोपित किया गया था, पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का स्वप्रेरणा से प्रयोग किया जा सकता है या नहीं । तारीख 20 नवंबर, 2007 को इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता और श्री जी. मिश्रा जिन्हें पूर्ववर्ती तारीख पर नियुक्त किया गया था, सुनने और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) का परिशीलन करने पर यह मत व्यक्त किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग स्वप्रेरणा से करने के लिए एक उचित मामला है । तद्नुसार, अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया है तथा कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल को दोषमुक्त कर दिया और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/114 के अधीन उनकी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त क्यों न कर दिया जाए । उक्त नोटिस के अनुसरण में दोषमुक्त अभियुक्त अपने विद्वान् काउंसेल के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए हैं । संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 1 मार्च, 1989 को अपराह्न लगभग 2 बजे इत्तिलाकर्ता जो शहीद स्मृति कालेज का प्राचार्य है अपने कार्यालय में उस समय बैठा हुआ था जब अभियुक्त अर्थात् कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल कुछ

छात्रों के साथ कमरे में आए । यह कहा गया है कि उन्होंने प्रवेश-पत्र मांगे । जब इत्तिलाकर्ता प्रवेश-पत्र दे रहा था तब अभियुक्त उसे बलपूर्वक जीप की ओर ले गए जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. ओ.आई.एक्स-4646 है और यह वाहन बाहर खड़ा हुआ था । उन्होंने प्राचार्य से प्रवेश पत्र छीनने का प्रयास किया । इस दौरान शहीद स्मृति स्कूल के हैड मास्टर घटनास्थल पर आए और उन्होंने इस घटना का कारण जाना । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता नीचे उतर कर आया और उनसे बातचीत करने लगा । यह कथन किया गया है कि उस समय छात्र हैड मास्टर के पास दौड़कर पहुंचे और उसके साथ गालीगलौज करने लगे, जब जीप की दिशा ग्राम पधुआ की ओर थी तब उसके चालक ने इसकी दिशा मोड़ दी । तब छात्रों ने हैड मास्टर को धमकी दी और उन्होंने धमकी देते हुए इत्तिलाकर्ता को खींचकर जीप में ले आए । इसके पश्चात् हैड मास्टर जीप के निकट आए । यह कथन किया गया है कि जीप में बैठे हुए छात्र उसके साथ गालीगलौज करने लगे और उन्होंने वापस आकर उनसे निपटने की धमकी दी । इसके पश्चात् हैड मास्टर ने ड्राइवर से जीप को स्टैंड पर परिरुद्ध करने के लिए कहा जो सामने ही बना हुआ था और यह पता लगाया कि छात्र गालियां क्यों दे रहे थे । यह अभिकथन किया गया है कि उस समय अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल जीप में बैठे हुए थे और उन्होंने चालक सनातन से कहा कि वह जीप चलाते हुए मृतक के ऊपर चढ़ा दे । दोनों अभियुक्तों द्वारा दिए गए निदेशानुसार चालक ने तीव्र गति के साथ जीप चलाई । इस प्रकार जीप चलाए जाने से वह हैड मास्टर के ऊपर से चढ़कर उतर गई जिसके परिणामस्वरूप हैड मास्टर की मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता तुरन्त बसुदेवपुर अस्पताल पहुंचा और हैड मास्टर को अनेक क्षतियों के साथ गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ पाया जिसके मुख से रक्त बह रहा था । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने चालक को जीप चलाने का निदेश हैड मास्टर की हत्या के एकमात्र आशय से ही दिया था । सेशन न्यायालय ने अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और अभियुक्त प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल को धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया किन्तु जीप के चालक अभियुक्त सनातन सारंगी को धारा 304क के अधीन अपराध का दोषी पाया ।

अभियुक्त सनातन अर्थात् जीप के चालक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त परस्पर दलीलों को दृष्टिगत करते हुए, अब न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करेंगे ताकि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की स्थिरता का आंकलन किया जा सके । अभियोजन का मुख्य पक्षकथन यह है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने, जो जीप में बैठे हुए थे, अभियुक्त सनातन को मृतक पर जीप चढ़ाने को कहा । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि किसी भी अभियुक्त की मृतक के साथ शत्रुता थी । मृतक उस समय मौजूद नहीं था जब अभियुक्त उस स्थान पर पहुंचे थे । वह घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार वह उक्त घटना के घटित होने के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहा था । अभिलिखित साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जब मृतक छात्रों के पास यह मालूम करने गया था कि उन्होंने मृतक को धमकी क्यों दी थी, तब जीप ने चलना आरंभ कर दिया था और उस समय, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए साक्षी द्वारा कथन किया गया है, मृतक जीप के पीछे था न कि सामने की ओर । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह विश्वास नहीं होता है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने अभियुक्त सनातन को सुसंगत समय पर मृतक पर जीप चढ़ाने को उकसाया था । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) पर कई-कई बार अच्छी तरह विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है । इस न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त करने का कोई भी न्यायोचित कारण दिखाई नहीं देता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल का विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपराध से मुक्त होना साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं माना जा सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि

इस निर्णय में ऐसी कमी है जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जा सके । जहां अभियुक्त सनातन सारंगी का दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त होने का संबंध है, वहां भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है । (पैरा 8)

अब न्यायालय इस निष्कर्ष पर विचार करता है कि अभियुक्त सनातन सारंगी द्वारा अपराध दंड संहिता की धारा 304(क) के अधीन कारित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस प्रभाव का है कि जब छात्रों के बीच वार्तालाप हो रहा था, तब मृतक जीप के बहुत निकट था । विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अभि. सा. 1 और अन्य साक्षियों का साक्ष्य यह दर्शाता है कि चूंकि छात्र जीप में बैठ गए थे इसलिए अभियुक्त सनातन ने जीप चलाई । इससे विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने उस वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया था जिसके परिणामस्वरूप वह वाहन मृतक से टकराया और मृतक नीचे गिर गया और इसके पश्चात् वह वाहन मृतक पर चढ़कर उतर गया । ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच सका कि उसने आस-पास की परिस्थितियों और स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जो उस समय छात्रों और प्राधिकारियों के बीच कोलाहल के कारण घटनास्थल पर बनी हुई थी और जीप के चालक के लिए यह संभव नहीं था कि वह सबको ऐसा कोई संकेत दे देता जिससे यह सुनिश्चित हो जाता कि जीप के सामने कोई व्यक्ति नहीं है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन इस बिंदु पर नहीं किया गया है कि जैसे ही छात्र जीप में सवार हुए थे उस समय अभियुक्त को, जो इस जीप का चालक था, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जीप को आगे बढ़ाना ही था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु चालक अर्थात् अभियुक्त सनातन द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चलाने से हुई है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण

न्यायालय मामले की आरंभ से लेकर अंत तक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है । (पैरा 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1990 की दांडिक अपील सं. 200.

1989 के सेशन विचारण मामला सं. 32/94 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 20 जुलाई, 1990 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पी. के. चौधरी, बी. पी. दास, एच. एम. ढाल, सी. आर. स्वेन, गौतम मिश्रा, एस. सी. पलाई, ए. एस. दास और बी. बी. स्वेन (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. चौधरीदास (अपर स्थायी काउंसेल)

न्यायमूर्ति डी. दास – अपीलार्थी ने इस अपील द्वारा 1989 के सेशन विचारण मामला सं. 32/94 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 20 जुलाई, 1990 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी है ।

इस निर्णय द्वारा इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304क के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और यह आदेश किया गया है कि वह दो वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा ।

इस समागम पर, यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के साथ अन्य दो व्यक्ति अर्थात् कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल का अभियुक्त के रूप में विचारण किया गया है और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया गया है । तारीख 7 अगस्त, 1990 को अपील स्वीकार किए जाने पर तारीख 14 नवंबर, 2007 को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई, अपीलार्थी को आंशिक रूप से सुनने के पश्चात् इस न्यायालय ने श्री जी. मिश्रा, अधिवक्ता को नियुक्त किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्या यह मामला अपीलार्थी और उन दो अभियुक्तों

की दोषमुक्ति के विरुद्ध जिन्हें दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/114 के अधीन आरोपित किया गया था, पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का स्वप्रेरणा से प्रयोग किया जा सकता है या नहीं । तारीख 20 नवंबर, 2007 को इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता और श्री जी. मिश्रा जिन्हें पूर्ववर्ती तारीख पर नियुक्त किया गया था, सुनने और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) का परिशीलन करने पर यह मत व्यक्त किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग स्वप्रेरणा से करने के लिए एक उचित मामला है । तद्नुसार, अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया है तथा कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल को दोषमुक्त कर दिया और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/114 के अधीन उनकी दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त क्यों न कर दिया जाए । उक्त नोटिस के अनुसरण में दोषमुक्त अभियुक्त अपने विद्वान् काउंसेल के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए हैं ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि तारीख 1 मार्च, 1989 को अपराह्न लगभग 2 बजे इत्तिलाकर्ता जो शहीद स्मृति कालेज का प्राचार्य है अपने कार्यालय में उस समय बैठा हुआ था जब अभियुक्त अर्थात् कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल कुछ छात्रों के साथ कमरे में आए । यह कहा गया है कि उन्होंने प्रवेश-पत्र मांगे । जब इत्तिलाकर्ता प्रवेश-पत्र दे रहा था तब अभियुक्त उसे बलपूर्वक जीप की ओर ले गए जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. ओ.आई.एक्स-4646 है और यह वाहन बाहर खड़ा हुआ था । उन्होंने प्राचार्य से प्रवेश-पत्र छीनने का प्रयास किया । इस दौरान शहीद स्मृति स्कूल के हैड मास्टर घटनास्थल पर आए और उन्होंने इस घटना का कारण जाना । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता नीचे उतर कर आया और उनसे बातचीत करने लगा । यह कथन किया गया है कि उस समय छात्र हैड मास्टर के पास दौड़कर पहुंचे और उसके साथ गालीगलौज करने लगे, जब जीप की दिशा ग्राम पधुआ की ओर थी तब उसके चालक ने इसकी दिशा मोड़ दी । तब

छात्रों ने हैड मास्टर को धमकी दी और उन्होंने धमकी देते हुए इत्तिलाकर्ता को खींचकर जीप में ले आए । इसके पश्चात् हैड मास्टर जीप के निकट आए । यह कथन किया गया है कि जीप में बैठे हुए छात्र उसके साथ गालीगलौज करने लगे और उन्होंने वापस आकर उनसे निपटने की धमकी दी । इसके पश्चात् हैड मास्टर ने ड्राइवर से जीप को स्टैंड पर परिरुद्ध करने के लिए कहा जो सामने ही बना हुआ था और यह पता लगाया कि छात्र गालियां क्यों दे रहे थे । यह अभिकथन किया गया है कि उस समय अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल जीप में बैठे हुए थे और उन्होंने चालक सनातन से कहा कि वह जीप चलाते हुए मृतक के ऊपर चढ़ा दे । दोनों अभियुक्तों द्वारा दिए गए निदेशानुसार चालक ने तीव्र गति के साथ जीप चलाई । इस प्रकार जीप चलाए जाने से वह हैड मास्टर के ऊपर से चढ़कर उतर गई जिसके परिणामस्वरूप हैड मास्टर की मृत्यु हो गई ।

3. इत्तिलाकर्ता तुरन्त बसुदेवपुर अस्पताल पहुंचा और हैड मास्टर को अनेक क्षतियों के साथ गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ पाया जिसके मुख से रक्त बह रहा था । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने चालक को जीप चलाने का निदेश हैड मास्टर की हत्या के एकमात्र आशय से ही दिया था ।

अभि. सा. 1 से उपरोक्त घटना के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण के दौरान साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रश्नगत जीप को अभिगृहीत किया गया । अपराध से संबंधित अभिगृहीत की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया जहां सभी अभियुक्तों का विचारण किया गया ।

4. प्रतिरक्षा में अभियोजन की बातों से केवल इनकार किया गया है । अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने अन्यत्र होने का अभिवाक् किया है और इस अभिवाक् के समर्थन में उन्होंने अपनी ओर से एक साक्षी की परीक्षा कराई है ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य विशेषकर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, का विश्लेषण किए जाने पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई भी मामला सिद्ध नहीं किया गया है और न ही मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अधीन कोई अपराध साबित किया गया है । इस बात को समझते हुए कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल की सह-अपराधिता उस घटना के संबंध में सिद्ध करने में असफल रहा है जिसके दौरान शहीद स्मृति स्कूल, इरम के हैड मास्टर की मृत्यु हुई है, इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया गया है । साक्ष्य का आगे और विश्लेषण करते हुए विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना यह पक्षकथन सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त सनातन सारंगी ने उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से जीप चलाई है जिसके परिणामस्वरूप उक्त हैड मास्टर की मृत्यु कारित हुई है । तद्नुसार, उक्त अभियुक्त सनातन सारंगी को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और पूर्वोक्त रूप में दंडादिष्ट किया गया है ।

6. अपीलार्थी सनातन सारंगी के विद्वान् काउंसेल श्री एस. सी. पलाई ने यह दलील दी है कि जहां तक दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन सभी अभियुक्तों के दोषमुक्त किए जाने का संबंध है, विचारण न्यायालय का निर्णय अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) जैसे साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है । इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) के संबंध में विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई भूल नहीं की है कि अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि अभियुक्तों की मृतक के साथ पहले से कोई शत्रुता नहीं थी और घटनास्थल पर मृतक की मौजूदगी अचानक दिखाई गई है और कभी भी यह नहीं कहा गया है कि उसने इस घटना में सक्रिय रूप से

भाग लिया है या उसने इन अभियुक्तों में से किसी के भी विरुद्ध आवाज उठाई है । विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत करने पर विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्तों का आशय मृतक की हत्या करने का नहीं था । उन्होंने यह भी दलील दी है कि साक्ष्य से संबद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई है न कि मानव वध से, साक्ष्य का ठीक और समुचित मूल्यांकन पर आधारित है; अतः विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन अपराध से अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने के उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी औचित्य नहीं है ।

दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए अभियुक्त सनातन के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि तथा पारिणामिक दंडादेश पर विचार करने पर विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पूर्णतया अपर्याप्त है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हैड मास्टर की मृत्यु अभियुक्त सनातन सारंगी द्वारा उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से जीप चलाए जाने का सीधा परिणाम है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि जीप तीव्र गति से चल रही थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी गई है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि मृतक अचानक जीप के सामने आ गया और जीप उस पर से उतर गई । इसलिए, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि ऐसे किसी भी साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त सनातन सारंगी ने जीप को चलाते हुए मृतक में टक्कर मारी है और उसके ऊपर से जीप उतारी है, विचारण न्यायालय ने तथ्य और विधि दोनों की त्रुटि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दोषसिद्ध करते हुए की है ।

7. अन्य दो अभियुक्तों अर्थात् कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल जिन्हें इस न्यायालय द्वारा तारीख 14 नवंबर, 2007 को

नोटिस जारी किया गया था, की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जहां तक इन अभियुक्तों का संबंध है विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि इन अभियुक्तों की मृतक की मृत्यु कारित करने में कोई भूमिका नहीं है । अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त सनातन ने इन अभियुक्तों के उकसाने पर वाहन चलाया था, अविश्वसनीय माना गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) को दृष्टिगत और स्वीकार करने पर विचारण न्यायालय ने इन अभियुक्तों की कोई भी सह-अपराधिता नहीं पाई है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि चूंकि राज्य ने तारीख 20 जुलाई, 1990 को पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध साढ़े सत्रह वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है और ठोस कारण समनुदेशित किए बिना तथा विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की विधिकता का पालन किए जाने पर दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों को पुनरीक्षण आवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा से नोटिस जारी किए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है और इन अभियुक्तों को नोटिस जारी किए जाने का भी कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिन्होंने अपील फाइल की है । अतः, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल को जारी किए गए नोटिस से उन्मुक्त किए जाने का यह उचित मामला है ।

विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने इस न्यायालय द्वारा तारीख 20 नवंबर, 2007 को पारित आदेश के पक्ष में दलील दी है । इस साक्षी के अनुसार विचारण न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन अपराध के आरोप से दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था । विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि जब यह दर्शित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हो कि अभियुक्त सनातन ने अन्य दो अभियुक्तों के कहने में आकर किसी स्थान विशेष पर जहां बहुत से लोग थे, उस समय जीप चलाई जिसके द्वारा मारी गई टक्कर के

परिणामस्वरूप हैड मास्टर की मृत्यु हुई, अतः अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के दोषी अभिनिर्धारित किए जाने चाहिए ।

अनुकल्पतः, उन्होंने यह दलील दी है कि अभियुक्त सनातन जो सुसंगत समय पर जीप में ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था और मृतक की स्थिति को देखते हुए वह जीप द्वारा टक्कर मारे जाने के परिणाम से अवगत था, इसलिए दंड संहिता की धारा 304(क) के अधीन की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । विद्वान् न्यायमित्र ने राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील को दोहराया है ।

8. उपरोक्त परस्पर दलीलों को दृष्टिगत करते हुए, अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करेंगे ताकि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की स्थिरता का आंकलन किया जा सके । अभियोजन का मुख्य पक्षकथन यह है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने, जो जीप में बैठे हुए थे, अभियुक्त सनातन को मृतक पर जीप चढ़ाने को कहा । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि किसी भी अभियुक्त की मृतक के साथ शत्रुता थी । मृतक उस समय मौजूद नहीं था जब अभियुक्त उस स्थान पर पहुंचे थे । वह घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार वह उक्त घटना के घटित होने के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहा था । अभिलिखित साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जब मृतक छात्रों के पास यह मालूम करने गया था कि उन्होंने मृतक को धमकी क्यों दी थी, तब जीप ने चलना आरंभ कर दिया था और उस समय, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए साक्षी द्वारा कथन किया गया है, मृतक जीप के पीछे था न कि सामने की ओर । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह विश्वास नहीं होता है कि अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल ने अभियुक्त सनातन को सुसंगत समय पर मृतक पर जीप चढ़ाने को उकसाया था । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि.

सा. 3 के साक्ष्य तथा मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 3) पर कई-कई बार अच्छी तरह विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है । इस न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त करने का कोई भी न्यायोचित कारण दिखाई नहीं देता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अभियुक्त कटाचन्द्र बेहेरा और प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल का विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपराध से मुक्त होना साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं माना जा सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि इस निर्णय में ऐसी कमी है जिसके आधार पर पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जा सके । जहां अभियुक्त सनातन सारंगी का दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त होने का संबंध है, वहां भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है ।

9. अब इस निष्कर्ष पर विचार करते हैं कि अभियुक्त सनातन सारंगी द्वारा अपराध दंड संहिता की धारा 304(क) के अधीन कारित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस प्रभाव का है कि जब छात्रों के बीच वार्तालाप हो रहा था, तब मृतक जीप के बहुत निकट था । विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि अभि. सा. 1 और अन्य साक्षियों का साक्ष्य यह दर्शाता है कि चूंकि छात्र जीप में बैठ गए थे इसलिए अभियुक्त सनातन ने जीप चलाई । इससे विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने उस वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया था जिसके परिणामस्वरूप वह वाहन मृतक से टकराया और मृतक नीचे गिर गया और इसके पश्चात् वह वाहन मृतक पर चढ़कर उतर गया । ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच सका कि उसने आस-पास की परिस्थितियों और स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जो उस समय छात्रों और प्राधिकारियों के बीच कोलाहल के कारण घटनास्थल पर बनी हुई थी और जीप के चालक के लिए यह संभव नहीं

था कि वह सबको ऐसा कोई संकेत दे देता जिससे यह सुनिश्चित हो जाता कि जीप के सामने कोई व्यक्ति नहीं है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन इस बिंदु पर नहीं किया गया है कि जैसे ही छात्र जीप में सवार हुए थे उस समय अभियुक्त को, जो इस जीप का चालक था, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जीप को आगे बढ़ाना ही था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु चालक अर्थात् अभियुक्त सनातन द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चलाने से हुई है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय मामले की आरंभ से लेकर अंत तक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है ।

10. उपरोक्त चर्चा के आधार पर अभियुक्त सनातन सारंगी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं । इस प्रकार उक्त अभियुक्त सनातन को दोषमुक्त किया जाता है, उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

11. परिणामतः, सभी अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किए जाते हैं और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अधीन जारी किए गए नोटिस से तारीख 20 नवंबर, 2007 के आदेश के अनुसरण में उन्मुक्त किए जाते हैं और अभियुक्त सनातन द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

गोविंद एम. एस. और अन्य

बनाम

केरल राज्य

(2016 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 6144)

तारीख 10 दिसम्बर, 2019

न्यायमूर्ति आर. नारायण पिशराडी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 406, 420 और 34 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 और 154] – छल और आपराधिक न्यास भंग – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अभिखंडित किया जाना – प्रतिनिधिक दायित्व – कंपनी के निदेशकों द्वारा षड्यंत्र किए जाने का अभिकथन – कंपनी के निदेशकों का प्रतिनिधिक दायित्व तभी बनता है जब कानून में इस संबंध में उपबंध किया गया हो और कंपनी के साथ निदेशकों को अभियुक्त तभी बनाया जा सकता है जब इस संबंध में आपराधिक आशय के साथ उनकी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो और चूंकि कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित अभियुक्त निदेशकों की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है और न ही उनके द्वारा अपराध कारित किए जाने का अभिकथन किया गया है इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जा सकती है ।

शिकायत (उपाबंध ए-1) में सारभूत कथन इस प्रकार है : प्रथम अभियुक्त एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है । तीसरा अभियुक्त, प्रथम अभियुक्त कम्पनी का निदेशक है । शिकायत कर्ता ने प्रथम अभियुक्त के साथ अपार्टमेंट संख्या 1306 क्रय करने के लिए एक करार निष्पादित किया जिसका निर्माण कार्य कम्पनी को सौंपा गया था । शिकायत कर्ता ने इस कम्पनी को कुल मिलाकर 32 लाख रुपए का संदाय किया । इस करार के अनुसार अपार्टमेंट का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में निष्पादित किए गए करार के दस महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था । तथापि,

अभियुक्त इस करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं कर सका और अपार्टमेंट का निर्माण कार्य तय की गई समय अवधि में पूरा नहीं हो सका । शिकायत कर्ता और अभियुक्त द्वारा तारीख 10 सितबंर 2015 को नया करार निष्पादित किया गया । इस करार के अनुसार, यह निर्माण कार्य पूरा किया जाना था और इसका कब्जा तारीख 31 जुलाई, 2016 को इसके पूर्व शिकायतकर्ता को सौंपा जाना था । निकट भविष्य में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावना बहुत कम है । अभियुक्त ने शिकायत कर्ता को बेईमानी से पैसा हड़पने के लिए उकसाया है और उन्होंने अनुचित लाभ उठाया है । अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक/स्वामी और अन्य अभियुक्त ने मिली भक्त और षड्यंत्र रच कर शिकायत कर्ता के साथ छल किया है और कम्पनी के नाम धन का दुरुपयोजन किया है । उपाबन्ध ए-1 में यह कथन किया गया है कि तृतीय अभियुक्त, प्रथम अभियुक्त अर्थात् कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक है । अन्य अभियुक्तों का प्रथम अभियुक्त के साथ जो सम्बन्ध है उसे शिकायत के शीर्षक में ही उल्लिखित किया गया है । यह कथन किया गया है कि द्वितीय अभियुक्त अध्यक्ष है और चौथा अभियुक्त संयुक्त प्रबंध निदेशक है और 'अभियुक्त-5 से अभियुक्त-8' और अभियुक्त-9 अर्थात् कम्पनी के निदेशक हैं । शिकायत अर्थात् उपाबंद ए-9 के अनुसार, अभियुक्त-4, अभियुक्त-6, अभियुक्त-7 और अभियुक्त-8 इस मामले में आवेदक हैं । इन्होंने यह आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपने विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबन्ध ए-2) इस आधार पर अभिखण्डित कराने के लिए फाइल की है कि वे कम्पनी अर्थात् अभियुक्त-9 के निदेशक नहीं हैं । आवेदन भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आवेदक-1 से आवेदक-3 के विरुद्ध कार्यवाही अन्य कारण के आधार पर अभिखंडित किए जाने योग्य है । शिकायत (उपाबंध ए-1) में कोई भी ऐसा प्रकथन नहीं किया गया है कि आवेदकों ने शिकायत कर्ता और अभियुक्त कंपनी के बीच किए गए करार पर हस्ताक्षर किए थे या उसे निष्पादित किया था । शिकायत (उपाबंध ए-1)

में कंपनी के कामकाज के संचालन से संबंधित आवेदकों की भूमिका को लेकर कोई भी विशिष्ट प्रकथन नहीं किए गए हैं । उपाबंध ए-1 में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि आवेदकों ने कोई भी अपराध कारित किया है । शिकायत (उपाबंध ए-1) में तनिक भी यह उल्लेख नहीं है कि आवेदकों ने ऐसा कोई भी कृत्य किया है जिससे उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध बनता हो । यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि सुसंगत समय के दौरान आवेदक पृथक् अभियुक्त अर्थात् कंपनी के निदेशक थे, तब अभियुक्त कंपनी द्वारा अभिकथित रूप से दंड संहिता के अधीन कारित अपराध के लिए उनका प्रतिनिधिक दायित्व नहीं बनता है । इस संबंध में सिद्धांत निम्न प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है : जब किसी कपंनी द्वारा अपराध कारित किया जाता है तब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन कंपनी के निदेशकों से संबंधित प्रतिनिधिक दायित्व को लेकर कोई भी उपबंध नहीं है । कानून के अधीन कोई भी उपबंध अधिकथित न किए जाने की स्थिति में कंपनी के निदेशक या कर्मचारी को स्वयं कंपनी द्वारा कारित किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । किसी कंपनी के निदेशक का प्रतिनिधिक दायित्व तब बनता है जब इस संबंध में कानून में विशिष्ट उपबंध हों । कानून में ऐसे प्रतिनिधिक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट किए जाने चाहिए । फिर भी शिकायत कर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह शिकायत में ऐसे अभिकथन करे जिनके आधार पर कंपनी के निदेशकों पर प्रतिनिधिक दायित्व बनता हो । जब कंपनी अपराधी साबित हो जाती है, तब कंपनी के निदेशकों का प्रतिनिधिक दायित्व इस संबंध में कानूनी उपबंध न होने की स्थिति में, स्वत: समाप्त नहीं हो सकता । अन्यथा भी कंपनी के निदेशक या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन से अभिकथित रूप से संबद्ध हो, कोई विशिष्ट कृत्य कारित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह कंपनी द्वारा कारित किए गए कृत्य के लिए जिम्मेदार है । अपराध विधि के अधीन प्रतिनिधिक दायित्व तब तक नहीं बन सकता जब तक

कि इस संबंध में कानून उपबंधित न हो । किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के साथ अभियुक्त केवल तब बनाया जा सकता है जब इस संबंध में पर्याप्त सामग्री हो कि उसने आपराधिक आशय के साथ अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया है । वर्तमान मामले में, शिकायत (उपाबंध ए-1) में आवेदक-1 से आवेदक-3 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन अपराध से संबंधित विशिष्ट अभिकथन न किए जाने की स्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध ए-2), जो कि इसी शिकायत पर आधारित है, अभिखंडित की जानी चाहिए । चूंकि आवेदक-4 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध ए-2) के अनुसार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, इसलिए इस आवेदन में मांगा अनुतोष मंजूर नहीं किया जा सकता । (पैरा 10, 11, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 4463 : **शिव कुमार जटिया** बनाम **राज्य** ;	17
[2015]	ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 923 : **सुनील भारती मित्तल** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	16
[2009]	ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2594 : **केकी हौरमुसजी घर्दा** बनाम **मेहरबान रुस्तम इरानी** ;	15
[2008]	ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1731 : **एस. के. अलघ** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	14
[2008]	(2008) 5 एस. सी. सी. 668 : **मकसूद सैयद** बनाम **गुजरात राज्य** ;	13
[1993]	(1993) 3 एस. सी. सी. 54 = 1993 क्रिमिनल ला जर्नल 2888 (एस. सी.) : **राधे श्याम खेमका** बनाम **बिहार राज्य** ।	12

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 144.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री सी. वी. मनुविल्सन, पी. सी. अनिल कुमार, टी. के. सुजीत, (सुश्री) के. विद्या और एम. वी. विपिन दास

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती एम. के. पुष्पलता (ज्येष्ठ लोक अभियोजक)

आदेश

यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन पुलिस थाना त्रिकक्कारा में अपराध मामला संख्या 829/2016 में की गई प्रथम इत्तिला रिर्पोट (उपाबंध ए-2) को अभिखंडित कराने के लिए फाइल किया गया है ।

2. उपरोक्त मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420 के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "शिकायतकर्ता" निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा की गई शिकायत (उपाबंध ए-1) के आधार पर दर्ज कराया गया है ।

3. शिकायत (उपाबंध ए-1) में सारभूत कथन इस प्रकार है : प्रथम अभियुक्त एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है । तीसरा अभियुक्त, प्रथम अभियुक्त कम्पनी का निदेशक है । शिकायत कर्ता ने प्रथम अभियुक्त के साथ अपार्टमेंट संख्या 1306 क्रय करने के लिए एक करार निष्पादित किया जिसका निर्माण कार्य कम्पनी को सौंपा गया था । शिकायत कर्ता ने इस कम्पनी को कुल मिलाकर 32 लाख रुपए का संदाय किया । इस करार के अनुसार अपार्टमेंट का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में निष्पादित किए गए करार के दस महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था । तथापि, अभियुक्त इस करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं कर सका और अपार्टमेंट का निर्माण कार्य तय की गई समय अवधि में पूरा नहीं हो सका । शिकायत कर्ता और अभियुक्त द्वारा तारीख 10 सितबंर 2015

को नया करार निष्पादित किया गया । इस करार के अनुसार, यह निर्माण कार्य पूरा किया जाना था और इसका कब्जा तारीख 31 जुलाई, 2016 को इसके पूर्व शिकायत कर्ता को सौंपा जाना था । निकट भविष्य में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावना बहुत कम है । अभियुक्त ने शिकायत कर्ता को बेईमानी से पैसा हड़पने के लिए उकसाया है और उन्होंने अनुचित लाभ उठाया है । अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक/स्वामी और अन्य अभियुक्त ने मिली भक्त और षड्यंत्र रच कर शिकायत कर्ता के साथ छल किया है और कम्पनी के नाम धन का दुरुपयोजन किया है ।

4. उपाबन्ध ए-1 में यह कथन किया गया है कि तृतीय अभियुक्त, प्रथम अभियुक्त अर्थात् कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक है । अन्य अभियुक्तों का प्रथम अभियुक्त के साथ जो सम्बन्ध है उसे शिकायत के शीर्षक में ही उल्लिखित किया गया है । यह कथन किया गया है कि द्वितीय अभियुक्त अध्यक्ष है और चौथा अभियुक्त संयुक्त प्रबंध निदेशक है और 'अभियुक्त-5 से अभियुक्त-8' और अभियुक्त-9 अर्थात् कम्पनी के निदेशक हैं ।

5. शिकायत अर्थात् उपाबंद ए-9 के अनुसार, अभियुक्त-4, अभियुक्त-6, अभियुक्त-7 और अभियुक्त-8 इस मामले में आवेदक हैं । इन्होंने यह आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपने विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिर्पोट (उपाबन्ध ए-2) इस आधार पर अभिखण्डित कराने के लिए फाइल की है कि वे कम्पनी अर्थात् अभियुक्त-9 के निदेशक नहीं हैं ।

6. अवेदकों के विद्वान् काउंसेल और विद्वान् लोक अभियोजक की सुनवाई की गई हैं ।

7. अवेदकों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि आवेदक इस कम्पनी के निदेशक नहीं हैं और उन्हें कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्य और उसके प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है और इसी लिए उनके विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिर्पोट अभिखण्डित की जानी चाहिए ।

8. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध ए-2) के अनुसार आवेदक-1 से आवेदक-3 इस मामले में अभियुक्त-4, अभियुक्त-6 और अभियुक्त-7 हैं । आवेदक-4 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त नहीं है । तथापि, उसे शिकायत (उपाबंध ए-1) में अभियुक्त-8 दर्शाया गया है ।

9. आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं कि वे कंपनी (अभियुक्त-1) के निदेशक नहीं हैं । आवेदक कंपनी रजिस्ट्रार के यहां से प्रमाणिक दस्तावेज यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सके कि वे कंपनी (अभियुक्त-1) के निदेशक उस समय नहीं थे जब कंपनी के विरुद्ध अभिकथित अपराध कारित हुआ था । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे दस्तावेजों की अनुपस्थिति में इस आधार पर आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए आनत नहीं हूं कि वे सुसंगत समय के दौरान इस कंपनी के निदेशक नहीं थे ।

10. तथापि, आवेदक-1 से आवेदक-3 के विरुद्ध कार्यवाही अन्य कारण के आधार पर अभिखंडित किए जाने योग्य है । शिकायत (उपाबंध ए-1) में कोई भी ऐसा प्रकथन नहीं किया गया है कि आवेदकों ने शिकायत कर्ता और अभियुक्त कंपनी के बीच किए गए करार पर हस्ताक्षर किए थे या उसे निष्पादित किया था । शिकायत (उपाबंध ए-1) में कंपनी के कामकाज के संचालन से संबंधित आवेदकों की भूमिका को लेकर कोई भी विशिष्ट प्रकथन नहीं किए गए हैं । उपाबंध ए-1 में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि आवेदकों ने कोई भी अपराध कारित किया है । शिकायत (उपाबंध ए-1) में तनिक भी यह उल्लेख नहीं है कि आवेदकों ने ऐसा कोई भी कृत्य किया है जिससे उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध बनता हो ।

11. यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि सुसंगत समय के दौरान आवेदक पृथक् अभियुक्त अर्थात् कंपनी के निदेशक थे, तब अभियुक्त कंपनी द्वारा अभिकथित रूप से दंड संहिता के अधीन कारित अपराध के लिए उनका प्रतिनिधिक दायित्व नहीं बनता है ।

12. **राधे श्याम खेमका** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

---

[1] (1993) 3 एस. सी. सी. 54 = 1993 क्रिमिनल ला जर्नल 2888 (एस. सी.).

"ऐसी कंपनी के कामकाज की देखरेख करने वाले व्यक्ति उस कंपनी के विधिक अस्तित्व और निगमित व्यक्तित्व का प्रयोग उन्हें दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए अभियोजन से बचाने के लिए ढाल के रूप में नहीं कर सकते, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कंपनी के निगमन और अस्तित्व का प्राथमिक उद्देश्य जनता को कपट-वंचित करना हो ...। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए अभियोजन हेतु शिकायत कर्ता को अभियुक्त के विरुद्ध उनके कृत्यों और लोपों के आधार पर अपराध के भिन्न-भिन्न संघटकों को पूरा करते हुए प्रथमदृष्ट्या मामला साबित करना चाहिए । यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दंड संहिता के अधीन अपराधों और ऐसे कृत्यों और लोपों के बीच मूल अंतर होता है जिन्हें भिन्न-भिन्न अधिनियमों और कानूनों के अधीन दंडनीय बनाया गया है जिनका संबंध ऐसे विधान से होता है जो सामाजिक कल्याण की प्रकृति का होता है । ऐसे कृत्यों और लोपों के संबंध में आरोप विरचित करने के लिए बहुत से मामलों में आपराधिक मन:स्थिति आवश्यक संघटक नहीं हैं ; इस कानून के अधीन ऐसे व्यक्तियों पर दायित्व अधिरोपित होता है जिनका संबंध कानूनी उपबंधों का अनुसरण करते हुए कंपनी के प्रबंधन से होता है और जब किसी कानून का भंग या अतिक्रमण हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति दंडित किए जाने योग्य होते हैं । किन्तु दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित करने हेतु आपराधिक मन:स्थिति वाला पारंपरिक नियम का अनुसरण किया जाना चाहिए ।"

13. **मकसूद सैयद** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

"कंपनी के प्रबंधक निदेशक और निदेशक का प्रतिनिधिक दायित्व तब बनता है जब इस संबंध में कानून में कोई उपबंध विद्यमान हो । इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसे प्रतिनिधिक

---

[1] (2008) 5 एस. सी. सी. 668.

दायित्व से संबंधित उपबंध होना चाहिए । उक्त प्रयोजन के लिए भी शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा अभिकथन करे जिसके आधार पर प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित उपबंध लागू किए जा सकें ।"

14. **एस. के. अलघ** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

"स्वीकृतत: कंपनी के नाम में ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, यदि अपीलार्थी प्रबंध निदेशक था, तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध कारित किया है । जब कभी कानून में ऐसे कोई विधिक कल्पना पैदा होती है, तब इसका उपबंध विशेष रूप से किया जाता है । कानून के अधीन अधिकथित किसी उपबंध की अनुपस्थिति में कंपनी का निदेशक या कर्मचारी को स्वयं कंपनी द्वारा कारित किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ...। कंपनी के कार्यकलाप और उसके नियंत्रण से संबंधित व्यक्ति को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए विधिक दायित्व के लिए कंपनी के साथ जिम्मेदार ठहराया गया है किन्तु दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के संबंध में कंपनी के निदेशक और अधिकारियों को प्रतिनिधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।"

15. **केकी हौरमुसजी घर्दा** बनाम **मेहरबान रुस्तम इरानी**[2] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :-

"भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन कुछ मामलों को छोड़कर किसी व्यक्ति पर प्रतिनिधिक दायित्व अनुध्यात नहीं किया गया है । कानून के उपबंधों के निबंधनों में विधिक कल्पना या प्रतिनिधित्व दायित्व के आधार पर किसी अपराध का कारित किया

---

[1] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1731.

[2] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2594.

जाना स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए । कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक के संबंध में मात्र इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कंपनी का कामकाज करते हुए अपराध कारित किया है ।"

16. **सुनील भारती मित्तल** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

"निस्संदेह निगमित कंपनी, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष आदि के माध्यम से काम करता है यदि ऐसी कंपनी ऐसा कोई अपराध कारित करती है जिसमें आपराधिक मन:स्थिति हो, तब आम तौर पर उस व्यक्ति के आशय और कृत्य पर विचार किया जाएगा जिसने कंपनी की ओर से कार्य किया है । ऐसा तब अधिक किया जाता है जब आपराधिक कृत्य षड्यंत्र से संबंधित होता है । तथापि, साथ ही आपराधिक न्याय शास्त्र का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि तब तक प्रतिनिधिक दायित्व नहीं बनता है जब तक कि कानून में विशिष्ट रूप से ऐसा उपबंध न किया गया हो । इस प्रकार, उस व्यक्ति को जिसने कंपनी की ओर से अपराध कारित करने का षड्यंत्र रचा है, कंपनी के साथ अभियुक्त बनाया जा सकता है यदि उस व्यक्ति द्वारा आपराधिक आशय के साथ किए गए कृत्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है । दूसरी स्थिति जिसमें ऐसे व्यक्ति को अपराध में आलिप्त किया जा सकता है, ऐसे मामलों में होती है जिनमें प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत स्वयं कानूनी तौर पर ऐसे उपबंध को विशिष्ट रूप से निगमित किए जाने के आधार पर लागू होता है । जब कंपनी अपराधी है, तब इसके निदेशकों का प्रतिनिधिक दायित्व इस संबंध में कानूनी उपबंध के अभाव में स्वत: समाप्त नहीं किया जा सकता ।"

---

[1] ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 923.

17. **शिव कुमार जटिया** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को निम्न रूप में दोहराया है :–

> "कोई व्यक्ति चाहे वह कंपनी का प्रबंध निदेशक हो या अध्यक्ष, कंपनी के साथ अभियुक्त बनाया जा सकता है यदि उस व्यक्ति द्वारा आपराधिक आशय के साथ अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिए जाने को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो । इसके अतिरिक्त अभिकथित आपराधिक आशय का सीधा संबंध अभियुक्त से हो ।"

18. इस संबंध में सिद्धांत निम्न प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है : जब किसी कपंनी द्वारा अपराध कारित किया जाता है तब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन कंपनी के निदेशकों से संबंधित प्रतिनिधिक दायित्व को लेकर कोई भी उपबंध नहीं है । कानून के अधीन कोई भी उपबंध अधिकथित न किए जाने की स्थिति में कंपनी के निदेशक या कर्मचारी को स्वयं कंपनी द्वारा कारित किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । किसी कंपनी के निदेशक का प्रतिनिधिक दायित्व तब बनता है जब इस संबंध में कानून में विशिष्ट उपबंध हों । कानून में ऐसे प्रतिनिधिक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट किए जाने चाहिएं । फिर भी शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह शिकायत में ऐसे अभिकथन करे जिनके आधार पर कंपनी के निदेशकों पर प्रतिनिधिक दायित्व बनता हो । जब कंपनी अपराधी साबित हो जाती है, तब कंपनी के निदेशकों का प्रतिनिधिक दायित्व इस संबंध में कानूनी उपबंध न होने की स्थिति में, स्वत: समाप्त नहीं हो सकता । अन्यथा भी कंपनी के निदेशक या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन से अभिकथित रूप से संबद्ध हो, कोई विशिष्ट कृत्य कारित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह कंपनी द्वारा कारित किए गए कृत्य के लिए जिम्मेदार है । अपराध

---

[1] ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 4463.

विधि के अधीन प्रतिनिधिक दायित्व तब तक नहीं बन सकता जब तक कि इस संबंध में कानून उपबंधित न हो । किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के साथ अभियुक्त केवल तब बनाया जा सकता है जब इस संबंध में पर्याप्त सामग्री हो कि उसने आपराधिक आशय के साथ अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया है ।

19. वर्तमान मामले में, शिकायत (उपाबंध ए-1) में आवेदक-1 से आवेदक-3 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन अपराध से संबंधित विशिष्ट अभिकथन न किए जाने की स्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध ए-2), जो कि इसी शिकायत पर आधारित है, अभिखंडित की जानी चाहिए । चूंकि आवेदक-4 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध ए-2) के अनुसार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, इसलिए इस आवेदन में मांगा अनुतोष मंजूर नहीं किया जा सकता ।

20. उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या शिकायत (उपाबंध ए-1) में किए गए प्रकथन से दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन दंडनीय अपराध के संघटक गठित होते हैं या नहीं ।

21. परिणामत: आवेदन भागत: मंजूर किया जाता है । पुलिस थाना त्रिकक्कारा में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 829/2016 (उपाबंध ए-2) के अनुसरण में आवेदक-1 से आवेदक-3 के विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा अभिखंडित की जाती हैं ।

आवेदन भागत: मंजूर किया गया ।

अस.

सूर्य देव यादव और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(2013 की दांडिक अपील सं. 900)

तारीख 3 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जायसवाल

दंड संहिता (1860 का 45) – धारा 302 और 34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27] – हत्या – अभियुक्तों द्वारा हथियारों से लैस होकर मृतक पर हमला करना – मृतक को घसीटते हुए दूर ले जाकर उस पर गोली चलाना – मृतक के पिता, माता और पत्नी की प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षा – विचारण न्यायालय द्वारा दोषासिद्धि और दंडादेश – चुनौती – यद्यपि मृतक का पिता-सूचना देने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित था किन्तु उसके द्वारा घटनास्थल पर किसी अभियुक्त की शनाख्त न की जानी – उसके द्वारा यह कथन किया जाना कि घटनास्थल पर उसके और मृतक के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था – यह कथन अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के संबंध में गंभीर रूप से संदेह उत्पन्न करता है – सूचना देने वाले व्यक्ति के फर्दबयान को लेखबद्ध किए जाने के संबंध में अन्वेषण अधिकारी और सूचना देने वाले व्यक्ति के कथनों में गंभीर विरोधाभास है, अत: अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे मामला स्थापित करने में असफल रहा है और अभियुक्त संदेह के फायदे के हकदार हैं ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 27 जनवरी, 2001 को रात्रि लगभग 8.00 बजे पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह अभि. सा. 7, थाना प्रभारी, ओबरा पुलिस थाना ने अभि. सा. 4-सीता बैठा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम लूका, पुलिस थाना पौथु, जिला औरंगाबाद के फर्दबयान को अभिलिखित किया था । अभि. सा. 4 सीता बैठा ने अपना फर्दबयान सौहारसी बधार

में स्थित कोजारी पिंड नामक स्थान पर अपने पुत्र अशोक बैठा, उम्र लगभग 26 वर्ष के मृत शरीर के समीप लेखबद्ध कराया था । अपने फर्दबयान में अभि. सा. 4 ने यह कथन किया कि उसी तारीख को अपराह्न लगभग 3.45 बजे वह अपने पुत्र के साथ धान की कुटाई कर रहा था जब अपीलार्थी सं. 1 सूर्य देव यादव, अपीलार्थी सं. 2 सूर्य नाथ यादव और अपीलार्थी सं. 3 अक्षय यादव, जो तीनों दिवंगत श्री सुखलाल यादव के पुत्र हैं, निवासी ग्राम लूका, पुलिस थाना पौथु जिला औरंगाबाद अपने-अपने दाएं हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए 2 अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के साथ खलिहान में पहुंचे और उन्होंने उसके पुत्र अशोक बैठा को पकड़ लिया और इसके पश्चात् उसे घसीटते हुए लगभग आधा किलोमीटर दूर सौहारसी बधार के पश्चिम की ओर तथा वहां कौनहारी के पीछे ले जाकर उन्होंने उसके पुत्र पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात् वे सभी ग्राम राजूबीघा की ओर भाग गए । उसके पश्चात् सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह कथन किया कि वह लूका जल प्रताप के ऊपर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगा किन्तु कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया । इसके पश्चात् गोलियां चलने की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामों, अर्थात् सिढुई, दिनग्राह, घुरदोर और लूका के कुछ ग्रामीण व्यक्ति वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने वहां से भागते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को देखा और उनकी पहचान की और जो पूछे जाने पर इस बात की तस्दीक करेंगे । सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह और कथन किया उसने घटना की तारीख अपराह्न 4.00 बजे दो गोलियां चलने की आवाज सुनी थी । उक्त घटना के पश्चात् सूचना देने वाला व्यक्ति लूका जल प्रताप से नीचे आया और वह अपने मृतक पुत्र के समीप जाने की बजाय पुलिस थाना पौथु चला गया । सूचना देने वाले व्यक्ति ने इस घटना के संबंध में यह कारण बताया कि कमलेश यादव नामक एक ग्रामीण की हत्या के मामले में वर्तमान मामले के अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके मृतक पुत्र को नामजद किया था और उक्त तारीख से पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति उसके पुत्र से वैर रखते थे । फर्दबयान में यह और कथन किया गया कि पौथु पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले व्यक्ति को ओबरा पुलिस थाने लेकर आया था । जहां सूचना

देने वाले व्यक्ति ने प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान दर्ज किया । उक्त फर्दबयान को उसको पढ़कर सुनाया गया था और उसे ठीक पाए जाने पर उसने उस पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया था । उक्त फर्दबयान के आधार पर उसी तारीख, अर्थात् तारीख 27 जनवरी, 2001 को रात्रि लगभग 11.00 बजे ओबरा पुलिस थाने के वर्ष 2001 के मामला सं. 13 के रूप में दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए सभी तीन अपीलार्थियों और दो अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् तारीख 5 मई, 2001 को सभी अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद ने तारीख 30 जून, 2001 को उपर्युक्त अपराधों का संज्ञान लिया । यह मामला तारीख 19 जनवरी, 2002 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया और उसे वर्ष 2002 के सेशन विचारण सं. 29 के रूप में संख्यांकित किया गया और उसके पश्चात् तारीख 22 जून, 2002 को सभी तीन अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिससे अभियुक्त व्यक्तियों ने इनकार किया और विचारण का दावा किया । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् तीनों अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर तीनों अपीलार्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में 2013 की दांडिक अपील सं. 900 फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के साथ ही अभिलेख पर विद्यमान संपूर्ण साक्ष्य की गहराई से समीक्षा की है और उसका परिशीलन करने के पश्चात् प्रथमदृष्ट्या रूप से हमारी राय यह है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित करने में असफल रहा है । तथापि, आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व साक्ष्य के संबंध में चर्चा करना आवश्यक होगा । विचारण के दौरान सूचना देने वाला मृतक के पिता सीता बैठा की अभि.

सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई थी और अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर वह अपने खलिहान में उपस्थित था और धान की कुटाई कर रहा था । उक्त खलिहान में सभी तीन अपीलार्थी अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए पहुंचे और उन्होंने उसके पुत्र अशोक बैठा (मृतक) को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए और इसके पश्चात् उन्होंने उस पर गोलियां चलाई । उसके पुत्र की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई । शोर-शराबा सुनकर वह और कुछ अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि अशोक बैठा (मृतक) को गोली लगने से क्षति पहुंची है । अपने साक्ष्य के पैरा 3 में मृतक के पिता ने यह कथन किया है कि ओबरा पुलिस थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और जिसके समक्ष उसने अपना फर्दबयान दिया था जिसे पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया और उसे पढ़कर सुनाया गया तथा उसे सही पाए जाने पर उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था । पैरा 4 में उसने यह कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों के पास उक्त अपराध को करने का कोई हेतु नहीं था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में उसने यह कथन किया कि उसका खलिहान, जहां वह उपस्थित था मुख्य ग्राम से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में इसने यह कथन किया कि यह सही नहीं है कि अपने फर्दबयान में उसने यह कथन किया है कि लूका जलप्रपात से अपने मृत पुत्र के पास जाने की बजाय वह पौथु पुलिस थाने गया था । फर्दबयान के परिशीलन पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने पैरा 15 में अपने फर्दबयान में किए गए कथन से विपरीत कथन किया है । फर्दबयान में इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि लूका जलप्रपात से अपने मृत पुत्र के समीप जाने की बजाय वह वहां से सीधा पौथु पुलिस थाने गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में उसने यह और कथन किया है कि अपने फर्दबयान में उसने यह कथन नहीं किया था कि जब उसने लूका जलप्रपात पर चढ़कर शोर मचाया था तो वहां कोई नहीं आया था । उसका यह कथन भी उसके द्वारा फर्दबयान में प्रकट किए गए तथ्य से विपरीत है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 18 में इसने यह कथन किया है कि उसने अपना कथन पौथु पुलिस थाने में दिया था

जिसे लेखबद्ध किया गया था किन्तु वह उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगाया था । उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 18 में उसके द्वारा किए गए कथन की परीक्षा पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वह घटनास्थल से पहले पौथु पुलिस थाने गया था जहां उसने अपना कथन दिया था । साक्ष्य में पौथु पुलिस थाने के किसी भी पुलिस अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर लाया गया है कि पौथु पुलिस थाने में सूचना देने वाले व्यक्ति ने प्रथमत: किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम को प्रकट किया था । यदि वर्तमान मामले में सूचना देने वाले व्यक्ति ने घटनास्थल और घटना के समय पर अपीलार्थियों की पहचान कर ली होती तो जैसाकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह प्रथमत: पौथु पुलिस थाने गया था और वहां उसने अपना कथन दिया था, उस दशा में उसने निश्चित रूप से उस पुलिस थाने में अपीलार्थियों के नामों को हमलावरों के रूप में प्रकट किया था । यदि ऐसा होता तो पौथु पुलिस थाने द्वारा ओबरा पुलिस थाने को भेजे गए वायरलैस संदेश में इस तथ्य का निश्चित रूप से कथन किया गया होता । फिर भी ओबरा पुलिस कार्मिक उस वायरलैस संदेश के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचे और सूचना देने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में वे मृतक के शव को ओबरा पुलिस थाने ले आए । यह तथ्य अभि. सा. 7-अजय कुमार सिंह, ओबरा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जिसने फर्दबयान लेखबद्ध किया था और साथ ही मामले का अन्वेषण भी किया था, के साक्ष्य से प्रकट हुआ है । उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह और कथन किया है कि वह पौथु पुलिस थाने के एक पुलिस पदधारी के साथ लूका जलप्रपात गया तथा वहां उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके पुत्र के शव को ओबरा पुलिस थाने के पुलिस कार्मिकों द्वारा ले जाया गया है क्योंकि वह खेत जहां शव पाया गया था ओबरा पुलिस थाने की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आता है । उसके पश्चात् सूचना देने वाला व्यक्ति ओबरा पुलिस थाने गया और पौथु पुलिस थाने का पुलिस पदधारी वहां से वापस अपने पुलिस थाने चला गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में उसने आगे यह और कथन किया है कि जब वह पुलिस

के साथ पौथु पुलिस थाने से लूका जलप्रपात के समीप पहुंचा था उस समय रात्रि के 8-9 बज चुके थे । उसने उसी पैरा में यह और स्पष्ट किया कि उस समय लूका जलप्रपात पर कोई अन्य ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित नहीं था । लूका जलप्रपात से वह पहले अपने ग्राम वापस आया था । उसके ग्राम में चौकीदार रामधर जिसकी परीक्षा नहीं की गई है, ने उसे यह सूचित किया कि उसके पुत्र के शव को ओबरा पुलिस थाने के पुलिस पदधारी ले गए थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 22 में उसने यह और कथन किया है कि उसके पुत्र के शव के साथ कोई भी ग्रामीण व्यक्ति पुलिस थाने नहीं गया था । उसके पश्चात्, अभि. सा. 4-सूचना देने वाला व्यक्ति हाथ में एक लालटेन लेकर अकेला ओबरा पुलिस थाने गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 26 में उसने यह कथन किया है कि जब वह रात्रि 9 और 10 बजे के बीच ओबरा पुलिस थाने पहुंचा तो उसके पुत्र का शव पुलिस थाने के एक यान में रखा हुआ था । पैरा 27 में, उसने यह और स्पष्ट किया कि अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के ग्राम से ओबरा पुलिस थाना लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 28 में उसने यह और कथन किया कि जब वह ओबरा पुलिस थाने पहुंचा और यह प्रकट किया कि वह मृतक का पिता है और वह पैदल-पैदल वहां पहुंचा है तो वहां के थाना प्रभारी अधिकारी ने उसे बताया कि वे उसे ढूंढ रहे थे । अभि. सा. 4 पूरी रात पुलिस थाने में ही रहा और तब तक कोई भी अन्य ग्रामीण व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 30 में उसने यह कथन किया है कि दरोगा जी ने उसके कथन को रात्रि में ही लेखबद्ध कर लिया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 32 और 33 में उसने यह और कथन किया है कि अगली प्रात: उसके पुत्र के शव को शव-परीक्षा हेतु औरंगाबाद भेजा गया था और उसके पश्चात् ओबरा पुलिस ने उसे कभी भी नहीं बुलाया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 35 में उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसका मृत पुत्र कमलेश यादव की हत्या के मामले में अभियुक्त था और उस मामले का विचारण चल रहा था । उसने यह और कथन किया कि वह इस बात से अवगत नहीं था कि क्या अपीलार्थी सं. 2-सूर्यनाथ यादव ने अपने भाई कमलेश यादव की हत्या के संबंध में

रफीगंज पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 के रूप में एक मामला दर्ज किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 46 में उसने इस बात से भी इनकार किया था कि उसका पुत्र पुलिस दल पर हमला करने के आरोप के संबंध में गोह पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 53 में भी एक अभियुक्त था । उसे यह सुझाव दिया गया था कि उसके पुत्र की हत्या कुछ अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी और अपनी निजी शत्रुता के कारण सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपीलार्थियों के विरुद्ध वर्तमान मामला दायर किया था, तथापि, उसने इस सुझाव से इनकार किया था । अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य की समीक्षा करते समय यह आवश्यक होगा कि हम अन्वेषण अधिकारी अजय कुमार सिंह, जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई है, के अभिसाक्ष्य में प्रकट किए गए तथ्यों को ध्यान में लें । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि तारीख 27 जनवरी, 2001 को वह ओबरा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी था । अपने साक्ष्य में उसने फर्दबयान को साबित किया है, जो उसने स्वयं लिखा था और हस्ताक्षरित किया था और वह प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित था । उसने फर्दबयान पर किए गए अपने हस्ताक्षर और उसके परेषण को भी साबित किया जो प्रदर्श 6/ए के रूप में चिन्हित है । इसके अतिरिक्त, उसने साक्षी अरबिंद (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है) के फर्दबयान पर किए गए हस्ताक्षर जो प्रदर्श 6/बी के रूप में चिन्हित है, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श 1/ए, अभिग्रहण सूची, प्रदर्श 2/ए और शव के चालान, प्रदर्श 4/ए को भी साबित किया है । उसने यह कथन किया कि उसने फर्दबयान, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तथा शव चालान को तैयार किया था और शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा था और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था । अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 6 में उसने यह कथन किया कि उसने अभि. सा. 1 लाल मोहन राम, अभि. सा. 3 सुगिया देवी, अभि. सा. 5 सुनीता देवी, कंचन कुमारी जिसकी परीक्षा नहीं की गई थी और साक्षी सीता पासवान, जो अब प्रति. सा. 3 है, के कथनों को लेखबद्ध किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया कि सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल तक गया था । उसने यह कथन किया कि घटना के संबंध में

उसे सूचना पुलिस पैट्रोलिंग दल और साथ ही पौथु पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के वायरलैस संदेश से प्राप्त हुई थी । उस समय उसे यह सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि इस घटना के दौरान अशोक बैठा की हत्या कर दी गई थी । सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसने स्टेशन डायरी में प्रविष्टि की थी । वायरलैस से संदेश प्राप्त होने के पश्चात् उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को संपर्क नहीं किया था । उसने आगे यह और कथन किया कि उसे अभि. सा. 4 सीता बैठा, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचित किया गया था कि वह पौथु पुलिस थाने गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 4 सीता बैठा को पौथु पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी घटनास्थल पर लेकर आया था । उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के कथन को लेखबद्ध नहीं किया था । पौथु पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचा था । उसने यह और कथन किया कि उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया था कि क्या उसने सीता बैठा के फर्दबयान को लेखबद्ध किया था अथवा नहीं । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से इस संबंध में पूछताछ की थी और पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने उसे यह उत्तर दिया था कि सीता बैठा ने अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कथन लेखबद्ध कराया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के तुरंत पश्चात् वह अपने पुत्र के शव के समीप जाने की बजाय पौथु पुलिस थाने गया था और उसके पश्चात् वह पौथु पुलिस के साथ वापस घटनास्थल पर आया था । घटनास्थल से वह अपने ग्राम गया और अपने ग्राम से वह अकेला पैदल ही ओबरा पुलिस थाने की ओर गया जहां उसने अपना कथन लेखबद्ध कराया । सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी सत्य कथन नहीं कर रहा है या फिर सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं मिथ्या कथन कर रहा है । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया

है कि जब उसने अभि. सा. 4-सीता बैठा के फर्दबयान को लेखबद्ध किया था, उस समय आस-पास के 8-10 व्यक्ति वहां उपस्थित थे जबकि यह तथ्य सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके साक्ष्य में कथित नहीं किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में उसने घटनास्थल का विस्तृत वर्णन किया और यह बताया कि खलिहान राम प्रवेश सिंह नामक व्यक्ति का था, तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने राम प्रवेश सिंह की परीक्षा नहीं की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसने यह लेखबद्ध किया था कि मृत व्यक्ति एम. सी. सी. (एक प्रतिषिद्ध संगठन) का सदस्य था और पूर्व में अनेकों बार वह कारागार जा चुका था और आस-पास के लोग उससे डरते थे और इस डर के कारण ही कोई उसके विरुद्ध बात नहीं करता था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में उसने आगे यह और कथन किया कि एम. सी. सी. और सी. पी. आई. (एम. एल.) के बीच परस्पर विवाद था और इस बात की संभावना थी कि उक्त घटना उस विवाद के फलस्वरूप घटित हुई है । मृतक को अनेक मामलों में आरोपी बनाया गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 मृतक की माता और अभि. सा. 5 मृतक की पत्नी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं किन्तु अन्य ग्रामीणों ने यह कथन किया है कि घटना के समय अभियुक्त व्यक्ति गांव में ही थे । मृतक की माता अभि. सा. 3-सुगिया देवी ने अपने साक्ष्य में यह दावा किया है कि संपूर्ण घटना उसकी उपस्थिति में ही घटित हुई थी । उसके साक्ष्य के अनुसार केवल तीन अपीलार्थी ही खलिहान में आए थे और उन्होंने पीछे से उसके पुत्र को दबोच लिया था और उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए थे और यह पूर्ण घटना उसकी उपस्थिति में घटित हुई थी । अपीलार्थी सं. 1-सूर्य देव यादव ने उसके सामने ही उसके पुत्र पर गोली चलाई थी । यद्यपि अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया कि वहां केवल तीन अभियुक्त व्यक्ति ही उपस्थित थे जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी हैं, वहीं सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या पांच थी, अर्थात् तीन अपीलार्थी और दो अज्ञात व्यक्ति । इसी बात को अभि. सा. 3 ने अपनी

प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में दोहराया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि कुल तीन अभियुक्त व्यक्ति खलिहान में आए थे । पैरा 9 में इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि उसका मृतक पुत्र ओबरा पुलिस थाने के वर्ष 2001 के मामला सं. 5, रफीगंज पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 और गोह पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 53 में अभियुक्त था और यह सभी मामले उग्रवादी समूह से संबंधित थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में साक्षी का ध्यान अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए उसके पूर्व कथन की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें उसने यह कथन किया था कि अपराह्न तीन बजे के पश्चात् वह खलिहान से वापस घर लौट रही थी और उस समय तक यह घटना घटित नहीं हुई थी और न ही उसने कुछ देखा था, यद्यपि उसने इस तथ्य से इनकार किया था किंतु अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की मुख्य परीक्षा के पैरा 19 में यह स्पष्ट है कि पुलिस के समक्ष उसने इस तथ्य का कथन किया था कि वह घटना घटित होने से पहले ही खलिहान से वापस आ गई थी । तद्नुसार अभि. सा. 3-सुगिया देवी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मृतक की पत्नी अभि. सा. 5-सुनीता देवी ने अपने साक्ष्य के पैरा 1 में यह कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर वह खलिहान में उपस्थित थी और वहां वह अपनी सास, ससुर, पति और ननद (उसके पति की बहन) के साथ धान की कुटाई कर रही थी । उसने यह कथन किया है कि तीनों अपीलार्थी खलिहान में आए और उन्होंने उसके पति अशोक बैठा को दबोच लिया । उन्होंने उस पर अपनी बैल्टों द्वारा हमला करना आरंभ किया और फिर उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक खलिहान की पूर्वी दिशा की ओर ले गए जहां उन्होंने उसके पति की कनपटी और छाती पर गोलियां दागी और उसके पति की हत्या कर दी । पैरा 2 में उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने वहां पहुंच कर उससे पूछताछ की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में उसका ध्यान उसके पूर्ववर्ती कथन की ओर आकर्षित किया गया था कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन नहीं किया था कि जब वह खलिहान में उपस्थित थी उस समय अभियुक्त व्यक्ति पहुंचे थे और उन्होंने उसके पति को दबोच

कर बैल्टों से उस पर हमला करना आरंभ कर दिया था और उसके पश्चात् वे उसे घसीट कर खलिहान की पूर्वी दिशा की ओर ले गए जहां उन्होंने उसकी कनपटी और छाती पर गोलियां दागी जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी । उसने उक्त सुझाव से इनकार किया था । तथापि, अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अन्वेषण के दौरान पूर्वोक्त तथ्य का कथन नहीं किया था । इसका अर्थ यह है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान इस कहानी को इस प्रकार गढ़ा है मानो वह स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित थी । अन्यथा भी इस साक्षी और साथ ही अभि. सा. 3 सुगिया देवी की खलिहान में उपस्थिति इस साधारण कारण से भी संदेहास्पद है कि मृतक के पिता सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय वह और मृतक अकेले ही खलिहान में उपस्थित थे । तद्नुसार मृतक की माता अभि. सा. 3 या मृतक की पत्नी अभि. सा. 5 में से किसी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अभि. सा. 1 लाल मोहन राम एक औपचारिक साक्ष्य है जिसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, जो प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित है तथा अभिग्रहण सूची, जो प्रदर्श-2 के रूप में चिन्हित है, पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को साबित किया है । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में उसने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अभिग्रहण सूची उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी, यह कथन किया है कि अभि. सा. 4 सीता बैठा ने पुलिस को यह सूचित किया था कि अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके पुत्र की हत्या की है और अभियुक्त व्यक्ति मौजा लूका के नहीं थे । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने घटना के समय पर ही किसी अभियुक्त व्यक्ति की शनाख्त नहीं की थी । अभि. सा. 2 राम नारायण सिंह एक अधिवक्ता लिपिक है और उसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित किया है, जो प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हित है । अभि. सा. 6 डा. अनूप कुमार सिन्हा तारीख 27 जनवरी, 2001 और तारीख 28 जनवरी, 2001 को सदर अस्पताल, औरंगाबाद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे और उन्होंने मृतक के शव की

शव-परीक्षा की थी और उसने उस शव-परीक्षा रिपोर्ट की तस्दीक की थी, जो प्रदर्श-4 के रूप में चिन्हित है । चूंकि मृत्यु का कारण गोली लगना था । इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है इसलिए मृतक के शव पर पाई गई क्षतियों के ब्यौरों के संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि, शव-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय एक त्रुटि हुई थी जिसमें शव-परीक्षा की तारीख को 27 जनवरी, 2001 के रूप में उल्लिखित किया गया था जबकि वास्तव में शव-परीक्षा तारीख 28 जनवरी, 2001 को की गई थी जिसके संबंध में स्वयं अभि. सा. 6 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है । निस्संदेह रूप से किसी दांडिक विचारण में किसी प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रति. सा. 3 सीताराम पासवान के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है । प्रति. सा. 3 सीताराम पासवान की परीक्षा अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई थी और उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया था । तथापि, अभियोजन पक्ष ने न जाने किस कारण से उसकी परीक्षा अभियोजन साक्षी के रूप में नहीं की थी और इस प्रकार उसकी परीक्षा एक प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में की गई थी । अपने प्रतिरक्षा साक्ष्य के दौरान उसने यह कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में उसने यह कथन किया था कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने स्वयं खलिहान में ही उसे यह बताया था कि पांच अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त अपराध किया था । इसके अलावा, प्रति. सा. 2 शिवनंदन सिंह ने अभिलेख पर पौथु पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति को रखा है जिसे प्रदर्श-ए के रूप में चिन्हित किया गया है और साथ ही उक्त मामले में दाखिल किए गए आरोप पत्र को भी अभिलेख पर लाया गया है, जो प्रदर्श ए/1 के रूप में चिन्हित है । यह दोनों प्रदर्श यह सुझाव देते हैं कि मृतक के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए उपरोक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था । इसके अतिरिक्त अन्वेषण अधिकारी ने मृतक के अपराधिक पूर्ववृत और उसके एक

प्रतिषिद्ध संगठन के साथ सहबद्ध होने के संबंध में अपने साक्ष्य में विस्तृत जानकारी दी है । संपूर्ण पूर्वोक्त साक्ष्य की परीक्षा करने पर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यद्यपि सूचना देने वाला व्यक्ति घटना घटित होने के समय घटनास्थल पर उपस्थित था किन्तु उसने किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं की थी । यह भी प्रकट होता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के सिवाय घटनास्थल पर और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था । अभियोजन का पक्षकथन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गंभीर रूप से संदेह के घेरे में आ जाता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने फर्दबयान घटनास्थल, अर्थात् लूका जलप्रपात के समीप लेखबद्ध किया था, तथापि, सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् वह प्रथमत: पौथु पुलिस थाने गया था जहां से वह घटनास्थल पर वापस आया था जहां उसे ग्राम के चौकीदार ने यह सूचना दी थी कि उसके पुत्र के मृतक शरीर को पहले ही ओबरा पुलिस थाने ले जाया जा चुका है । उसके पश्चात् वह अपने हाथ में लालटेन लेकर पैदल ही लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ओबरा पुलिस थाने पहुंचा जहां उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था । अभि. सा. 4 सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के उपस्थित होने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त स्थापित नहीं की गई थी, यह तथ्य अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि इस मामले में अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराना और दंडादिष्ट करना उचित नहीं है । उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनके संबंध में हमने ऊपर ब्यौरेवार चर्चा की है, हमारी सुविचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने पक्ष को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ है । तद्नुसार संदेह के फायदे को विस्तारित करते हुए विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-4, औरंगाबाद द्वारा 2002 के विचारण सं. 29 और 2010 के विचारण सं. 190 (ओबरा पुलिस थाने के वर्ष

2001 के मामला सं. 13 से उद्भूत होने वाले) में पारित तारीख 21 अगस्त, 2013 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 22 अगस्त, 2013 के दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है । सभी तीनों अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया है और सभी अपीलार्थी अभिरक्षा में हैं इसलिए यह निदेश दिया जाता है कि यदि उनकी आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है तो उन्हें तुरंत निर्मुक्त किया जाए । (पैरा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 900.

2010 के सेशन विचारण सं. 294 और 2010 के सेशन विचारण सं. 190 में विद्वान् तदर्थ सेशन न्यायाधीश-4, औरंगाबाद द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री अरशद आलम, अभिषेक नील, सुश्री अंजु प्रवीण और सुश्री मरिया नजीर
प्रत्यर्थी की ओर से	सहायक लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – तीन अपीलार्थियों, जो सगे भाई हैं, ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान अपील फाइल करके उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । तीनों अपीलार्थियों को तारीख 21 अगस्त, 2013 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 और साथ ही आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था । तारीख 22 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन

आजीवन कारावास का दंड दिया गया था और साथ ही उन पर 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर यह निदेश दिया गया था कि वे 6 मास का और साधारण कारावास का दंड भोगेंगे । आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सभी तीन अपीलार्थियों को उसी आदेश अर्थात्, तारीख 22 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा तीन साल के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और उनमें से प्रत्येक पर 3,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर यह निदेश दिया गया था कि वे 3 मास का और साधारण कारावास का दंड भोगेंगे । अपीलार्थियों को विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-4, औरंगाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विचारण न्यायाधीश' कहा गया है) द्वारा 2002 के सेशन विचारण सं. 29 और 2010 के सेशन विचारण सं. 190, जो पुलिस थाना ओबरा के वर्ष 2001 के मामला सं. 13 से उद्भूत हुए थे, में सिद्धदोष ठहराया गया था और दंडादिष्ट किया गया था ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 जनवरी, 2001 को रात्रि लगभग 8.00 बजे पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह अभि. सा. 7, थाना प्रभारी, ओबरा पुलिस थाना ने अभि. सा. 4- सीता बैठा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम लूका, पुलिस थाना पौथु, जिला औरंगाबाद के फर्दबयान को अभिलिखित किया था । अभि. सा. 4 सीता बैठा ने अपना फर्दबयान सौहारसी बधार में स्थित कोजारी पिंड नामक स्थान पर अपने पुत्र अशोक बैठा, उम्र लगभग 26 वर्ष के मृत शरीर के समीप लेखबद्ध कराया था । अपने फर्दबयान में अभि. सा. 4 ने यह कथन किया कि उसी तारीख को अपराह्न लगभग 3.45 बजे वह अपने पुत्र के साथ धान की कुटाई कर रहा था जब अपीलार्थी सं. 1 सूर्य देव यादव, अपीलार्थी सं. 2 सूर्य नाथ यादव और अपीलार्थी सं. 3 अक्षय यादव, जो तीनों दिवंगत श्री सुखलाल यादव के पुत्र हैं, निवासी ग्राम लूका, पुलिस थाना पौथु, जिला औरंगाबाद अपने-अपने दाएं हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए 2 अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के साथ खलिहान में पहुंचे और उन्होंने उसके पुत्र अशोक बैठा को पकड़ लिया और इसके

पश्चात् उसे घसीटते हुए लगभग आधा किलोमीटर दूर सौहारसी बधार के पश्चिम की ओर ले गए तथा वहां कौनहारी के पीछे ले जाकर उन्होंने उसके पुत्र पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात् वे सभी ग्राम राजूबीघा की ओर भाग गए । उसके पश्चात् सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह कथन किया कि वह लूका जलप्रपात के ऊपर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगा किन्तु कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया । इसके पश्चात् गोलियां चलने की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामों, अर्थात् सिढुई, दिनग्राह, घुरदोर और लूका के कुछ ग्रामीण व्यक्ति वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने वहां से भागते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को देखा और उनकी पहचान की और जो पूछे जाने पर इस बात की तस्दीक करेंगे । सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह और कथन किया कि उसने घटना की तारीख अपराह्न 4.00 बजे दो गोलियां चलने की आवाज सुनी थी । उक्त घटना के पश्चात् सूचना देने वाला व्यक्ति लूका जलप्रपात से नीचे आया और वह अपने मृतक पुत्र के समीप जाने की बजाय पुलिस थाना पौथु चला गया । सूचना देने वाले व्यक्ति ने इस घटना के संबंध में यह कारण बताया कि कमलेश यादव नामक एक ग्रामीण की हत्या के मामले में वर्तमान मामले के अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके मृतक पुत्र को नामजद किया था और उक्त तारीख से पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति उसके पुत्र से बैर रखते थे । फर्दबयान में यह और कथन किया गया कि पौथु पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले व्यक्ति को ओबरा पुलिस थाने लेकर आया था । जहां सूचना देने वाले व्यक्ति ने प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान दर्ज किया । उक्त फर्दबयान को उसको पढ़कर सुनाया गया था और उसे ठीक पाए जाने पर उसने उस पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया था ।

3. उक्त फर्दबयान के आधार पर उसी तारीख, अर्थात् तारीख 27 जनवरी, 2001 को रात्रि लगभग 11.00 बजे ओबरा पुलिस थाने के वर्ष 2001 के मामला सं. 13 के रूप में दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए सभी तीन अपीलार्थियों और दो अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक

औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् तारीख 5 मई, 2001 को सभी अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद ने तारीख 30 जून, 2001 को उपर्युक्त अपराधों का संज्ञान लिया । यह मामला तारीख 19 जनवरी, 2002 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया और उसे वर्ष 2002 के सेशन विचारण सं. 29 के रूप में संख्यांकित किया गया और उसके पश्चात् तारीख 22 जून, 2002 को सभी तीन अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिससे अभियुक्त व्यक्तियों ने इनकार किया और विचारण का दावा किया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल सात साक्षियों की परीक्षा की । उक्त सात साक्षियों में अभि. सा. 3-सुगिया देवी-मृतक की माता, अभि. सा. 4-सीता बैठा-सूचना देने वाला व्यक्ति और मृतक का पिता तथा अभि. सा. 5-सुनीता देवी-मृतक की पत्नी की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई । अभि. सा. 1-लाल मोहन राम और अभि. सा. 2 राम नारायण सिंह औपचारिक साक्षी हैं । अभि. सा. 6-डा. अनूप कुमार सिन्हा ने मृतक के मृत शरीर की शव-परीक्षा की थी और अभि. सा. 7-अजय कुमार सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, ओबरा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने फर्दबयान अभिलिखित किए और मामले का अन्वेषण किया ।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समाप्त हो जाने के पश्चात् तारीख 18 अगस्त, 2012 को सभी अपीलार्थियों से उन्हें अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों और उनके विरुद्ध मौजूद साक्ष्य के संबंध में प्रश्न किए गए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके कथन लेखबद्ध किए गए जिसमें उन्होंने निर्दोष होने का दावा किया और साथ ही यह भी दावा किया कि उन्हें मिथ्या रूप से इस अपराध में फंसाया गया है ।

6. अभियोजन के पक्षकथन को गलत साबित करने के लिए

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कुल चार साक्षियों की परीक्षा की गई, अर्थात् प्रति. सा. 1-भोला यादव, प्रति. सा. 2-शिव नंदन सिंह, प्रति. सा. 3-सीताराम पासवान और प्रति. सा. 4-देव नंदन यादव ।

7. संपूर्ण साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् श्री अभिषेक नील, विद्वान् काउंसेल ने पूर्वोक्त तीन अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री एस. अरशद आलम की उपस्थिति में यह दलील प्रस्तुत की कि पूर्वोक्त तीन अपीलार्थियों को सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा इस कारण से इस अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया था कि सूचना देने वाले व्यक्ति का पुत्र कमलेश यादव की हत्या के संबंध में एक अभियुक्त था । उन्होंने यह और निवेदन किया कि मृतक स्वयं एक पुराना अपराधी था और वह एक पाबंदशुदा संगठन, अर्थात् एम. सी. सी. का सदस्य था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के पुत्र की हत्या सी. पी. आई. (एम. एल.) के सदस्यों द्वारा की गई थी और अपीलार्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने के कारण सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । कुल मिलाकर यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को स्थापित करने में असफल रहा है ।

8. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री अभिषेक नील के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति अभि. सा. 4 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन संदेहास्पद प्रतीत होता है जो स्वयं मृतक का पिता है । उन्होंने यह निवेदन किया है कि फर्दबयान में सूचना देने वाले व्यक्ति ने स्वयं यह कथन किया है मानो उसकी स्वयं की उपस्थिति में तीनों अपीलार्थियों ने बलपूर्वक उसके पुत्र को लगभग आधे किलोमीटर तक घसीटा और उसके पश्चात् सौहारसी पिंड के पास जब वे पहुंचे तो उसने दो बार गोली चलने की आवाज सुनी और उसके पश्चात् उसने यह दावा किया कि अभियुक्त व्यक्ति वहां से भाग गए । फर्दबयान के अनुसार यह स्पष्ट है कि वह इस तथ्य का साक्षी है कि उसके पुत्र को तीनों अपीलार्थियों द्वारा बलपूर्वक घसीटकर ले जाया गया

और उसके पश्चात् उसने दो बार गोली चलने की आवाज को सुना और इस तरह उसके फर्दबयान के अनुसार वह उसके पुत्र को गोली लगने और इस प्रकार अग्न्यायुद्ध से चली गोली से कोई क्षति होने का चश्मदीद गवाह नहीं है । फर्दबयान में उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि गोली चलने की आवाज सुनने के पश्चात् वह अपने पुत्र के शव के समीप जाने की बजाय लूका जलप्रपात के ऊपर चढ़ा और उसने वहां से शोर मचाया तथा वहां से वह सीधा पौथु पुलिस थाने चला गया किंतु विचारण के दौरान अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया कि तीनों अपीलार्थियों ने उसके पुत्र को खलिहान में दबोच लिया और वे उसे कुछ दूर घसीटकर ले गए और उसके पश्चात् उसे गोली मार दी और उसके पश्चात् उसी स्थल पर उसके पुत्र की मृत्यु हो गई । शोर-शराबा सुनकर वह और अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने यह देखा कि उसके पुत्र अशोक को गोली लगने से क्षति हुई है । उसके पश्चात् ओबरा पुलिस वहां पहुंची और उसने अपना फर्दबयान भी दर्ज कराया है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा फर्दबयान में प्रकट किए गए तथ्यों और विचारण के दौरान अभि. सा. 4 के रूप में दी गई परीक्षा में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संबंधी तथ्यों में गंभीर विरोधाभास है । अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी गई है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और वर्तमान मामले में वह स्थान भी संदेह के घेरे में आ जाता है जहां फर्दबयान को लेखबद्ध किया गया । इसी प्रकार यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के फर्दबयान या साक्ष्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या मृतक की माता अभि. सा. 3-सुगिया देवी और मृतक की पत्नी अभि. सा. 5-सुनीता देवी घटनास्थल पर उपस्थित थे अथवा नहीं । विचारण के दौरान मृतक की माता और पत्नी अर्थात् क्रमश: अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 इस प्रकार सामने आई मानो संपूर्ण घटना उनकी उपस्थिति में घटित हुई थी । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य के आधार पर यह दलील दी गई है कि पूर्वोक्त साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अपने साक्ष्य में अन्य साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं किया है विशेष

रूप से अभि. सा. 3 के साक्ष्य में यह कथन नहीं किया गया है कि क्या घटना के समय अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 वहां उपस्थित थे अथवा नहीं । इसी प्रकार का तथ्य अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति और मृतक की पत्नी और अभि. सा. 5 सुनीता देवी द्वारा भी कथित किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी और अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्यों के अनुसार इस विनिर्दिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा कि वास्तव में उसका फर्दबयान किस स्थान पर लेखबद्ध किया गया था । तद्नुसार यह दलील दी गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में जहां मृतक व्यक्ति स्वयं एक अपराधी था और साथ ही एम. सी. सी. जैसे प्रतिषिद्ध संगठन का सदस्य था वहां उसकी हत्या उसके किसी अन्य शत्रु विशिष्ट रूप से सी. पी. आई. (एम. एल.) के सदस्यों द्वारा की गई हो । अपीलार्थियों को सहग्रामीण होने के कारण तथा इस तथ्य के आधार पर कि पूर्व में सूचना देने वाले व्यक्ति के मृतक पुत्र को अपीलार्थियों द्वारा कमलेश यादव की हत्या में फंसाया गया था, वर्तमान मामले में फंसाया गया है ।

9. प्रति. सा. 3-सीताराम पासवान के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी गई है कि क्योंकि यह मामला सत्य नहीं था और इस तथ्य के होते हुए कि अन्वेषण के दौरान प्रति. सा. 3 सीताराम पासवान के कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया था किन्तु अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा नहीं की थी और प्रतिरक्षा साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि खेत में सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह तथ्य प्रकट किया था कि उसके पुत्र की हत्या पांच अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई है । उसने प्रति. सा. 2 शिवनंदन सिंह के साक्ष्य को भी उस सीमा तक निर्दिष्ट किया है कि वह पौथु पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर लाया है, जिसे प्रदर्श ए के रूप में चिन्हित किया गया है और साथ ही वह उक्त मामले में आरोप पत्र को भी अभिलेख पर लाया था जो प्रदर्श ए/1 के रूप में चिन्हित है जो यह दर्शित करते हैं कि मृतक उस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

में अभियुक्त था, जिसे दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए दर्ज किया गया था और उसे उक्त मामले में दंड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के अधीन आरोपित किया गया था ।

10. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री अभिषेक नील ने अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मृतक एक प्रतिषिद्ध समूह का सदस्य था और वह आपराधिक पृष्ठभूमि रखता था । कुल मिलाकर यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में सूचना देने वाले व्यक्ति के पुत्र की हत्या अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी और अपीलार्थियों को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था और यद्यपि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा था फिर भी विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने त्रुटिवश दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है ।

11. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा ने अपील का विरोध करते हुए यह दलील दी है कि सूचना देने वाला व्यक्ति और साथ ही मृतक की माता अभि. सा. 3-सुगिया देवी और मृतक की पत्नी अभि. सा. 5-सुनीता देवी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनकी उपस्थिति में ही मृतक की हत्या की गई थी । उन्होंने यह निवेदन किया है कि यह मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी समर्थित है । अभि. सा. 6-डा. अनुप कुमार सिन्हा, जिसने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी, ने अपने साक्ष्य में उक्त तथ्य का समर्थन किया है और शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर गोली लगने से दो क्षतियां पाई गई थीं, जो तथ्य अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करता है ।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के साथ ही अभिलेख पर विद्यमान संपूर्ण साक्ष्य की गहराई से समीक्षा की है और उसका परिशीलन करने के पश्चात् प्रथमदृष्ट्या रूप से हमारी राय यह है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेहों से

परे स्थापित करने में असफल रहा है । तथापि, आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व साक्ष्य के संबंध में चर्चा करना आवश्यक होगा ।

13. विचारण के दौरान सूचना देने वाला मृतक के पिता सीता बैठा की अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई थी और अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर वह अपने खलिहान में उपस्थित था और धान की कुटाई कर रहा था । उक्त खलिहान में सभी तीन अपीलार्थी अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए पहुंचे और उन्होंने उसके पुत्र अशोक बैठा (मृतक) को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए और इसके पश्चात् उन्होंने उस पर गोलियां चलाई । उसके पुत्र की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई । शोर-शराबा सुनकर वह और कुछ अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि अशोक बैठा (मृतक) को गोली लगने से क्षति पहुंची है । अपने साक्ष्य के पैरा 3 में मृतक के पिता ने यह कथन किया है कि ओबरा पुलिस थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और जिसके समक्ष उसने अपना फर्दबयान दिया था जिसे पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया और उसे पढ़कर सुनाया गया तथा उसे सही पाए जाने पर उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था । पैरा 4 में उसने यह कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों के पास उक्त अपराध को करने का कोई हेतु नहीं था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में उसने यह कथन किया कि उसका खलिहान, जहां वह उपस्थित था मुख्य ग्राम से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में इसने यह कथन किया कि यह सही नहीं है कि अपने फर्दबयान में उसने यह कथन किया है कि लूका जलप्रपात से अपने मृत पुत्र के पास जाने की बजाय वह पौथु पुलिस थाने गया था । फर्दबयान के परिशीलन पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने पैरा 15 में अपने फर्दबयान में किए गए कथन से विपरीत कथन किया है । फर्दबयान में इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि लूका जलप्रपात से अपने मृत पुत्र के समीप जाने की बजाय वह वहां से सीधा पौथु पुलिस थाने गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में उसने यह और कथन किया है अपने फर्दबयान में उसने यह उल्लेख नहीं किया था कि जब उसने लूका जलप्रपात पर

चढ़कर शोर मचाया था तो उसकी आवाज सुनकर वहां कोई नहीं आया था । उसका यह कथन भी उसके द्वारा फर्दबयान में प्रकट किए गए तथ्य से विपरीत है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 18 में इसने यह कथन किया है कि उसने अपना कथन पौथु पुलिस थाने में दिया था जिसे लेखबद्ध किया गया था किन्तु वह उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और उसने उस पर अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगाया था । उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 18 में उसके द्वारा किए गए कथन की परीक्षा पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वह घटनास्थल से पहले पौथु पुलिस थाने गया था जहां उसने अपना कथन दिया था । साक्ष्य में पौथु पुलिस थाने के किसी भी पुलिस अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर लाया गया है कि पौथु पुलिस थाने में सूचना देने वाले व्यक्ति ने प्रथमत: किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम को प्रकट किया था । यदि वर्तमान मामले में सूचना देने वाले व्यक्ति ने घटनास्थल और घटना के समय पर अपीलार्थियों की पहचान कर ली होती तो जैसाकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह प्रथमत: पौथु पुलिस थाने गया था और वहां उसने अपना कथन दिया था, उस दशा में उसने निश्चित रूप से उस पुलिस थाने में अपीलार्थियों के नामों को हमलावरों के रूप में प्रकट किया था । यदि ऐसा होता तो पौथु पुलिस थाने द्वारा ओबरा पुलिस थाने को भेजे गए वायरलैस संदेश में इस तथ्य का निश्चित रूप से कथन किया गया होता । फिर भी ओबरा पुलिस कार्मिक उस वायरलैस संदेश के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचे और सूचना देने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में वे मृतक के शव को ओबरा पुलिस थाने ले आए । यह तथ्य अभि. सा. 7-अजय कुमार सिंह, ओबरा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जिसने फर्दबयान लेखबद्ध किया था और साथ ही मामले का अन्वेषण भी किया था, के साक्ष्य से प्रकट हुआ है । उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह और कथन किया है कि वह पौथु पुलिस थाने के एक पुलिस पदधारी के साथ लूका जलप्रपात गया तथा वहां उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके पुत्र के शव को ओबरा पुलिस थाने के पुलिस कार्मिकों द्वारा ले जाया गया है क्योंकि वह खेत जहां शव पाया गया था ओबरा पुलिस थाने की राज्यक्षेत्रीय

अधिकारिता के अन्तर्गत आता है । उसके पश्चात् सूचना देने वाला व्यक्ति ओबरा पुलिस थाने गया और पौथु पुलिस थाने का पुलिस पदधारी वहां से वापस अपने पुलिस थाने चला गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में उसने आगे यह और कथन किया है कि जब वह पुलिस के साथ पौथु पुलिस थाने से लूका जलप्रपात के समीप पहुंचा था उस समय रात्रि के 8-9 बज चुके थे । उसने उसी पैरा में यह और स्पष्ट किया कि उस समय लूका जलप्रपात पर कोई अन्य ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित नहीं था । लूका जलप्रपात से वह पहले अपने ग्राम वापस आया था । उसके ग्राम में चौकीदार रामधर-जिसकी परीक्षा नहीं की गई है, ने उसे यह सूचित किया कि उसके पुत्र के शव को ओबरा पुलिस थाने के पुलिस पदधारी ले गए थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 22 में उसने यह और कथन किया है कि उसके पुत्र के शव के साथ कोई भी ग्रामीण व्यक्ति पुलिस थाने नहीं गया था । उसके पश्चात्, अभि. सा. 4-सूचना देने वाला व्यक्ति हाथ में एक लालटेन लेकर अकेला ओबरा पुलिस थाने गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 26 में उसने यह कथन किया है कि जब वह रात्रि 9 और 10 बजे के बीच ओबरा पुलिस थाने पहुंचा तो उसके पुत्र का शव पुलिस थाने के एक यान में रखा हुआ था । पैरा 27 में, उसने यह और स्पष्ट किया कि अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के ग्राम से ओबरा पुलिस थाना लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 28 में उसने यह और कथन किया कि जब वह ओबरा पुलिस थाने पहुंचा और यह प्रकट किया कि वह मृतक का पिता है और वह पैदल-पैदल वहां पहुंचा है तो वहां के थाना प्रभारी अधिकारी ने उसे बताया कि वे उसे ढूंढ रहे थे । अभि. सा. 4 पूरी रात पुलिस थाने में ही रहा और तब तक कोई भी अन्य ग्रामीण व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 30 में उसने यह कथन किया है कि दरोगा जी ने उसके कथन को रात्रि में ही लेखबद्ध कर लिया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 32 और 33 में उसने यह और कथन किया है कि अगली प्रात: उसके पुत्र के शव को शव-परीक्षा हेतु औरंगाबाद भेजा गया था और उसके पश्चात् ओबरा पुलिस ने उसे कभी भी नहीं बुलाया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 35 में उसने इस सुझाव से

इनकार किया कि उसका मृत पुत्र कमलेश यादव की हत्या के मामले में अभियुक्त था और उस मामले का विचारण चल रहा था । उसने यह और कथन किया कि वह इस बात से अवगत नहीं था कि क्या अपीलार्थी सं. 2-सूर्यनाथ यादव ने अपने भाई कमलेश यादव की हत्या के संबंध में रफीगंज पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 के रूप में एक मामला दर्ज किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 46 में उसने इस बात से भी इनकार किया था कि उसका पुत्र पुलिस दल पर हमला करने के आरोप के संबंध में गोह पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 53 में भी एक अभियुक्त था । उसे यह सुझाव दिया गया था कि उसके पुत्र की हत्या कुछ अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी और अपनी निजी शत्रुता के कारण सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपीलार्थियों के विरुद्ध वर्तमान मामला दायर किया था, तथापि, उसने इस सुझाव से इनकार किया था ।

14. अभि. सा. 4-सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य की समीक्षा करते समय यह आवश्यक होगा कि हम अन्वेषण अधिकारी अजय कुमार सिंह, जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई है, के अभिसाक्ष्य में प्रकट किए गए तथ्यों को ध्यान में लें । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि तारीख 27 जनवरी, 2001 को वह ओबरा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी था । अपने साक्ष्य में उसने फर्दबयान को साबित किया है, जो उसने स्वयं लिखा था और हस्ताक्षरित किया था और वह प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित था । उसने फर्दबयान पर किए गए अपने हस्ताक्षर और उसके परेषण को भी साबित किया जो प्रदर्श 6/ए के रूप में चिन्हित है । इसके अतिरिक्त, उसने साक्षी अरबिंद (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है) के फर्दबयान पर किए गए हस्ताक्षर जो प्रदर्श 6/बी के रूप में चिन्हित है, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श 1/ए, अभिग्रहण सूची, प्रदर्श 2/ए और शव के चालान, प्रदर्श 4/ए को भी साबित किया है । उसने यह कथन किया कि उसने फर्दबयान, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तथा शव चालान को तैयार किया था और शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा था और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था । अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 6 में उसने यह कथन किया कि उसने अभि. सा. 1-लाल मोहन राम, अभि.

सा. 3 सुगिया देवी, अभि. सा. 5 सुनीता देवी, कंचन कुमारी-जिसकी परीक्षा नहीं की गई थी और साक्षी सीता पासवान, जो अब प्रति. सा. 3 है, के कथनों को लेखबद्ध किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया कि सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल तक गया था । उसने यह कथन किया कि घटना के संबंध में उसे सूचना पुलिस पैट्रोलिंग दल और साथ ही पौथु पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के वायरलैस संदेश से प्राप्त हुई थी । उस समय उसे यह सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि इस घटना के दौरान अशोक बैठा की हत्या कर दी गई थी । सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसने स्टेशन डायरी में प्रविष्टि की थी । वायरलैस से संदेश प्राप्त होने के पश्चात् उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को संपर्क नहीं किया था । उसने आगे यह और कथन किया कि उसे अभि. सा. 4 सीता बैठा, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचित किया गया था कि वह पौथु पुलिस थाने गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 4 सीता बैठा को पौथु पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी घटनास्थल पर लेकर आया था । उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के कथन को लेखबद्ध नहीं किया था । पौथु पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचा था । उसने यह और कथन किया कि उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया था कि क्या उसने सीता बैठा के फर्दबयान को लेखबद्ध किया था अथवा नहीं । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से इस संबंध में पूछताछ की थी और पौथु पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने उसे यह उत्तर दिया था कि सीता बैठा ने अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कथन लेखबद्ध कराया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के तुरंत पश्चात् वह अपने पुत्र के शव के समीप जाने की बजाय पौथु पुलिस थाने गया था और उसके पश्चात् वह पौथु पुलिस के साथ वापस घटनास्थल पर आया था । घटनास्थल से वह अपने ग्राम गया और अपने ग्राम से वह अकेला

पैदल ही ओबरा पुलिस थाने की ओर गया जहां उसने अपना कथन लेखबद्ध कराया । सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी सत्य कथन नहीं कर रहा है या फिर सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं मिथ्या कथन कर रहा है । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि जब उसने अभि. सा. 4-सीता बैठा के फर्दबयान को लेखबद्ध किया था, उस समय आस-पास के 8-10 व्यक्ति वहां उपस्थित थे जबकि यह तथ्य सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके साक्ष्य में कथित नहीं किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में उसने घटनास्थल का विस्तृत वर्णन किया और यह बताया कि खलिहान राम प्रवेश सिंह नामक व्यक्ति का था, तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने राम प्रवेश सिंह की परीक्षा नहीं की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसने यह लेखबद्ध किया था कि मृत व्यक्ति एम. सी. सी. (एक प्रतिषिद्ध संगठन) का सदस्य था और पूर्व में अनेकों बार वह कारागार जा चुका था और आस-पास के लोग उससे डरते थे और इस डर के कारण ही कोई उसके विरुद्ध बात नहीं करता था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में उसने आगे यह और कथन किया कि एम. सी. सी. और सी. पी. आई. (एम. एल.) के बीच परस्पर विवाद था और इस बात की संभावना थी कि उक्त घटना उस विवाद के फलस्वरूप घटित हुई है । मृतक को अनेक मामलों में आरोपी बनाया गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि अभि.सा. 3 मृतक की माता और अभि. सा. 5 मृतक की पत्नी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं किन्तु अन्य ग्रामीणों ने यह कथन किया है कि घटना के समय अभियुक्त व्यक्ति गांव में ही थे ।

15. मृतक की माता अभि. सा. 3-सुगिया देवी ने अपने साक्ष्य में यह दावा किया है कि संपूर्ण घटना उसकी उपस्थिति में ही घटित हुई थी । उसके साक्ष्य के अनुसार केवल तीन अपीलार्थी ही खलिहान में आए थे और उन्होंने पीछे से उसके पुत्र को दबोच लिया था और उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए थे और यह पूर्ण घटना उसकी उपस्थिति में घटित हुई थी । अपीलार्थी सं. 1-सूर्य देव यादव ने उसके सामने ही उसके पुत्र पर

गोली चलाई थी । यद्यपि अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया कि वहां केवल तीन अभियुक्त व्यक्ति ही उपस्थित थे जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी हैं, वहीं सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या पांच थी, अर्थात् तीन अपीलार्थी और दो अज्ञात व्यक्ति । इसी बात को अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में दोहराया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि कुल तीन अभियुक्त व्यक्ति खलिहान में आए थे । पैरा 9 में इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि उसका मृतक पुत्र ओबरा पुलिस थाने के वर्ष 2001 के मामला सं. 5, रफीगंज पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 और गोह पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 53 में अभियुक्त था और यह सभी मामले उग्रवादी समूह से संबंधित थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में साक्षी का ध्यान अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए उसके पूर्व कथन की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें उसने यह कथन किया था कि अपराह्न तीन बजे के पश्चात् वह खलिहान से वापस घर लौट रही थी और उस समय तक यह घटना घटित नहीं हुई थी और न ही उसने कुछ देखा था, यद्यपि उसने इस तथ्य से इनकार किया था किंतु अभि. सा. 7-अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की मुख्य परीक्षा के पैरा 19 में यह स्पष्ट है कि पुलिस के समक्ष उसने इस तथ्य का कथन किया था कि वह घटना घटित होने से पहले ही खलिहान से वापस आ गई थी । तद्नुसार अभि. सा. 3-सुगिया देवी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

16. इसी प्रकार मृतक की पत्नी अभि. सा. 5-सुनीता देवी ने अपने साक्ष्य के पैरा 1 में यह कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर वह खलिहान में उपस्थित थी और वहां वह अपनी सास, ससुर, पति और ननद (उसके पति की बहन) के साथ धान की कुटाई कर रही थी । उसने यह कथन किया है कि तीनों अपीलार्थी खलिहान में आए और उन्होंने उसके पति अशोक बैठा को दबोच लिया । उन्होंने उस पर अपनी बैल्टों द्वारा हमला करना आरंभ किया और फिर उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक खलिहान की पूर्वी दिशा की ओर ले गए जहां उन्होंने उसके पति की कनपटी और छाती पर गोलियां दागी और उसके पति की हत्या कर

दी । पैरा 2 में उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने वहां पहुंच कर उससे पूछताछ की थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में उसका ध्यान उसके पूर्ववर्ती कथन की ओर आकर्षित किया गया था कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन नहीं किया था कि जब वह खलिहान में उपस्थित थी उस समय अभियुक्त व्यक्ति पहुंचे थे और उन्होंने उसके पति को दबोच कर बैल्टों से उस पर हमला करना आरंभ कर दिया था और उसके पश्चात् वे उसे घसीट कर खलिहान की पूर्वी दिशा की ओर ले गए जहां उन्होंने उसकी कनपटी और छाती पर गोलियां दागी जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी । उसने उक्त सुझाव से इनकार किया था । तथापि, अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अन्वेषण के दौरान पूर्वोक्त तथ्य का कथन नहीं किया था । इसका अर्थ यह है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान इस कहानी को इस प्रकार गढ़ा है मानो वह स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित थी । अन्यथा भी इस साक्षी और साथ ही अभि.सा. 3-सुगिया देवी की खलिहान में उपस्थिति इस साधारण कारण से भी संदेहास्पद है कि मृतक के पिता सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय वह और मृतक अकेले ही खलिहान में उपस्थित थे । तद्नुसार मृतक की माता अभि. सा. 3 या मृतक की पत्नी अभि. सा. 5 में से किसी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

17. अभि. सा. 1 लाल मोहन राम एक औपचारिक साक्ष्य है जिसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, जो प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित है तथा अभिग्रहण सूची, जो प्रदर्श-2 के रूप में चिन्हित है, पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को साबित किया है । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में उसने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अभिग्रहण सूची उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी, यह कथन किया है कि अभि. सा. 4 सीता बैठा ने पुलिस को यह सूचित किया था कि अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके पुत्र की हत्या की है और अभियुक्त व्यक्ति मौजा लूका के नहीं थे । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने घटना के समय पर ही किसी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त

नहीं की थी ।

18. अभि. सा. 2 राम नारायण सिंह एक अधिवक्ता लिपिक है और उसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित किया है, जो प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हित है ।

19. अभि. सा. 6 डा. अनूप कुमार सिन्हा तारीख 27 जनवरी, 2001 और तारीख 28 जनवरी, 2001 को सदर अस्पताल, औरंगाबाद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे और उन्होंने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी और उसने उस शव-परीक्षा रिपोर्ट की तस्दीक की थी, जो प्रदर्श-4 के रूप में चिन्हित है । चूंकि मृत्यु का कारण गोली लगना था । इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है इसलिए मृतक के शव पर पाई गई क्षतियों के ब्यौरों के संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि, शव-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय एक त्रुटि हुई थी जिसमें शव-परीक्षा की तारीख को 27 जनवरी, 2001 के रूप में उल्लिखित किया गया था जबकि वास्तव में शव-परीक्षा तारीख 28 जनवरी, 2001 को की गई थी जिसके संबंध में स्वयं अभि. सा. 6 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है ।

20. निस्संदेह रूप से किसी दांडिक विचारण में किसी प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रति. सा. 3 सीता राम पासवान के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है ।

21. प्रति. सा. 3 सीताराम पासवान की परीक्षा अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई थी और उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया था । तथापि, अभियोजन पक्ष ने न जाने किस कारण से उसकी परीक्षा अभियोजन साक्षी के रूप में नहीं की थी और इस प्रकार उसकी परीक्षा एक प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में की गई थी । अपने प्रतिरक्षा साक्ष्य के दौरान उसने यह कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में उसने यह कथन किया था कि सूचना देने वाले

व्यक्ति ने स्वयं खलिहान में ही उसे यह बताया था कि पांच अज्ञात अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त अपराध किया था । इसके अलावा, प्रति. सा. 2 शिवनंदन सिंह ने अभिलेख पर पौथु पुलिस थाने के वर्ष 2000 के मामला सं. 113 से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति को रखा है जिसे प्रदर्श-ए के रूप में चिन्हित किया गया है और साथ ही उक्त मामले में दाखिल किए गए आरोप पत्र को भी अभिलेख पर लाया गया है, जो प्रदर्श-ए/1 के रूप में चिन्हित है । यह दोनों प्रदर्श यह सुझाव देते हैं कि मृतक के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए उपरोक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था । इसके अतिरिक्त अन्वेषण अधिकारी ने मृतक के अपराधिक पूर्ववृत और उसके एक प्रतिषिद्ध संगठन के साथ सहबद्ध होने के संबंध में अपने साक्ष्य में विस्तृत जानकारी दी है ।

22. संपूर्ण पूर्वोक्त साक्ष्य की परीक्षा करने पर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यद्यपि सूचना देने वाला व्यक्ति घटना घटित होने के समय घटनास्थल पर उपस्थित था किन्तु उसने किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं की थी । यह भी प्रकट होता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के सिवाय घटनास्थल पर और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था । अभियोजन का पक्षकथन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गंभीर रूप से संदेह के घेरे में आ जाता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने फर्दबयान घटनास्थल, अर्थात् लूका जलप्रपात के समीप लेखबद्ध किया था, तथापि, सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् वह प्रथमत: पौथु पुलिस थाने गया था जहां से वह घटनास्थल पर वापस आया था जहां उसे ग्राम के चौकीदार ने यह सूचना दी थी कि उसके पुत्र के मृतक शरीर को पहले ही ओबरा पुलिस थाने ले जाया जा चुका है । उसके पश्चात् वह अपने हाथ में लालटेन लेकर पैदल ही लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ओबरा पुलिस थाने पहुंचा जहां उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था ।

23. अभि. सा. 4 सूचना देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य को ध्यान में

रखते हुए घटनास्थल पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के उपस्थित होने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त स्थापित नहीं की गई थी, यह तथ्य अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि इस मामले में अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराना और दंडादिष्ट करना उचित नहीं है ।

24. उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनके संबंध में हमने ऊपर ब्यौरेवार चर्चा की है, हमारी सुविचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने पक्ष को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ है । तद्नुसार संदेह के फायदे को विस्तारित करते हुए विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-4, औरंगाबाद द्वारा 2002 के विचारण सं. 29 और 2010 के विचारण सं. 190 (ओबरा पुलिस थाने के वर्ष 2001 के मामला सं. 13 से उदभूत होने वाले) में पारित तारीख 21 अगस्त, 2013 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 22 अगस्त, 2013 के दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है । सभी तीनों अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

25. चूंकि दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया है और सभी अपीलार्थी अभिरक्षा में हैं इसलिए यह निदेश दिया जाता है कि यदि उनकी आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है तो उन्हें तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

रंजीत सिंह उर्फ रंजीत

बनाम

बिहार राज्य

(2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 के साथ 2013 की दांडिक अपील सं. 1049, 1083, 1101 और 2014 की दांडिक अपील सं. 53 की भी सुनवाई की गई)

तारीख 25 सितम्बर, 2019

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – मृतक को संविदा के अन्तर्गत कार्य आबंटित किया जाना – आबंटित कार्य छोड़ने से मृतक द्वारा इनकार किए जाने पर अभियुक्तों द्वारा उस पर गोली चलाना – नामित अभियुक्तों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होना – प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के साक्ष्य से सभी नामित अभियुक्तों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि होती है और नामित न किए गए सह-अभियुक्त के संबंध में उसकी शिनाख्त को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में केवल नामित अभियुक्त ही हत्या के दोषी हैं और सह-अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 3 अप्रैल, 2003 को अपराह्न 8.00 बजे पुलिस थाना पंडारक के भारसाधक अधिकारी ने उमाशंकर सिंह (अभि. सा. 6) का फर्दबयान ग्राम बिहारी बीघा में अभिलिखित किया । इत्तिलाकर्ता ने अपने फर्दबयान में यह कथन किया कि वह ग्राम बिहारी बीघा पंचायत का मुखिया है । उसने यह कथन किया है कि उसी दिन अपराह्न लगभग 6.00 बजे वह अपने भाई रमाशंकर सिंह (मृतक) और ग्रामवासी सुरेन्द्र सिंह **उर्फ** लेधा (अभि. सा. 5), रमाशंकर सिंह का जीजा अर्थात् धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) और

सुनील सिंह (अभि. सा. 4) ग्राम बिहारी बीघा में टेलिफोन बूथ की ओर जा रहे थे और जब वे अपराह्न 6.10 बजे शत्रुघन साउ (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) नाम के व्यक्ति के घर के निकट पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अजय सिंह (जो 2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में अपीलार्थी है), मनोज सिंह (जो फरार है), विजय सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी है) और मृत्युंजय सिंह (जिसकी मृत्यु विचारण के दौरान हो चुकी है) के हाथों में पिस्तौल थी, रंजीत सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में का अपीलार्थी है) के हाथ में रायफल थी, नवल सिंह (जो दोषमुक्त हो चुका है), सत्येन्द्र सिंह (दोषमुक्त), राजेश सिंह (जो फरार है), उपेन्द्र सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी है), और गोपाल सिंह, सहित सभी व्यक्ति अपने हाथों में पिस्तौले लिए हुए थे और विजय यादव की पान की दुकान के निकट पहुंचे । सभी ने इत्तिलाकर्ता और उसके साथी को घेर लिया और गालियां देने लगे और यह कहा कि इत्तिलाकर्ता पक्ष उन्हें कोटे का लाभ क्यों नहीं दे रहा है और संविदा पर काम उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर रमाशंकर सिंह (मृतक) ने यह उत्तर दिया कि वह कोटा नहीं देगा । इसके पश्चात्, उपरोक्त अभियुक्त, रमाशंकर सिंह पर गोली चलाने लगे जो रमाशंकर सिंह को लगी और वह नीचे गिर गया । रमाशंकर सिंह के नीचे गिरने के पश्चात् अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्तियों पर भी गोलियां चलाईं, तथापि, वे दक्षिणी दिशा में बचकर भागने में सफल हो गए और जब वे भाग रहे थे तब इत्तिलाकर्ता ने मुड़कर देखा कि अभियुक्त रमाशंकर सिंह की हत्या करने के पश्चात् उत्तरी दिशा की ओर भाग रहे हैं । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए और उन्होंने देखा कि उसके जीजा रमाशंकर सिंह को गोली लगी है और उसकी मृत्यु हो गई है । गोलियों की आवाज सुनकर बहुत से ग्रामवासियों ने भी अभियुक्तों को वहां से भागते हुए देखा । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त, जिनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिखाए गए हैं, 3-4 ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके नाम उन्हें मालूम नहीं हैं और इन व्यक्तियों के पास भी हथियार थे । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि 3-4

अज्ञात व्यक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त 10 अभियुक्तों ने सामान्य आशय के साथ अग्न्यायुध से क्षति कारित करके उनके जीजा की हत्या की गई । इस हत्या का कारण इत्तिलाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त उनके जीजा पर यह दबाव डाल रहे थे कि वह उन्हें कोटा जारी करे और साथ ही वे संविदा पर कार्य भी मांग रहे थे । उक्त फर्दबयान इत्तिलाकर्ता को पढ़कर सुनायी गई जिसे सही पाए जाने पर इत्तिलाकर्ता ने फर्दबयान के नीचे अपने हस्ताक्षर किए हैं । उक्त फर्दबयान के आधार पर उसी दिन अर्थात् तारीख 3 अप्रैल, 2003 को अपराह्न 9.45 बजे पुलिस थाना पंडारक में ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 32/2003, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 147/148/149/302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई । सभी अपीलार्थियों को तारीख 21 अक्तूबर, 2013 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 147/148/302/149 तथा आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयुध अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन सभी अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास भोगने और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास के कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया है । उन्हें दंड संहिता की धारा 148/147 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास से और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपरोक्त सभी अपीलार्थियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । पुलिस थाना पंडारक में दर्ज कराए गए मामला संख्या 32/2003 से उद्भूत सेशन विचारण मामला संख्या 1186/2004 तथा सेशन विचारण मामला संख्या 905/2005 में दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश विद्वान् तदर्थ अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-प्रथम, बाढ़, पटना (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विचारण न्यायाधीश निर्दिष्ट किया गया है) श्री देव नन्दन प्रसाद सिंह द्वारा पारित किया गया है । इस आदेश से व्यथित होकर पांच अपीलें फाइल की गई हैं । एक को छोड़कर सभी अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्षकथन में सभी अपीलार्थियों के संबंध में कोई कमी नहीं है सिवाय अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के मामले के जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 में का अपीलार्थी है । इस अपीलार्थी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है और न ही साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की कभी शनाख्त परेड कराई गई थी और इसलिए इस अपीलार्थी की शनाख्त परेड युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं की गई है । फर्दबयान में इत्तिलाकर्ता ने 10 अभियुक्तों के नाम स्पष्ट रूप से लिखाए हैं और 10 व्यक्तियों को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के रूप में नामित किया गया है जबकि 3-4 अभियुक्त इत्तिलाकर्ता द्वारा अज्ञात बताए गए हैं और उन्हें इसीलिए नामित नहीं किया गया है । तद्नुसार, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के संबंध में संदेह के परे अपना पक्षकथन सिद्ध नहीं किया है । जहां तक प्रतिरक्षा साक्ष्य का संबंध है, निःसंदेह 4 प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में कराई गई है किन्तु उनके साक्ष्य पर विचार करने पर ऐसा कोई कारण दिखायी नहीं देता है कि उनके साक्ष्य का अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में अवलंब लिया जाए क्योंकि कम-से-कम उतना तो साबित हो गया है कि स्वयं इत्तिलाकर्ता द्वारा अपीलार्थियों को घटनास्थल पर देखा गया है और इस बात की पुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है । कृष्णदेव प्रसाद (प्रतिरक्षा साक्षी 5) किसी अधिवक्ता का मुंशी है जिसने सर्वेक्षण टिप्पण (प्रदर्श ई) को ही साबित किया है । सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमें अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित नहीं किया है और इसीलिए न्यायालय को दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । तद्नुसार, 2003 के पुलिस थाना पंडारक में दर्ज कराए गए मामला संख्या 32 से उद्भूत 2004 के सेशन विचारण मामला संख्या 1186 और 2005 के सेशन

विचारण मामला संख्या 905 में श्री देव नन्दन प्रसाद सिंह, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-प्रथम, बाड़, पटना के तारीख 21 अक्तूबर, 2013 का दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के दंडादेश का एतद्वारा अनुमोदन अपीलार्थी रंजीत सिंह **उर्फ** रंजीत (2013 की दांडिक अपील संख्या 1052), विजय सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी), उपेन्द्र सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी) और अजय सिंह (2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में का अपीलार्थी) के संबंध में किया जाता है, तथापि, 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 में के अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्द लाल सिंह के संबंध में थोड़ा संदेह है । (पैरा 27 और 28)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 के साथ 2013 की दांडिक अपील सं. 1049, 1083, 1101 और 2014 की दांडिक अपील सं. 53 की भी सुनवाई की गई ।

सेशन विचारण मामला संख्या 1186/2005 के सेशन विचारण मामला संख्या 905 में श्री देव नन्दन प्रसाद सिंह, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश प्रथम, बाड़, पटना के तारीख 21 अक्तूबर, 2013 का दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. के. लाल, प्रितीश कुमार लाल, तेज नारायण सिंह, बक्शी एस. आर. पी. सिन्हा (ज्येष्ठ अधिवक्ता), संजीव कुमार, अजय कुमार ठाकुर, नीलेश कुमार, इम्तियाज अहमद

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अजय मिश्रा (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – पांचों अपीलों में के सभी अपीलार्थियों का विचारण

एक साथ किया गया था और विचारण न्यायालय के एक ही निर्णय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और इस प्रकार इसीलिए पांचों अपीलों की एक साथ सुनवाई की जा रही है और एक ही निर्णय द्वारा इनका निपटारा भी किया जा रहा है ।

2. सभी अपीलार्थियों को तारीख 21 अक्तूबर, 2013 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 147/148/302/149 तथा आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयुध अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन सभी अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास भोगने और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास के कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया है । उन्हें दंड संहिता की धारा 148/147 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास से और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपरोक्त सभी अपीलार्थियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । पुलिस थाना पंडारक में दर्ज कराए गए मामला संख्या 32/2003 से उद्भूत सेशन विचारण मामला संख्या 1186/2004 तथा सेशन विचारण मामला संख्या 905/2005 में दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश विद्वान् तदर्थ अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-प्रथम, बाढ़, पटना (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायाधीश" निर्दिष्ट किया गया है) श्री देव नन्दन प्रसाद सिंह द्वारा पारित किया गया है ।

3. संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 3 अप्रैल, 2003 को अपराह्न 8.00 बजे पुलिस थाना पंडारक के भारसाधक अधिकारी ने उमाशंकर सिंह (अभि. सा. 6) का फर्दबयान ग्राम बिहारी बीघा में अभिलिखित किया । इत्तिलाकर्ता ने अपने फर्दबयान में यह कथन किया कि वह ग्राम बिहारी बीघा पंचायत का मुखिया है । उसने यह कथन किया है कि उसी दिन अपराह्न लगभग 6.00 बजे वह अपने भाई रमाशंकर सिंह (मृतक) और ग्रामवासी सुरेन्द्र सिंह **उर्फ** लेधा (अभि.

सा. 5), रमाशंकर सिंह का जीजा अर्थात् धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) और सुनील सिंह (अभि. सा. 4) ग्राम बिहारी बीघा में टेलिफोन बूथ की ओर जा रहे थे और जब वे अपराह्न 6.10 बजे शत्रुघन साउ (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) नाम के व्यक्ति के घर के निकट पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अजय सिंह (जो 2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में अपीलार्थी है), मनोज सिंह (जो फरार है), विजय सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी है) और मृत्युंजय सिंह (जिसकी मृत्यु विचारण के दौरान हो चुकी है) के हाथों में पिस्तौल थी, रंजीत सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में का अपीलार्थी है) के हाथ में रायफल थी, नवल सिंह (जो दोषमुक्त हो चुका है), सत्येन्द्र सिंह (दोषमुक्त), राजेश सिंह (जो फरार है), उपेन्द्र सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी है), और गोपाल सिंह, सहित सभी व्यक्ति अपने हाथों में पिस्तौले लिए हुए थे और विजय यादव की पान की दुकान के निकट पहुंचे । सभी ने इत्तिलाकर्ता और उसके साथी को घेर लिया और गालियां देने लगे और यह कहा कि इत्तिलाकर्ता पक्ष उन्हें कोटे का लाभ क्यों नहीं दे रहा है और संविदा पर काम उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर रमाशंकर सिंह (मृतक) ने यह उत्तर दिया कि वह कोटा नहीं देगा । इसके पश्चात्, उपरोक्त अभियुक्त, रमाशंकर सिंह पर गोली चलाने लगे जो रमाशंकर सिंह को लगी और वह नीचे गिर गया । रमाशंकर सिंह के नीचे गिरने के पश्चात् अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्तियों पर भी गोलियां चलायीं, तथापि, वे दक्षिणी दिशा में बचकर भागने में सफल हो गए और जब वे भाग रहे थे तब इत्तिलाकर्ता ने मुड़कर देखा कि अभियुक्त रमाशंकर सिंह की हत्या करने के पश्चात् उत्तरी दिशा की ओर भाग रहे हैं । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए और उन्होंने देखा कि उसके जीजा रमाशंकर सिंह को गोली लगी है और उसकी मृत्यु हो गई है । गोलियों की आवाज सुनकर बहुत से ग्रामवासियों ने भी अभियुक्तों को वहां से भागते हुए देखा । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त, जिनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिखाए गए हैं, 3-4

ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके नाम उन्हें मालूम नहीं हैं और इन व्यक्तियों के पास भी हथियार थे । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त 10 अभियुक्तों ने सामान्य आशय के साथ अग्न्यायुध से क्षति कारित करके उनके जीजा की हत्या की गई । इस हत्या का कारण इत्तिलाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त उनके जीजा पर यह दबाव डाल रहे थे कि वह उन्हें कोटा जारी करे और साथ ही वे संविदा पर कार्य भी मांग रहे थे । उक्त फर्दबयान इत्तिलाकर्ता को पढ़कर सुनायी गई जिसे सही पाए जाने पर इत्तिलाकर्ता ने फर्दबयान के नीचे अपने हस्ताक्षर किए हैं । उक्त फर्दबयान के आधार पर उसी दिन अर्थात् तारीख 3 अप्रैल, 2003 को अपराह्न 9.45 बजे पुलिस थाना पंडारक में ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 32/2003, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 147/148/149/302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई । अभियुक्तों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) अजय सिंह (2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में का अपीलार्थी)

(2) मनोज सिंह (फरार)

(3) विजय सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी)

(4) रंजीत सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में का अपीलार्थी)

(5) मृत्युंजय सिंह (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है)

(6) गोपाल सिंह (फरार)

(7) उपेन्द्र सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी)

(8) नवल सिंह (दोषमुक्त)

(9) सतेन्द्र सिंह (दोषमुक्त) और

(10) राजेश सिंह (जिसका विचारण अलग से किया गया है) और 3-4 अज्ञात अभियुक्त ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् मामले का अन्वेषण आरम्भ किया गया और तारीख 8 जुलाई, 2003 को उपेन्द्र सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी है), पप्पू सिंह (जिसका विचारण अलग से किया गया है) के विरुद्ध प्रथम आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अजय सिंह और राजेश सिंह (दोनों को फरार दर्शाया गया है) और इनके संबंध में अन्वेषण लम्बित रखा गया है और इसके पश्चात् तारीख 30 सितम्बर, 2003 को निम्न अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया :-

(1) रंजीत सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में का अपीलार्थी)

(2) नवल सिंह (दोषमुक्त)

(3) सतेन्द्र सिंह (दोषमुक्त)

(4) शिवदयाल सिंह

(5) नकाता सिंह **उर्फ** अखिलेश सिंह

(6) गौतम कुमार सिंह और 4 अभियुक्त जो फरार हैं ।

5. आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मामला तारीख 7 अक्तूबर, 2004 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । इसके पश्चात् तारीख 17 मई, 2006 को दंड संहिता की धारा 148, 302/147 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए जिनका उन्होंने इनकार किया गया और विचारण की मांग की ।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा कराई । इन साक्षियों में उषा देवी (अभि. सा. 1) अर्थात् मृतक की पत्नी, सुनीता देवी अर्थात् इत्तिलाकर्ता की पत्नी (अभि. सा. 2), मृतक का साला अर्थात् धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3), मृतक का एक अन्य साला अर्थात् सुनील

सिंह (अभि. सा. 4) और इत्तिलाकर्ता उमाशंकर (अभि. सा. 6) की परीक्षा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में कराई गई है । उपरोक्त साक्षियों में से कुछ साक्षियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अभियुक्तों को घटना के तत्काल पश्चात् भागते हुए देखा है । श्याम किशोर राम (अभि. सा. 9) और बच्चू प्रसाद (अभि. सा. 10) औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने कुछ दस्तावेज साबित किए हैं । डा. दिलीप कुमार सिंह (अभि. सा. 7) ने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया है, प्रकाश यादव (अभि. सा. 11) एक पुलिस अधिकारी है जिसने विचारण के दौरान चले हुए और जिन्दा कारतूस प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिन्हांकित किया गया है, लल्लन प्रसाद (अभि. सा. 8) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और सुरेन्द्र सिंह **उर्फ** लेधा (अभि. सा. 5) इत्तिलाकर्ता का सह-ग्रामवासी है और चूंकि इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है इसलिए इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

7. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात्, तारीख 9 मई, 2007 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय अभियुक्तों के विरुद्ध सभी परिस्थितियां और साक्ष्य रखे गए और उन्हें स्पष्ट किए गए ।

8. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से 5 साक्षियों की परीक्षा कराई गई हैं जिनमें अलखदेव सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) है जिसने अभियुक्तों के संबंध में अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् किया है, राकेश कुमार (प्रतिरक्षा साक्षी 2), परमात्मा सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और अजय कुमार (प्रतिरक्षा साक्षी 4) की परीक्षा अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का समर्थन करने के लिए की गई है, तथापि, कृष्णदेव प्रसाद सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 5) एक औपचारिक साक्षी है जो अधिवक्ता का मुंशी है, जिसने सर्वेक्षण टिप्पण साबित किया है जिसे प्रदर्श-ई के रूप में चिन्हांकित किया गया है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर आक्षेपित निर्णय द्वारा 3 अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए 5 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है और दोषसिद्धि के इस आक्षेपित निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन चुनौती दी गई है ।

9. 2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में के अपीलार्थी रंजीत सिंह **उर्फ** रंजीत के विद्वान् काउंसेल श्री प्रितीश कुमार लाल और श्री एस. के. लाल ने सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात् यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मात्र परिवार के सदस्यों तथा हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश पारित करने में त्रुटि की है । उन्होंने यह दलील दी है कि प्रथम आरोप पत्र में 5 परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र साक्षी भी थे जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया गया और केवल एक साक्षी अर्थात् सुरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 5) को तारीख 23 नवम्बर, 2006 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इसके पश्चात् तारीख 27 नवम्बर, 2006 को अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन फाइल किया गया है कि अन्य सभी स्वतंत्र साक्षी अभियुक्तों से मिल गए हैं और इस प्रकार उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने विशेष रूप से ऐसे स्वतंत्र साक्षियों को नहीं बुलाया है जो संभवतया अभियुक्तों के पक्ष में साक्ष्य दें । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अक्षयबर उपाध्याय एक ऐसा साक्षी है जिसने अभिग्रहण सूची और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की है फिर भी इस साक्षी को अभियोजन साक्षी के रूप में नामित नहीं किया गया है । इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री लाल ने न्यायालय को यह भी समझाने का प्रयास किया है कि फर्दबयान में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी का कोई उल्लेख नहीं है जिससे अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि घटनास्थल पर अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की मौजूदगी संदिग्ध है ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना अपराह्न 6.10 बजे घटित हुई है जिसके तत्काल पश्चात् पुलिस ने सूचना अभिलिखित की और वे घटनास्थल पर रवाना हुए, तथापि, इस संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया है कि उस दिन फर्दबयान इतने विलम्ब से अर्थात् अपराह्न 8.00 बजे क्यों अभिलिखित किया गया । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि फर्दबयान अभिलिखित किए जाने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई

भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पश्चात् अर्थात् तारीख 3 अप्रैल, 2003 को इसकी एक प्रति विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड को भेजी गई और इस प्रकार यह रिपोर्ट तारीख 5 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हुई । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा न तो रोजनामचे में की गई प्रविष्टि प्रस्तुत की गई है और न ही चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन की पुष्टि होती है । अंत में, यह दलील दी गई है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिग्रहण सूची, फर्दबयान, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट आदि के तैयार किए जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । तद्नुसार, यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका है, फिर भी विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश अनुचित रूप से पारित किया है ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अजय ठाकुर और उनके सहायक काउंसेल श्री नीलेश कुमार ने 2013 की दांडिक अपील संख्या 1052 में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. लाल द्वारा दी गई दलील के समर्थन में 2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में दलील दी और यह तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से इस मामले में कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट न्यायालय में विलम्ब से प्राप्त हुई है और फर्दबयान अभिलिखित करने वाले अधिकारी की परीक्षा विचारण के दौरान नहीं कराई गई है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस मामले का पूर्ववर्ती वृत्तांत अभियोजन पक्ष द्वारा छुपाया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में यह कथन किया है कि सुरेन्द्र सिंह नाम का एक व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गया था और उसके पश्चात् वह पुलिस चौकी पर गया । इसी प्रकार, सुनील सिंह (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् उमाशंकर सिंह (अभि. सा. 6) की मुलाकात पुलिस से पुलिस चौकी में हुई थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इससे यह उपदर्शित

होता है कि घटना के पश्चात् अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 पुलिस चौकी में एक-साथ मौजूद थे । श्री ठाकुर ने यह भी दलील दी है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कुछ काट-छांट की गई प्रतीत होती है । कालम संख्या 3 और 8 में पश्चात्वर्ती पक्तियां जोड़ी गई हैं, जैसाकि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अजय मिश्रा द्वारा दलील दी गई है, विद्वान् लोक अभियोजक ने इस पर यह दलील दी है कि प्रथम कालम में तारीख लिखी गई है और इस प्रकार कालम संख्या 3 और 8 में पक्तियां बढ़ाए जाने का अभिकथन, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा आक्षेप किया गया है, सुसंगत नहीं है । श्री ठाकुर ने न्यायालय का ध्यान अभियोजन पक्षकथन को इस आधार पर अविश्वसनीय ठहराने की ओर दिलाया है कि किसी भी दस्तावेज पर अभि. सा. 3 या अभि. सा. 4 के हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि चक्रधर सिंह के नातेदारों में से एक नातेदार मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची तैयार किए जाने का साक्षी है किन्तु उसकी परीक्षा अभियोजक साक्षी के रूप में नहीं कराई गई है । श्री ठाकुर ने यह भी दलील दी है कि घटना किस प्रक्रार घटित हुई है इसका भी उल्लेख साबित नहीं किया गया है और विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी एक मिनट के लिए हुई थी और इस घटना के दौरान केवल दो गोलियां चलाई गईं ।

12. अपीलार्थी विजय सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी है) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री बक्शी एस. आर. पी. सिन्हा और उनके विद्वान् सहायक काउंसेल श्री संजीव कुमार ने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले पूर्ववर्ती विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि इस अपराध का हेतु अपराध कारित किए जाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मृतक की हत्या कोटा जारी करने/न करने को लेकर की गई है जिसे पर्याप्त हेतु नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि यदि कोटा जारी करने और न करने को

थोड़ी देर के लिए हेतु मान लिया जाए, तब भी मुखिया (अभि. सा. 6) को इस मामले से अलग रखना अपेक्षित नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विचारण के दौरान अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत की गई है जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्तों को मृतक और इत्तिलाकर्ता की गतिविधियों की जानकारी थी ।

13. अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्द लाल सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 में का अपीलार्थी है) और उपेन्द्र सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी है) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री तेज नारायण सिंह ने यह दलील दी है कि अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्द लाल सिंह को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है न ही अभियोजन का यह पक्षकथन है कि इस अपीलार्थी की शनाख्त परेड़ कराई गई थी और इस प्रकार कोई भी शनाख्त न कराए जाने की स्थिति में विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कारण दिखायी नहीं देता है जिसके आधार पर अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्द लाल सिंह को दोषसिद्ध किया जा सके । अपीलार्थी उपेन्द्र सिंह (जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी है) के संबंध में विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस अपीलार्थी को कोटे में कोई रुचि नहीं थी और न ही इसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य है, तथापि, इस अपीलार्थी ने पूर्ववर्ती अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों का ही आश्रय लिया है ।

14. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि घटना के समय घटनास्थल पर बहुत से अपीलार्थी मौजूद नहीं थे ।

15. राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा ने अपीलों का खंडन करते हुए यह दलील दी है कि अभियोजन का यह पक्षकथन है कि सभी अपीलार्थियों ने सामान्य आशय के साथ मृतक, इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्तियों का घेराव किया था और उन्होंने अपने पी. डी. एस. डीलर के पक्ष में कोटा जारी करने के संबंध में मृतक को धमकाया था और मृतक द्वारा इनकार किए जाने पर सभी

अभियुक्तों ने इस घटना में भाग लिया जिसमें पहली गोली अजय सिंह (2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में का अपीलार्थी) और अन्य अभियुक्तों जिनके हाथों में भी अग्न्यायुध थे, गालियां दीं और गोलियां चलाई । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 6), धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) और सुनील सिंह (अभि. सा. 4) इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से घटना में अपीलार्थियों द्वारा भाग लिया जाना साबित किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपराध कारित किए जाने के पश्चात् जब अभियुक्त घटनास्थल से भाग रहे थे तब उन्हें मृतक की पत्नी ऊषा देवी (अभि. सा. 1), इत्तिलाकर्ता की पत्नी सुनीता देवी (अभि. सा. 2) द्वारा देखा गया था । श्री मिश्रा ने यह दलील दी है कि यह सत्य है कि वर्तमान मामले में सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एक-दूसरे के नातेदार थे किन्तु उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि यह साक्षी सच्चे और विश्वसनीय हैं और उनके साक्ष्य को संदिग्ध ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता है । श्री मिश्रा ने यह भी दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल का पता इत्तिलाकर्ता द्वारा दिया गया था और चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि मौखिक साक्ष्य से होती है । अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर, जो कि तर्कसम्मत् और विश्वसनीय हैं, श्री मिश्रा के अनुसार विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश ठीक ही पारित किए हैं जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । जहां तक प्रतिरक्षा साक्ष्य का संबंध है यह दलील दी गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग सभी प्रतिरक्षा साक्षियों ने अभियुक्तों के अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में अभिवाक् किया है जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने अन्यत्र उपस्थित होने संबंधी मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है ।

16. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के अतिरिक्त हमने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन किया है । विचारण के दौरान साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के समय इत्तिलाकर्ता की परीक्षा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में कराई गई है । इस साक्षी के साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि वह अपने

भाई (मृतक) और अन्य दो साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साथ ग्राम के पी. सी. ओ. की ओर जा रहा था, तथापि, रास्ते में उसने दस अभियुक्तों को देखा जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है और ये सभी अभियुक्त भिन्न-भिन्न आयुधों से लैस थे और इस साक्षी ने फर्दबयान में उल्लिखित तथ्यों जैसे तथ्यों का उल्लेख अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से किया है अर्थात् इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों ने किस प्रकार उनका घेराव किया था । तथापि, साक्ष्य के दौरान यह साक्षी अपराध में भाग लेने वाले सभी अभियुक्तों के नाम ठीक प्रकार नहीं बता सका और यही कारण है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने उन तीन अभियुक्तों की दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया है जिनका विचारण उपरोक्त पांच अपीलार्थियों के साथ किया गया था । लेकिन किसी भी स्थिति में अभि. सा. 6 का साक्ष्य मात्र सभी अभियुक्तों के नाम, जिनके नामों का उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किया गया था, अपने साक्ष्य में न देने के कारण अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता । इस साक्षी की भी प्रतिपरीक्षा विस्तार से की गई है, तथापि, उसकी सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आ सकी जिसके आधार पर इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके । अभि. सा. 6 ने अपने साक्ष्य के दौरान फर्दबयान की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हांकित किया गया है, इस साक्षी ने अग्न्यायुध और जिन्दा कारतूस तथा रक्तरंजित मिट्टी अभिगृहीत किए जाने से संबंधित तैयार की गई अभिग्रहण सूची की भी शनाख्त की है जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इस साक्षी ने प्रोटेस्ट आवेदन पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है जिन्हें प्रदर्श-4 और 4/1 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । अपने साक्ष्य में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 3 अप्रैल, 2003 को अपराह्न लगभग 6.10 बजे घटना घटित हुई थी । वह अपने घर से अपने भाई मृतक रमाशंकर सिंह, धीरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3), सुनील सिंह (अभि. सा. 4) और सुरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 5) के साथ रवाना हुआ था । जब वे शत्रुघन साउ के घर के निकट विजय यादव की गुमटी के पास से गुजर रहे थे, तब उसने अजय सिंह, राजेश सिंह, उपेन्द्र सिंह, नवल सिंह, सतेन्द्र सिंह, रंजीत

सिंह, मनोज सिंह, विजय सिंह और 3-4 अन्य अभियुक्त देखे । अजय सिंह के पास राइफल थी, रंजीत सिंह के पास भी रायफल थी और अन्य अभियुक्त पिस्तौलें लिए हुए थे । अभियुक्तों ने इन लोगों से कोटा जारी करने को कहा जिसपर उसके भाई ने इनकार किया और इसके पश्चात् अजय सिंह द्वारा उसके भाई पर गोली चलाई गई । अन्य अभियुक्त भी गोलियां चलाने लगे । उसका भाई क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया और इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्ति भयभीत होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए । अभियुक्तों ने उन पर भी गोलियां चलाई । अभियुक्तों के भाग जाने के 2-3 मिनट पश्चात् इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्ति वापस आए और उन्होंने देखा की इत्तिलाकर्ता के भाई की मृत्यु हो चुकी है । अभियुक्त ग्राम की ओर भाग गए । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची । इस साक्षी ने पुलिस को अपना कथन अभिलिखित कराया जो उसे पढ़कर सुनाया गया । इसके पश्चात् इस साक्षी ने अपने कथन पर हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी मौजूदगी में पुलिस ने चार चले हुए कारतूस (खोखा) और चार जिन्दा कारतूस तथा रक्तरंजित मिट्टी बरामद की, साथ ही रक्तरंजित मिट्टी से संबंधित अक्षयबर उपाध्याय द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया जिसपर चक्रधर द्वारा हस्ताक्षर किए गए । इत्तिलाकर्ता के भाई के शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी इसी पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई जिसपर उसने और चक्रधर सिंह ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के पैरा 3 में यह कथन किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान प्रोटेस्ट आवेदन भी फाइल किया है और उसने प्रोटेस्ट आवेदन पर किए गए अपने हस्ताक्षर की शनाख्त की है जिन्हें प्रदर्श 4 और 4/ए के रूप में चिन्हांकित किया गया । घटना के पश्चात् इस साक्षी का कथन पुनः अभिलिखित किया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 की ओर ध्यान दिलाया है किन्तु उसके सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री में कोई भी पर्याप्त विरोधाभास नहीं है और इस प्रकार अभि. सा. 6 के साक्ष्य का अवलंब न लेने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

17. धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) और सुनील सिंह (अभि. सा. 4) दोनों अपीलार्थी और मृतक के साथ गए थे और यह घटना उनकी

मौजूदगी में घटित हुई है । इन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि यह घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उनके साक्ष्य को संदिग्ध ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

18. मृतक की पत्नी ऊषा देवी (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर वह अपनी गोतनी अर्थात् सुनीता देवी (अभि. सा. 2) के साथ घर पर मौजूद थी । गोली चलने की आवाज सुनने के पश्चात् वह अपने घर के बाहर आई और उसने देखा कि तीरो सिंह की पुत्री चीख-पुकार कर रही थी और कह रही थी कि रामा भइया की हत्या कर दी । यह साक्षी अपनी गोतनी (अभि. सा. 2) के साथ नन्दकेशवर सिंह के घर की ओर गई । जब वह वहां पहुंची तब उसने देखा कि सभी अभियुक्त हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं कि उन्होंने रामशंकर सिंह की हत्या कर दी है । इस साक्षी ने यह भी देखा कि अजय सिंह (अपीलार्थी) के हाथ में रायफल थी और इस साक्षी ने बताया कि अन्य अभियुक्तों के पास छोटे वाले अग्न्यायुध थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका पति पी. डी. एस. डीलर की दुकान चलाता है और अभियुक्तों ने उस पर दबाव डाला था कि वह इस काम को छोड़ दे । इसके पश्चात् इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसका भाईसुर (अभि. सा. 6) मुखिया है और अभियुक्त उससे अपने नाम संविदा (ठेका) लेने की बात कर रहे थे और उनके बीच शत्रुता का यही कारण था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह कथन किया है कि उसका भाईसुर अर्थात् उसके पति का बड़ा भाई (अभि. सा. 6) ग्राम का मुखिया है और अपीलार्थी रंजीत सिंह **उर्फ** रंजीत उप-मुखिया है । इस साक्षी ने यह दोहराया कि अभियुक्त उसके भाईसुर से ठेके पर काम मांग रहे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 36 में स्वेच्छया यह कथन किया है कि घटना के दिन गोपाल सिंह के बच्चे ग्राम में आए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 45 में यह कथन किया है कि जब अभियुक्त घटनास्थल से भाग रहे थे तब उसने अपीलार्थी अजय सिंह को अन्य अभियुक्तों के साथ आगे-आगे भागते हुए देखा था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा विस्तार से की गई है तथापि, हमारा यह निष्कर्ष है कि उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं

देता है जबकि इस साक्षी के साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने अपराध कारित किए जाने के पश्चात् अभियुक्तों को भागते हुए देखा ।

19. इसी प्रकार, सुनीता देवी (अभि. सा. 2) ने अभिसाक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के दिन और समय पर वह अपनी गोतनी ऊषा देवी (अभि. सा. 1) के साथ थी और गोलियों की आवाज सुनने के पश्चात् वह अपनी गोतनी के साथ अपने घर से बाहर आई और उसने देखा कि पीरो सिंह की पुत्री हल्ला कर रही थी कि "रामा भइया को मार दिया" । अभि. सा. 1 की तरह इस साक्षी ने भी अभियुक्तों को भागते हुए देखा और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के पैरा 1 में अभियुक्तों की शनाख्त के संबंध में वर्णन किया है । अपने साक्ष्य के पैरा 2 में सुनीता देवी ने यह कथन किया है कि उसका देवर (मृतक) पी. डी. एस. की दुकान चलाता था और अभियुक्त उस पर इस काम को छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे । इस साक्षी की भी प्रतिपरीक्षा विस्तार से की गई है और इसकी परीक्षा के दौरान हमें ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं दी है जिसके आधार पर उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके ।

20. डा. दिलीप कुमार (अभि. सा. 7) तारीख 4 अप्रैल, 2003 को उप-खंड अस्पताल, बाढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और उसी दिन पूर्वाह्न 9.00 बजे उसने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और मृत्यु-पूर्व की निम्न क्षतियां पाईं :–

> "(1) बाएं नेत्रच्छद के मध्य में नीचे की ओर 0.5 इंच के व्यास में एक विदीर्ण वृत्ताकार प्रविष्टि घाव है जिसके किनारे उलटे हुए हैं जो करोटि की गुहा तक फैला हुआ है और घाव पर कालापन तथा गोदन मौजूद है ।
>
> (2) पश्चकपालीय क्षेत्र में विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 1.0 इंच है और क्षति संख्या 1 का निकास घाव है जिसके किनारे उलटे हुए हैं ।
>
> (3) दाएं पार्श्विक क्षेत्र में 4 इंच × 2 इंच माप का विदीर्ण घाव है और अस्थि पर कालापन तथा गोदन मौजूद है ।

(4) बाएं चूचुक के नीचे द्वितीय अन्तर्पर्शुका पर विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 0.25 इंच है और घाव के किनारे उलटे हुए हैं जिसकी प्रविष्टि पर कालापन और गोदन मौजूद है जो वक्ष की गुहा तक फैली हुई है ।

(5) बाईं स्कन्धास्थि पर विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 2 इंच है और घाव के किनारे उलटे हुए हैं, स्कन्धास्थि में अस्थिभंग भी है, यह घाव क्षति संख्या 4 का निकास घाव है ।

(6) बाएं पिंड में विदीर्ण घाव है जो आंशिक रूप से कटा हुआ है और इस घाव पर कालापन तथा गोदन मौजूद है ।

(7) अंतःस्तनग्रंथि में विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 0.25 इंच है, जिसके किनारे उलटे हुए हैं, घाव पर कालापन और गोदन मौजूद हैं जो वक्षीय गुहा में प्रविष्टि घाव से जाकर मिलता है ।

(8) बाएं परानिलयी क्षेत्र में दसवीं वक्षीय कशेरुक के निकट विदीर्ण घाव हैं जिसके किनारे उलटे हुए हैं जो क्षति संख्या 7 के निकास से जाकर मिलता है ।

(9) अधिजठर पर विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 0.25 इंच है, घाव के किनारे उलटे हुए हैं और इस पर कालापन तथा गोदन मौजूद है जो उदरीय गुहा से जाकर प्रविष्टि घाव से मिलता है ।

(10) दाएं हाइपोकोंड्रियम में विदीर्ण घाव है जिसका व्यास 0.5 इंच है और घाव के किनारे उलटे हुए हैं जिनपर कालापन तथा गोदन मौजूद है जो उदरीय गुहा के प्रविष्टि घाव से जाकर मिलती है ।

करोटि का विच्छेदन करने पर पश्चकपालीय भाग में मस्तिष्कावर्ण विदीर्ण पाया गया है, दायां फेफड़ा विक्षत पाया गया है, आमाशय विदीर्ण हैं और उसमें पचा हुआ भोजन मौजूद है । छोटी और बड़ी अन्तड़ी विदीर्ण है और उसमें मल जैसा पदार्थ पाया गया है । वृक्क निष्क्रिय पाए गए हैं और मूत्राशय रिक्त पाया गया है । बाईं कांख में एक गोली पाई गई है जो अधस्त्वचीय

ऊतक में गड़ी हुई है । एक गोली दाएं कंधे के ऊपर की ओर लगी हुई है जो अधस्त्वचीय ऊतक में फंसी हुई है । दोनों गोलियां शव में से निकालकर मोहरबंद की गईं और इस संबंध में तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन को सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट के साथ पुलिस को सौंप दिया गया ।

मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने से 7 से 36 घंटे पहले हुई है ।

राइफल और पिस्तौल जैसे अग्न्यायुध से उपरोक्त क्षति कारित करने से आघात और रक्तस्राव हुआ है और इसी के परिणामस्वरूप हृदयगति रुक जाने तथा श्वासावरोध होने से मृत्यु कारित हुई है ।"

21. इस साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट की भी शनाख्त की है जो इसी साक्षी के द्वारा लिखी गई है और इस पर उसके हस्ताक्षरों को प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में पेन फिसल जाने के कारण क्षति में कालापन और गोदन का उल्लेख कर दिया गया । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि गोलियां निकट से चलाई गईं हैं । अभि. सा. 7 के साक्ष्य और प्रदर्श 6 का परिशीलन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मृतक को अग्न्यायुध से कई क्षतियां कारित हुई हैं जिसकी संपुष्टि मौखिक साक्ष्य से भी होती है, अर्थात् चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के साथ संगत है ।

22. श्याम किशोर राम (अभि. सा. 9) एक औपचारिक साक्षी हैं जिसने तारीख 26 अप्रैल, 2003 के प्रोटेस्ट आवेदन को साबित किया है जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हांकित किया गया है और तारीख 30 जून, 2003 के प्रोटेस्ट आवेदन को प्रदर्श 5/ए के रूप में चिन्हांकित किया गया है । प्रदर्श 5 से यह पता चलता है कि चूंकि पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी इसलिए प्रोटेस्ट आवेदन फाइल किया गया था ।

23. बच्चू प्रसाद (अभि. सा. 10) एक अन्य औपचारिक साक्षी है जिसने पी. डी. एस. डीलर से संबंधित रमाशंकर सिंह का लाइसेंस साबित

किया है । इस लाइसेंस पर ए. डी. एस. ओ. के हस्ताक्षर प्रदर्श 4/बी के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं और तारीख 4 मार्च, 2006 के पत्र पर भी एस. डी. ओ. के हस्ताक्षर हैं जिसे प्रदर्श 9 के रूप में चिन्हांकित किया गया है ।

24. प्रकाश यादव (अभि. सा. 11) पुलिस उप-निरीक्षक है जिसने 4 चले हुए कारतूस और दो जिन्दा कारतूस तारीख 16 अगस्त, 2007 को पत्र के अनुसार प्रस्तुत किए हैं और उक्त पत्र को प्रदर्श 10 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । 4 चले हुए कारतूसों को तात्विक वस्तु I, II, III, IV और जिन्दा कारतूसों को तात्विक वस्तु V और VI के रूप में चिन्हांकित किया गया है ।

25. सुरेन्द्र सिंह **उर्फ** लेधा (अभि. सा. 5) जो इत्तिलाकर्ता के साथियों में से एक है, और मृतक का सह-ग्रामवासी है, ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

26. लल्लन प्रसाद (अभि. सा. 8) घटना के दिन पुलिस चौकी बिहारी बीघा जो पुलिस थाना पंडारक के अधिकार क्षेत्र में आती है, पर तैनात था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उक्त तारीख को उसने पुलिस थाना पंडारक के भारसाधक अधिकारी को ग्राम में गोली चलाए जाने के संबंध में टेलीफोन पर सूचना भेजी थी और इसके पश्चात् अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर सशस्त्र होकर गए । इसके तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी श्री डी. के. वर्मा सशस्त्र बल के साथ वहां पहुंचे और पहुंचने के पश्चात् वर्माजी ने उमाशंकर सिंह का फर्दबयान अभिलिखित किया जो लिखने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता को पढ़कर सुनाया गया और इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने इस साक्षी की मौजूदगी में फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उक्त फर्दबयान उसकी मौजूदगी में वर्माजी द्वारा पढ़ी गई थी और उस पर उमाशंकर सिंह के हस्ताक्षर लिए गए थे । उक्त फर्दबयान को पहले ही प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट की भी शनाख्त की है

जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इसके पश्चात्, इस मामले का अन्वेषण उसे सौंप दिया गया और इस साक्षी ने इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता का कथन पुनः अभिलिखित किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया । घटनास्थल ग्राम बिहारी बीघा में शत्रुघन साउ के मकान के निकट सीमेंट से बनी सड़क पर था जहां राम शंकर सिंह का शव रक्त से लथपथ पड़ा पाया गया था । इस साक्षी ने पैरा 1 में घटनास्थल का वर्णन किया है । अपने साक्ष्य के पैरा 1 में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर काफी रक्त पड़ा हुआ देखा था । घटनास्थल पर 4 जिन्दा और 4 चले हुए कारतूस पाए गए थे । अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी बनाई गई । इस साक्षी ने अन्वेषण के दौरान धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3), सुनील सिंह (अभि. सा. 4), सुरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 5), ऊषा देवी (अभि. सा. 1), सुनीता देवी (अभि. सा. 2), महेन्द्र सिंह, मोहन्त कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह (जिनकी परीक्षा नहीं कराई गई है) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और अभियुक्तों के नाम प्रकट किए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सुरेन्द्र सिंह **उर्फ** लेधा सिंह ने अभियुक्तों के नाम प्रकट किए हैं । इस साक्षी ने फर्द बयान पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किए गए पृष्ठांकन को साबित किया है जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हांकित किया गया है और इस साक्षी ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की भी शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 8 के रूप में चिन्हांकित किया गया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान वह शत्रुघन साउ या उसके परिवार के अन्य किसी सदस्य का कथन अभिलिखित नहीं कर सका था क्योंकि उसका मकान बन्द पाया गया था । यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल शत्रुघन साउ के मकान के निकट है । तद्नुसार, शत्रुघन साउ का कथन अभिलिखित न किए जाने का ठोस कारण नहीं है । अन्वेषण अधिकारी ने मामले को सत्य पाकर आरोप पत्र फाइल किया । तद्नुसार, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 8) के साक्ष्य का परिशीलन करने पर घटनास्थल विशिष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि घटनास्थल पर गोली चलाई गई थी और वहां पर

जिन्दा कारतूस पाए गए थे और इस संबंध में अभिग्रहण सूची भी तैयार की गई है । घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी भी अभिगृहीत की गई है ।

27. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्षकथन में सभी अपीलार्थियों के संबंध में कोई कमी नहीं है सिवाय अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के मामले के जो 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 में का अपीलार्थी है । इस अपीलार्थी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है और न ही साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की कभी शनाख्त परेड कराई गई थी और इसलिए इस अपीलार्थी की शनाख्त परेड युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं की गई है । फर्दबयान में इत्तिलाकर्ता ने 10 अभियुक्तों के नाम स्पष्ट रूप से लिखाए हैं और 10 व्यक्तियों को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के रूप में नामित किया गया है जबकि 3-4 अभियुक्त इत्तिलाकर्ता द्वारा अज्ञात बताए गए हैं और उन्हें इसीलिए नामित नहीं किया गया है । तद्नुसार, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के संबंध में संदेह के परे अपना पक्षकथन सिद्ध नहीं किया है । जहां तक प्रतिरक्षा साक्ष्य का संबंध है, निःसंदेह 4 प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में कराई गई है किन्तु उनके साक्ष्य पर विचार करने पर ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि उनके साक्ष्य का अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में अवलंब लिया जाए क्योंकि कम-से-कम उतना तो साबित हो गया है कि स्वयं इत्तिलाकर्ता द्वारा अपीलार्थियों को घटनास्थल पर देखा गया है और इस बात की पुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है । कृष्णदेव प्रसाद (प्रतिरक्षा साक्षी 5) किसी अधिवक्ता का मुंशी है जिसने सर्वेक्षण टिप्पण (प्रदर्श इ) को ही साबित किया है ।

28. सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमें अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित नहीं

किया है और इसीलिए हमें दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । तद्नुसार, 2003 के पुलिस थाना पंडारक में दर्ज कराए गए मामला संख्या 32 से उद्भूत 2004 के सेशन विचारण मामला संख्या 1186 और 2005 के सेशन विचारण मामला संख्या 905 में श्री देव नन्दन प्रसाद सिंह, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-प्रथम, बाढ़, पटना के तारीख 21 अक्तूबर, 2013 का दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के दंडादेश का एतद्वारा अनुमोदन अपीलार्थी रंजीत सिंह **उर्फ** रंजीत (2013 की दांडिक अपील संख्या 1052), विजय सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1083 में का अपीलार्थी), उपेन्द्र सिंह (2013 की दांडिक अपील संख्या 1101 में का अपीलार्थी) और अजय सिंह (2014 की दांडिक अपील संख्या 53 में का अपीलार्थी) के संबंध में किया जाता है, तथापि, 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 में के अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के संबंध में थोड़ा संदेह है ।

29. तद्नुसार, तारीख 21 अक्तूबर, 2013 और तारीख 31 अक्तूबर, 2013 के क्रमशः दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश अपीलार्थी अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह के संबंध में अपास्त किए जाते हैं और इस अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और 2013 की दांडिक अपील संख्या 1049 मंजूर की जाती है । अखिलेश सिंह **उर्फ** नकाता सिंह **उर्फ** नन्दलाल सिंह जमानत पर हैं और उसकी दोषमुक्ति को दृष्टिगत करते हुए उसे जमानत-पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है ।

तद्नुसार, आदेश किया गया ।

अस.

प्रेम बहादुर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

दलीप पुनमागर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 631 और 414)

तारीख 11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी और न्यायमूर्ति (सुश्री) ज्योत्सना रेवल दुआ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं है तथा उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 34 – हत्या – आयुध की बरामदगी – अचानक प्रकोपन – जहां मामले में अपराध के आयुध की बरामदगी न हुई हो तथा अचानक प्रकोपन में आकर आवेश की तीव्रता में हमला किए जाने का कोई साक्षी नहीं है तथा मृतक के शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किए जाने का भी साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

तारीख 27 फरवरी, 2013 को श्री पारस राम ने हरक बहादुर के साथ (दोनों नेपाली हैं), ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न ग्राम प्रेम नगर, तहसील और पुलिस थाना, कोटखाई, जिला शिमला पर स्थित कुंदन सिंह

(अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं खरीदी थीं । वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे दोनों चंदेर नगर की ओर गए । अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्ति प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर और केसर बहादुर (किसार) कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर आए । उन्होंने कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदा और चंदेर नगर की ओर चले गए । तारीख 28 फरवरी, 2013 को 8.45 बजे पूर्वाह्न के आस-पास मृतक पारस राम का शव चंदेर नगर के नजदीक ग्राम भोज नगर के सड़क पर पड़ा हुआ बरामद किया गया था । शिकायतकर्ता के कथन पर श्री जवाहर लाल (अभि. सा. 1) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया था (जिसके अधीन मृतक पारस राम काम करता था), तारीख 28 फरवरी, 2013 को दंड संहिता की धारा 302 और 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2013 पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । श्री हरक बहादुर मृतक पारस राम का साथी है जिसे अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था । उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तारीख 4 मार्च, 2013 को अभिलिखित किया गया था जो इस प्रभाव का है कि सभी पांच नेपाली (प्रेम बहादुर, दिलीप पुनमागर (दोनों अभियुक्त व्यक्ति), उसने स्वयं हरक बहादुर, केसर बहादुर (किसार) और मृतक पारस राम ने तारीख 27 फरवरी, 2013 को रात के दौरान भोज नगर के नजदीक शराब पी थी और जब उन सभी के बीच झगड़ा हुआ तब वे सभी एक-दूसरे पर लातों और घूसों से प्रहार करने लगे और अभियुक्त ने उसे और मृतक पारस राम को पीटा था । श्री किसार वहां से तत्काल चला गया था । वह (श्री हरक बहादुर) नीचे गिर गया था और क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे तीव्र क्षतियां पहुंचाई जाना अभिकथित है, वह लगभग 2 घंटे के पश्चात् पुन: होश में आया था । वह पारस राम (मृतक) के पास पहुंचा । उससे कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने यह उपधारणा की कि पारस राम अपने घर को चला गया जिसके पश्चात् वह भी चला गया । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन, पुलिस ने उसे पारस राम की मृत्यु के बारे में सूचना दी । उसने पारस राम की

अभिकथित हत्या के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया । दोनों अभियुक्तों को मृतक पारस राम (नेपाली) की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा हरक बहादुर को क्षतियां पहुंचाने के लिए दंड संहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (सी. बी. आई.) शिमला, थेयोग, कैम्प द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कठोर कारावास भोगने के साथ जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपीलें फाइल की गईं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभिकथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध किया जाना है, उसे युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए । परिस्थितियों की श्रृंखला को भी सिद्ध होना चाहिए और इनका अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और निश्चित जुड़ाव भी होना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए बहुत सचेत होकर उसे अंगीकार किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृततः पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्यायनिर्णयन करने के लिए निम्न कारकों को संज्ञान में लिया है जो इस प्रकार है । परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए । संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध होंगी न कि सिद्ध हो सकती हैं । इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के संगत होनी चाहिए, अर्थात् उनका इसके सिवाय किसी अन्य कल्पना का स्पष्टीकरण नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है ; परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ; उनसे प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि वे पूर्ण रूप से साबित की गई हो ; और साक्ष्य की श्रृंखला को इस तरह पूरा होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की

निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं पर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना होना चाहिए । यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि किसी समय विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को नहीं लिया जा सकता है, अनभिज्ञतावश आदर्श निश्चितता और विधिक सबूत के बीच कार्यवाही किया जाना हो सकता है । ऐसे समय में ऐसे मामले में विशेष शक्ति होना कहा जा सकता है और इससे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए अटकलबाजियों को पृथक् किया जा सकता है । अभियोजन का यह मामला संपूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो । उसमें यह विधि सुस्थिर है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसे पूरी तरह से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियों को पूरा होना चाहिए, उनसे एक श्रृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए । वर्तमान मामले में घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । आगे कार्यवाही करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त करने या सिद्धदोष करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विधि का उल्लेख करे । परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उसे अकाट्य और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए; ये परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिएं जिनसे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए । परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि निष्कर्ष से किसी तरह बचा नहीं जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था न किसी और द्वारा ; और दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य को पूरा होना

चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी ऐसे परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए कि और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के संगत ही नहीं होना चाहिए बल्कि अभियुक्त की निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए । पूर्वगामी चर्चा के दौरान हमारी विचारित राय यह है कि दोनों निचले न्यायालय ने यह अवलंब लेने में गलती की है कि कथन का भाग जिससे संस्वीकृति की शब्दावली प्रकट हो सकती है जो उन्होंने अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस अधिकारी को दी थी और इसे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 को प्रतिकूल ठहराया जाएगा और केवल कथन का वह भाग जिससे विभिन्न सामग्रियों का पता चलता है, अनुज्ञेय होगी । इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतका के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले में, श्री हरक बहादुर जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, मुख्य साक्षी है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई, यद्यपि वह केवल ऐसा व्यक्ति था जो मामले में प्रकाश डाल सकता हो । श्री हरक बहादुर की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन तात्विक रूप से प्रभावित होगा । तथाकथित परिसाक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, अभियुक्त को अभिकथित अपराध से संबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । हेतु : जैसा कि अभिलेख पर देखा गया है, वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों का अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नहीं था । निरीक्षक गौरी दत्त शर्मा अभि. सा. 23, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मेरे अन्वेषण के अनुसार अभियुक्त और मृतक प्रेम नगर के नजदीक घटना के दिन प्रथम बार मिले थे परन्तु मैं यथावत् स्थान के बारे में नहीं बता सकता जहां वे पहली बार मिले । यह सही है कि अभियुक्त व्यक्ति की मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी । मामले के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, अभियुक्त का हेतु अपराध करने का रहा है जिस पर गांव के उत्सव में ड्रामा के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में झगड़े के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे । साधारणतया, अभियोजन के मामले में अभियुक्त के हेतु को जानने की इच्छा जाहिर की गई

क्योंकि परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली एक अन्य परिस्थिति की भांति है और इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यदि घटना के हेतु की वास्तविकता को साबित नहीं किया गया है, साक्षियों का घटना के बारे में मौखिक परिसाक्ष्य को केवल हेतु के अभाव के आधार पर ही त्यक्त नहीं किया जा सकता । यदि साक्ष्य विश्वास योग्य है । परन्तु वर्तमान मामले में जैसाकि हमने ऊपर के पैराओं में पहले ही चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्षियों का साक्ष्य संतोषजनक नहीं है और दूसरी ओर, यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर चोट मारी थी । प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के बावजूद कि उनके बीच झगड़ा हुआ था । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, निश्चित रूप से दोधारी तलवार का प्रयोग करके हेतु से कार्य किया गया । इस प्रकार सुस्थिर विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा और साक्ष्य से जो कुछ भी स्पष्ट हुआ है इसमें अत्यधिक क्रूरता का अभाव है, यद्यपि यह उपधारणा की गई है कि अभियुक्त ने डंडे से मृतक को चोट पहुंचाई । क्या मामले में मृतक के जीवन को छीने जाने का प्रबल हेतु रहा है, साधारणतया, मृतक को अत्यधिक घातक क्षतियां पहुंचाई जानी चाहिए थीं न कि डंडे से परंतु खतरनाक आयुधों का प्रयोग करके । इन परिस्थितियों से हमें यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा ग्राम उत्सव के ड्रामा के दौरान किए गए झगड़े की पृष्ठभूमि में अभियुक्त द्वारा हेतु ग्रहण किया गया था, घटना की तारीख से पूर्व जैसा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए उस आधार को बताता है जिसमें उक्त झगड़े में हेतु का तत्व रहा हो, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल हुआ हो कि इस मामले में हेतु से कोई आधार प्रकट होता हो । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही हैं । परिस्थितियां जिसमें घटना घटी ; प्रयोग किए गए आयुध की प्रकृति ; क्या आयुध लाया गया था या घटनास्थल से उसे लिया गया ; क्या शरीर के महत्वपूर्ण भाग को लक्षित करके हमला किया गया था ; प्रयोग किए गए बल की मात्रा ; क्या मृतक ने अचानक झगड़े में

भागीदारी की थी ; क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी ; क्या कोई अचानक प्रकोपन हुआ था ; क्या हमला आवेश की तीव्रता में हुआ था ; और क्या व्यक्ति जिसे क्षति कारित की गई । किसी असम्यक् फायदे से की गई थी या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अभियुक्त का मृतक पारस राम की हत्या करने का आशय था । किसी आयुध की बरामदगी नहीं की गई थी । ऐसा कोई कथन नहीं है कि शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किया गया था । किसी पूर्व शत्रुता के बारे में कोई साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त अचानक प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि हमला आवेश की तीव्रता में आकर किया गया था या अभियुक्त के बारे में कोई असम्यक् फायदा लेने के लिए क्षति कारित किया जाना अभिकथित है या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । यद्यपि, साक्षियों के कथन पर विश्वास किया जाए । इस पर जो कुछ भी ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए । यह है कि यह एकल व्यक्ति का मामला नहीं था या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को पीटा था । इस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि पांच पिए हुए व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था, इन सभी के बीच गुथमगुत्था हुई थी और किसने उस पर क्षति कारित की ; और किसने घातक क्षति पहुंचाई, यह बात आगे नहीं आती है । पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला न तो विश्वसनीय है और न पूर्ण है । इन परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने का साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे होना चाहिए । अप्रतिरोध्य और निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तविक अपराधी है । वर्तमान मामले में हमारी यह राय है कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है । पारिस्थितिक साक्ष्य से विश्वास नहीं मिलता है, श्रृंखला पूरी नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपण करने का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता है । मात्र परिकल्पना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उपलब्ध साक्ष्य

से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है कि केवल वह व्यक्ति था जिसने अभियुक्त व्यक्तियों में से यह कार्य किया । उपरोक्त चर्चा और मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में विफल हुआ है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति, नेपाली राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति जो वर्तमान में दंड को भोग रहे हैं, उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाता है । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 16 एस. सी. सी. 161 : **नवनीतथाकृष्णा** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** ;	11(ii)(ग)
[2018]	(2018) 7 एस. सी. सी. 536 : **कुमार** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** ;	11(iv)(क)
[2018]	(2018) 4 एस. सी. सी. 329 : **लवघानभाई देवीजीभाई वासवा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	11(v)(क)
[2017]	(2017) 14 एस. सी. सी. 359 : **अंजन कुमार शर्मा** बनाम **असम राज्य** ;	8, 10
[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 353 : **गणपत सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	8
[2017]	(2017) 11 एस. सी. सी. 129 : **बिजेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	9

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 550 :
निजाम और एक अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** ; 11(ii)(ख)

[2015] (2015) 4 एस. सी. सी. 393 :
अशोक बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 8

[2014] (2014) 11 एस. सी. सी. 335 :
जोगिन्द्र सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 9

[2006] (2006) 10 एस. सी. सी. 353 :
रामरेड्डी, राजेश खन्ना रेड्डी बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 8

[2005] (2005) 11 एस. सी. सी. 600 :
राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 631 और 414.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री बलवंत सिंह ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री नरेन्द्र गुलेरिया, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) ज्योत्सना रेवल दुआ ने दिया ।

न्या. (सुश्री) दुआ – अपीलार्थी-अभियुक्त प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त व्यक्ति" कहा गया है) ने 2013 के सेशन विचारण सं. 22-टी/7, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रेम बहादुर और एक अन्य वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (सी. बी. आई.) शिमला, थेयोग, कैम्प द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2017 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है, जिसके द्वारा दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कठोर कारावास भोगने के साथ अलग-अलग 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का

संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास के अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. **अभियोजन मामला :**

अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है :-

2(i). तारीख 27 फरवरी, 2013 को श्री पारस राम ने हरक बहादुर के साथ (दोनों नेपाली हैं), ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न ग्राम प्रेम नगर, तहसील और पुलिस थाना, कोटखाई, जिला शिमला पर स्थित कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं खरीदी थीं । वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे दोनों चंदेर नगर की ओर गए । अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्ति प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर और केसर बहादुर (किसार) कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर आए । उन्होंने कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदा और चंदेर नगर की ओर चले गए ।

2(ii). तारीख 28 फरवरी, 2013 को 8.45 बजे पूर्वाह्न के आस-पास मृतक पारस राम का शव चंदेर नगर के नजदीक ग्राम भोज नगर के सड़क पर पड़ा हुआ बरामद किया गया था ।

2(iii). शिकायतकर्ता के कथन पर श्री जवाहर लाल (अभि. सा. 1) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया था (जिसके अधीन मृतक पारस राम काम करता था), तारीख 28 फरवरी, 2013 को दंड संहिता की धारा 302 और 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2013 पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । श्री हरक बहादुर मृतक पारस राम का साथी है जिसे अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था । उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तारीख 4 मार्च, 2013 को अभिलिखित किया गया था जो इस प्रभाव का है कि सभी पांच नेपाली (प्रेम बहादुर, दिलीप पुनमागर (दोनों अभियुक्त व्यक्ति),

उसने स्वयं हरक बहादुर, केसर बहादुर (किसार) और मृतक पारस राम ने तारीख 27 फरवरी, 2013 को रात के दौरान भोज नगर के नजदीक शराब पी थी और जब उन सभी के बीच झगड़ा हुआ । तब वे सभी एक-दूसरे पर लातों और घूसों से प्रहार करने लगे और अभियुक्त ने उसे और मृतक पारस राम को पीटा था । श्री किसार वहां से तत्काल चला गया था । वह (श्री हरक बहादुर) नीचे गिर गया था और क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे तीव्र क्षतियां पहुंचाई जाना अभिकथित है, वह लगभग 2 घंटे के पश्चात् पुन: होश में आया था । वह पारस राम (मृतक) के पास पहुंचा । उससे कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने यह उपधारणा की कि पारस राम अपने घर को चला गया जिसके पश्चात् वह भी चला गया । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन, पुलिस ने उसे पारस राम की मृत्यु के बारे में सूचना दी । उसने पारस राम की अभिकथित हत्या के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया ।

3. दोनों अभियुक्तों को मृतक पारस राम (नेपाली) की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा हरक बहादुर को क्षतियां पहुंचाने के लिए दंड संहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 24 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई प्रतिरक्षा नहीं दी गई थी ।

5. हमने अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों के विद्वान् काउंसेल तथा विद्वान् अपर महाधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण मामले का बारीकी से परिशीलन किया ।

6. अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से इन बातों पर अपने विनिश्चय को आधारित किया है :-

(i) अंतिम बार देखे जाने की कहानी ।

(ii) पारिस्थितिक साक्ष्य ।

(iii) प्रकटीकरण कथन ।

7. हमारा विचारित मत यह है कि वर्तमान मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही और उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिससे वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि का परिणाम निकाला है । अभिलेख पर उपलब्ध कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, जिसकी कसौटी पर अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय घृणित अपराध करने के लिए अपराध से दोषसिद्ध किया जा सकता है । हम अपने कारणों को इसमें इसके पश्चात् नीचे वर्णित करते हैं ।

अंतिम बार देखे जाने की कहानी

7(i). साक्षी : वर्तमान मामले में इस कहानी के तीन मुख्य साक्षी हैं, अर्थात् श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5), श्री केसर (अभि. सा. 2) और श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) ।

7(ii). श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ग्राम प्रेम नगर दुकानदार है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "तारीख 27 फरवरी, 2013 को, प्रेम बहादुर और दिलीप कुमार ने मेरी दुकान से टाफियां खरीदी थीं और हरक बहादुर, केसर बहादुर और पारस राम ने दालें, सरसों का तेल, सब्जियां और टमाटर मेरी दुकान से खरीदीं । इन वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे मेरी दुकान से चले गए ।"

उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "दोनों अभियुक्त लगभग 5.00 बजे अपराह्न मेरी दुकान पर

पहुंचे । अभियुक्त लगभग 5.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । केसर बहादुर और पारस राम (मृतक) अभियुक्त व्यक्तियों के पश्चात् मेरी दुकान पर पहुंचे और सभी व्यक्ति मेरी दुकान से 5.45 बजे अपराह्न एक ही समय पर चले गए थे ।"

इस प्रकार, श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि दोनों अभियुक्त लगभग 5.00 बजे अपराह्न मेरी दुकान पर पहुंचे और लगभग 5.45 बजे मेरी दुकान से चले गए । उसने यह भी कथन किया है कि मृतक पारस राम और केसर बहादुर अभियुक्त व्यक्तियों के पश्चात् मेरी दुकान पर पहुंचे और सभी व्यक्तियों को लगभग 5.45 बजे अपराह्न मेरी दुकान से चले गए ।

7(iii). जबकि श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) कृषक है जो कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान के नजदीक निवास करता है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

"सर्वप्रथम पारस राम (मृतक) और एक दूसरा व्यक्ति गोरखा दुकान से चले थे और एक घंटे के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति भी दुकान से चले गए थे । मृतक और एक अन्य गोरखा ने लगभग 5.45 बजे दुकान से चले थे और अभियुक्त व्यक्ति लगभग 6.45 बजे अपराह्न दुकान से चले थे ।"

श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) का यह वृतांत इस प्रभाव का है कि मृतक अभियुक्त व्यक्ति के साथ नहीं था बल्कि एक-दूसरे गोरखा व्यक्ति के साथ था और मृतक पारस राम इस गोरखे के साथ लगभग 5.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । उसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति लगभग 6.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । इस प्रकार, उसके कथन के अनुसार, मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच दुकान छोड़ने का एक घंटे का अंतराल था । यह अभि. सा. 5 के कथन में विचलन है ।

7(iv). श्री केसर (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि :-

"लगभग 2 वर्ष पूर्व में प्रेम और दिलीप के साथ गुमा में गया

हुआ था । जब हम गुमा से वापस लौट रहे थे तब प्रेम नगर स्थान पर पहुंचे, मृतक पारस राम और हरक बहादुर मुझे वहां पर मिले तब हम सभी पांचों व्यक्तियों ने एक स्थान पर बैठकर प्रेम नगर में बैठकर शराब पी थी । इसके पश्चात् मृतक पारस राम ने मुझे थप्पड़ मारा तब मैं मस्त राम के मकान में अपने आवास पर चला गया था । उसके पश्चात् वहां पर क्या घटित हुआ मुझे नहीं मालूम ।"

8. मताभिव्यक्तियां :-

8(i). उपरोक्त तीन साक्षियों में से किसी ने भी अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई अंतिम बार देखे जाने की कहानी का समर्थन नहीं किया है । इन तीनों साक्षियों के कथनों में बड़े विभेद हैं । श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि सभी पांचों नेपालियों ने लगभग 5.45 बजे अपराह्न एक साथ उसकी दुकान से चले गए थे जबकि श्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि पहले मृतक पारस राम एक अन्य गोरखा के साथ दुकान से चला गया था जिसने अन्वेषण के अनुसार हरक बहादुर को छोड़ दिया था और उसके आगे एक घंटे के बाद दोनों अभियुक्त व्यक्ति श्री केसर सिंह के साथ श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर पहुंचे और इसके पश्चात् वे वहां से चले गए ।

8(ii). श्री केसर सिंह (अभि. सा. 2) ने भी यह साक्ष्य दिया है कि सभी पांचों व्यक्ति प्रेम नगर पर मिले थे और उन्होंने एक छज्जे के नीचे बैठकर शराब पी । उसने यह भी कथन किया कि मृतक पारस राम द्वारा उसे थप्पड़ मारा गया था । जिसके पश्चात् उसने उस स्थान को छोड़ दिया था और मस्त राम के मकान में अपने कमरे में चला गया था । पश्चात्वर्ती घटनाओं के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है ।

8(iii). अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने **रामरेड्डी, राजेश खन्ना रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 174.

यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में अंतिम बार देखे जाने की कहानी लागू नहीं होती है क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के बारे में मृतक पारस राम के साथ लगभग 5.45 बजे अंतिम बार देखे जाने का अभिकथन किया गया था और मृतक का शव अगले दिन 8.45 बजे पूर्वाह्न में बरामद किया गया था । समय अंतराल कम नहीं है जिससे कि अभियुक्त के अपेक्षा कोई व्यक्ति इस संभावना को अस्वीकार कर दे जो अभिकथित अपराध के कर्ता रहा हो, वर्तमान मामले में जब मुख्य साक्षी श्री हरक बहादुर की परीक्षा नहीं की गई है ।

8(iv). हम अपीलार्थी-अभियुक्तों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त होते हैं । अन्यथा, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की जो बिना किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में प्रकट है । इससे अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने का आधार नहीं बन सकता है ।

8(v)(क). **गणपत सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात् इस स्थिति को दोहराया है कि अंतिम बार देखे जाने की कहानी तब भूमिका में आती है जहां समय के बीच समय का अंतराल प्रकट होता है जब अभियुक्त और मृतक अंतिम बार जीवित देखे गए थे और जब मृतक मृत पाया गया तो उसके बीच अंतराल बहुत था तब अभियुक्त की अपेक्षा किसी व्यक्ति के बारे में संभावना कि वह अपराध का दोषी रहा है, असंभव होगा । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है जिसे नीचे दिया गया है :-

> "10. ऐसा साक्ष्य कि अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ दिखाई दिए थे । इससे यह महत्वपूर्ण उपधारणा की जाती है जब अभियुक्त और मृतक एक साथ देखे गए हों । समय के बीच समय का बीत जाना और जब मृतक मृत पाया जाता है जो अल्प अवधि में हुआ है । इससे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत्यु होना

[1] (2017) 16 एस. सी. सी. 353.

घटित होने की संभावना को अपवर्जित किया जाता है । विधि का सुस्थिर सूत्र इस प्रकार है –

अंतिम बार देखे जाने की कहानी तब भूमिका में आती है जहां अभियुक्त और मृतक अंतिम बार जीवित देखे गए थे तब समय के बीच समय का अंतराल देखा जाता है और जब मृतक कम समय में मृत पाया जाता है तब अभियुक्त की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति की संभावना अपराध के कर्ता होने के रूप में असंभव हो जाएगी । कुछ मामलों में यह बात बड़ी मुश्किल होती है कि सकारात्मक रूप से यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त का जब मृतक से मिलने का लंबा अंतराल हो और अन्य व्यक्तियों की उनके बीच आने की संभावना विद्यमान रहती है । किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में यह निष्कर्ष निकालना कि अभियुक्त मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे, ऐसे मामलों में यह कठिन होगा कि उन मामलों में दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचा जाए ।"

8(v)(ख). **अंजन कुमार शर्मा** बनाम **असम राज्य** [1] वाले मामले में एक समान विनिश्चयाधार है । निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :–

"19. अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति से स्वत: अपराध के दोष के संबंध में अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराने का आधार नहीं हो सकता । कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में इस न्यायालय ने (एस. सी. सी. पृष्ठ 719, पैरा 12 और 15) यह अभिनिर्धारित किया है कि –

'12. अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति से स्वत: मामले में हस्तक्षेप करना अपरिहार्य नहीं होता है कि वह अभियुक्त था जिसने अपराध किया है । इसमें कुछ और अभियुक्त और अपराध के बीच को सिद्ध करने के लिए अपराध के बीच के संबंध के सिद्ध होने के लिए कुछ अन्य संबंधित बातें हैं और अपराध के बारे में अपीलार्थी की ओर से मात्र

[1] (2017) 14 एस. सी. सी. 359.

स्पष्टीकरण नहीं देने पर हमारा विचारित मत यह है कि इससे स्वत: अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता का सबूत नहीं हो सकता ।'

15. अंतिम बार देखे जाने की कहानी – अपीलार्थी मृतक के साथ इस रीति में गया था जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है जो उसके विरुद्ध उपलब्ध पारिस्थितिक साक्ष्य का एक टुकड़ा मात्र है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि मात्र संदेह के आधार पर कायम नहीं रखी जा सकती है, तथापि, जो संदेह उसके आचरण को देखते हुए प्रबल हो सकता है । इन तथ्यों से हेतु के सबूत के अभाव पर उसे महत्व दिए जाने की उपधारणा की जाती है । विशिष्ट रूप से जब यह साबित हो जाता है कि काफी लंबे समय से अभियुक्त और मृतक के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध था । ऐसी तथ्य स्थिति अत्यधिक समानता रखती है जैसा कि माधव सिंह बनाम राजस्थान राज्य में अभिकथित किया गया है ।"

8(v)(ग). **अशोक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था जो इस प्रकार है :–

"12. उपरोक्त कथित निर्णयों का अध्ययन करने से और इस न्यायालय द्वारा कई वर्षों से अन्य मामलों में नियम के बारे में जो कुछ अधिकथित किया गया है उसे संक्षिप्त किया जा सकता है क्योंकि सबूत का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है जिससे कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य को लाएं । तथापि, अंतिम बार एक साथ देखे गए मामले में, अभियोजन पक्ष घटना की यथावत् घटने की प्रक्रिया के सबूत के लिए उसे छूट दी गई है क्योंकि अभियुक्त को स्वयं घटना की विशेष जानकारी होती है और इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार सबूत का भार होता है इसलिए, एक साथ अंतिम बार देखे गए से स्वत: वह निश्चायक सबूत नहीं होता है परंतु घटना के चारों ओर

[1] (2015) 4 एस. सी. सी. 393.

की अन्य परिस्थितियों के साथ जैसे अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध, उनके बीच शत्रुता, वैरभाव का पूर्व इतिहास, अभियुक्त से आयुध की बरामदगी आदि । मृतक की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना से दोषिता की उपधारणा हो सकती है ।

13. हरिबंधन बाबू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य वाले मामले में एक अन्य निर्णय का उल्लेख करना यहां पर सुसंगत होगा । इस मामले में इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका की मृत्यु के बीच समय अंतराल और वह समय जब उसे अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, वह समय भी सुसंगत हो सकता है ।"

8(vi). वर्तमान मामले में अधिकथित विधि की तर्कणा को लागू करते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी साक्षी ने अंतिम बार देखे जाने की कहानी का समर्थन नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषी निश्चायक रूप से ठहराया जा सकता है । श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2013 को 5.45 बजे अपराह्न अभियुक्त को अंतिम बार देखे जाने के बीच समय अंतराल है और मृतक पारस राम के शव की बरामदगी तारीख 28 फरवरी, 2013 को लगभग 8.45 बजे पूर्वाह्न की गई थी, इस बात को अल्प समय नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त, जब अभियुक्त व्यक्ति मृतक पारस राम के साथ 5.45 बजे अपराह्न नहीं थे तब उन्हें श्री केसर (अभि. सा. 2) और श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) के कथनों के अनुसार उसे काफी देर के बाद वह मिला था । इस प्रकार अंतिम बार देखे जाने की कहानी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है ।

9. तात्विक साक्षी को दबा रखना :-

9(i). मुख्य साक्षी हरक बहादुर, जिसे पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह कहा है कि - (क) वह श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को

खरीदते समय मृतक पारस राम के साथ था ; (ख) और वह चंदेर नगर को जाते हुए मृतक पारस राम के साथ था ; (ग) उसने जब दोनों अभियुक्त व्यक्ति और श्री केसर सिंह से वे मिले तब उन्होंने मृतक के साथ शराब पी थी ; (घ) इसके अतिरिक्त उन सभी के बीच झगड़ा भी हुआ था ; (ङ) जिस दौरान श्री केसर सिंह उस स्थान से चला गया और (च) आगे अभियुक्त ने पारस राम की हत्या कर दी थी और उसे (हरक बहादुर) को क्षतियां पहुंचाई ; जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की थी ।

9(ii). माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि तात्विक साक्षी की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन में बड़ा खोट है । **बिजेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] का निर्देश किया जा सकता है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :-

> "36. तखाजी हिराजी बनाम थाकोरे कुबेर सिंह चमन सिंह (एस. सी. सी. पृष्ठ 155, पैरा 19) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है –
>
> 19. .....यदि कोई तात्विक साक्षी जिसने घटना की उत्पत्ति या अभियोजन पक्षकथन के आवश्यक भाग को प्रकट किया है और जहां अभियोजन पक्षकथन ने कोई अंतराल या दुर्बलता है । जिस बात को कहा जा सकता है या साक्ष्य की परीक्षा करके उसे अच्छा रूप दिया जा सकता है । यद्यपि उपलब्ध होने पर भी उसकी परीक्षा नहीं की गई, तब अभियोजन पक्षकथन कमी से ग्रसित हो सकता है और ऐसे तात्विक साक्षी को रोकने पर न्यायालय अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है जिस पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि ऐसे साक्षी की परीक्षा की गई होती तब वह अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करता । दूसरी ओर, यदि पहले ही वशीभूत करने वाला साक्ष्य उपलब्ध है और अन्य साक्षियों की परीक्षा करने से

---

[1] (2017) 11 एस. सी. सी. 129.

केवल साक्ष्य को दोहराना प्रकट होता है जिसे पहले ही पेश किया गया है । ऐसे अन्य साक्षियों की परीक्षा न करना प्राथमिक नहीं हो सकता यदि पहले ही साक्षियों की परीक्षा की गई है और जो विश्वसनीय पाए गए हैं तथा उनके मुंह से प्रकट परिसाक्ष्य अनिन्द्य/निर्दोष है । कोई न्यायालय उस पर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है, अन्य साक्षियों की परीक्षा न करने के तथ्य के द्वारा जो मामला अप्रभावित हुआ है ।"

9(ii)(ख). **जोगिन्द्र सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में एक समान तर्कणा दी गई है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :–

"37. इस प्रक्रम पर हम लाभ पाने के लिए एक अन्य पहलू का उल्लेख कर सकते हैं जिसे प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्घाटित किया गया है । अभियोजन पक्ष ने मृतका के पति चन्देर की परीक्षा नहीं की जो सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, बाला मूर्ति और विमला तीन अन्य आहत साक्षी हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । यद्यपि अभि. सा. 16 को उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ निश्चित सुझाव दिए गए परंतु उसका उत्तर अस्पष्ट है । विधि में यह सुस्थिर है कि तात्विक साक्षी की परीक्षा न करना अभिलेख पर उपलब्ध परिसाक्ष्य के महत्व को त्यक्त करने के लिए अंकगणितीय सूत्र नहीं है तथापि, यह स्वाभाविक, विश्वसनीय भी हो सकता है । न्यायालय से किसी तात्विक साक्षी को रोकने का आरोप जो अभियोजन पक्ष के विरुद्ध लगाए गए हैं, उनकी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में परीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या साक्षी न्यायालय में परीक्षा देने के लिए उपलब्ध है तो भी उनको अभियोजन पक्ष द्वारा रोका गया था । (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद वाला मामला देखिए) ।"

वर्तमान मामला जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और

---

[1] (2014) 11 एस. सी. सी. 335.

अंतिम बार देखे जाने की कहानी का हरक बहादुर एकमात्र मूल कड़ी है । वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अंतिम बार देखे जाने की कहानी/पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी पूरी श्रृंखला को साबित कर सका है । उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि किसी अन्य साक्ष्य से हत्या के अभियुक्त को उपदर्शित करने के लिए विश्वास नहीं दिलाता है जो अभिलेख पर उपलब्ध हो । चूंकि, हरक बहादुर मुख्य साक्षी है । उसकी परीक्षा न किए जाने से अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

10. **प्रकटीकरण कथन**

साक्षी :

10(i). अंतिम बार देखे जाने की कहानी से अलग, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्षकथन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-4/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.4/ख पर भी आधारित हैं, तथा रक्तरंजीत कपड़े, जूते और घटना के स्थान के बारे में उनके प्रकटीकरण कथन पर आधारित हैं । साक्षी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित प्रकटीकरण कथनों के बारे में अंतर्वलित है, उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20), कांस्टेबल प्रदीप कुमार (अभि सा. 14) और श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) हैं ।

10(ii). कांस्टेबल प्रदीप कुमार (अभि. सा. 14) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "अभियुक्त प्रेम बहादुर का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-14/क है और अभियुक्त दिलीप पुनगामर का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-14/ख है जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, ओम प्रकाश और जगदीश सांख्यांकन साक्षी हैं ।"

उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "साक्षी जगदीश चौहान घटनास्थल पर मौजूद था और न कि पुलिस थाने में । मैं यह नहीं कह सकता अन्वेषक अधिकारी द्वारा मेरी मौजूदगी में अभियुक्तों के कितने कथन अभिलिखित किए गए

थे । मैंने दो ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे । अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्वेषक अधिकारी को घटनास्थल पर अपना-अपना कथन दिया था । उनके कथन उनके घर के बाहर लेखबद्ध किए गए थे । मैंने कोई फोटो नहीं ली थी जब अभियुक्तों से कपड़े बरामद किए गए थे । कई व्यक्ति वहां पर मौजूद थे जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था ।"

10(iii). उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

"अभियुक्त का प्रथम प्रकटीकरण कथन कपड़े और जूते के बारे में था । प्रथम प्रकटीकरण कथन अभियुक्त प्रेम बहादुर द्वारा दिया गया था । मुझे मध्यांतर समय याद नहीं है जब अन्य अभियुक्त दिलीप का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त प्रेम बहादुर का प्रकटीकरण कथन लगभग 10.30 से 11.30 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था जब कथन अभिलिखित किया गया था तब मैं थाना भारसाधक अधिकारी प्रदीप और कांस्टेबल जगदीश के साथ था । जगदीश मुझसे पहले यहां पर मौजूद था । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किस साक्षी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन पर हस्ताक्षर किया था । यह बात सही नहीं है कि मैं प्रकटीकरण कथन के समय पर मौजूद नहीं था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन थाना गृह अधिकारी के कमरे में अभिलिखित किया गया था ।"

10(iv). श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

"मैं लगभग 11-12 बजे पूर्वाह्न (दोपहर) में पुलिस थाने पर पहुंचा था । सहायक उप निरीक्षक द्वारा कथन अभिलिखित किया गया था परंतु मैं उसका नाम नहीं जानता हूं । दो अन्य पुलिस पदधारी भी वहां पर मौजूद थे । सहायक उप निरीक्षक ने अभियुक्त से पूछताछ की थी । मुझे अन्य पुलिस पदधारियों की श्रेणी के बारे

में याद नहीं है । अभियुक्त सहायक उप निरीक्षक के कार्यालय में था ।"

मताभिव्यक्तियों :

10(v). उपरोक्त तीनों साक्षियों के कथनों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर, उनमें तात्विक विभेद प्रकट होते हैं । श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि प्रकटीकरण कथन घटनास्थल पर अभिलिखित किए गए थे और न कि पुलिस थाने में तथा अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण कथन अभिलिखित करते समय वहां पर कई अन्य व्यक्ति मौजूद थे । उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20) ने यह कथन किया है कि थाना गृह अधिकारी के कमरे में लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न प्रकटीकरण अभिलिखित किए गए थे । उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त सहायक उप निरीक्षक के कार्यालय में था और वहां पर कथन अभिलिखित किए गए थे और न घटनास्थल पर । उसने यह भी कहा है कि वह लगभग 11-12 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाने पर पहुंचा । साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने का स्थान और समय जो भिन्न-भिन्न समय पर आए थे, उनके भिन्न-भिन्न कथन अभिलिखित किए गए । प्रकटीकरण कथनों को विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया गया है । अन्यथा तारीख 2 मार्च, 2013 को लेखबद्ध तथाकथित प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामदगी की गई थी जिसमें रक्तरंजीत कपड़े हैं । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि लड़ाई-झगड़ा हुआ था । कपड़ों पर रक्त की मौजूदगी के बारे में अन्य स्पष्टीकरण दिया जा सकता है । अभियुक्त द्वारा कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त ने पारस राम की हत्या की और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी उन्हें ठहराया गया है ।

10(vi)(क). **अंजन कुमार शर्मा और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 21 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

---

[1] (2017) 14 एस. सी. सी. 359.

21. इस न्यायालय ने भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में किसी स्पष्टीकरण को देने में विफल होने पर केवल इस आधार पर यह पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करे । वर्तमान मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अभियुक्त द्वारा कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने के अभाव में, अभियुक्त की दोषिता की उपधारणा अखंडनीय है और इस प्रकार अपीलार्थी सिद्धदोष किए जाते हैं ।

10(vi)(ख). **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु**[1] और संबंधित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 119 में यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है :-

"119. हमने पूर्व में यह उल्लेख किया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति और किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति जब वह पुलिस अभिरक्षा में है तब उस व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध का अभियुक्त है, साबित नहीं किया जा सकता । निस्संदेह, मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती । इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन को लेना वर्जित है जैसा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य जो किसी जांच या विचारण पर प्रकट हुआ है, उस सीमा को छोड़कर कि ऐसा कथन अभियुक्त द्वारा साक्षियों से विभेद प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । ऐसी संस्वीकृतियां इस कारण से वर्जित की जाती हैं कि उनका कथन अनिच्छुक और मिथ्या होने के कारण उनसे गंभीर खतरा पैदा हो सकता है । धारा 27 जिसमें अप्रायिक रूप से एक परंतुक को प्रकट करता है, जिससे पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति की ग्राह्यता के विरुद्ध वर्जन को दूर करता है जिससे अभियुक्त द्वारा पुलिस

[1] (2005) 11 एस. सी. सी. 600.

अभिरक्षा में प्रकट की गई विनिर्दिष्ट प्रकृति की सूचना को मंजूर करते हुए कुछ सीमा तक रखा गया है । इस भाव में धारा 25 और 26 में अंगीकृत नियमों के अपवाद को भी विचार में लिया जाता है (देखिए उदय भान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य) । धारा 27 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है –

"27. अभियुक्त से प्राप्त की गई सूचना में कितनी सूचना को साबित किया जा सकता है बशर्ते कि जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का निपटारा कैसे किया जाता है जो अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है इसलिए ऐसी सूचना में से कितनी संस्वीकृति की कोटि में आएगी या नहीं जैसा कि पता चले हुए तथ्यों की सुभिन्नता का संबंध हो जिसे साबित किया जा सकता है ।"

11. **पारिस्थितिक साक्ष्य**

11(i). वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभिकथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध किया जाना है, उसे युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए । परिस्थितियों की श्रृंखला को भी सिद्ध होना चाहिए और इनका अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और निश्चित जुड़ाव भी होना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए बहुत सचेत होकर उसे अंगीकार किया जाना चाहिए ।

11(ii)(क). **अंजन कुमार शर्मा और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 और 16 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जो इस प्रकार है :–

"14. स्वीकृतत:, यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्यायनिर्णयन करने के लिए कारकों को संज्ञान में लिया जाता है जो इस प्रकार है –

(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है

उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए । संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध होंगी न कि सिद्ध हो सकती हैं ।

(2) इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के संगत होनी चाहिए, अर्थात् उनका इसके सिवाय किसी अन्य कल्पना का स्पष्टीकरण नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उनसे प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि वे पूर्ण रूप से साबित की गई हो ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला को इस तरह पूरा होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं पर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना होना चाहिए (देखिए शरद विरदीचंद शारदा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, एस. सी. सी. पृष्ठ 185, पैरा 153 ; एम. जी. अग्रवाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. एस. सी. पैरा 18) ।

16. यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि किसी समय विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को नहीं लिया जा सकता है, अनभिज्ञता वश आदर्श निश्चितता और विधिक सबूत के बीच कार्यवाही किया जाना हो सकता है । ऐसे समय में ऐसे मामले में विशेष शक्ति होना कहा जा सकता है और इससे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए अटकलबाजियों को पृथक् किया जा सकता है । (देखिए जवाहर लाल दास **बनाम** उड़ीसा राज्य, एस. सी. सी. पृष्ठ 37, पैरा 11) ।"

11(ii)(ख). **निजाम और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 550.

मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "8. अभियोजन का यह मामला संपूर्ण रूप से पारिस्थतिक साक्ष्य पर आधारित है । ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो । उसमें यह विधि सुस्थिर है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसे पूरी तरह से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियों को पूरा होना चाहिए, उनसे एक श्रृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए ।"

11(ii)(ग). **नवनीतथाकृष्णा** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 18 और 28 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "18. वर्तमान मामले में घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । आगे कार्यवाही करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त करने या सिद्धदोष करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विधि का उल्लेख करे । पारिस्थितिक साक्ष्य के बारे में विधि को इस न्यायालय द्वारा पडाला वीरारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले पर विचार करना सुसंगत था जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है ; (एस. सी. सी. पृष्ठ 710-11, पैरा 10) ।
>
> "10. .....(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उसे अकाट्य और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए ;

---

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 161.

(2) ये परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिएं जिनसे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए ।

(3) परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि निष्कर्ष से किसी तरह बचा नहीं जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था न किसी और द्वारा ; और

(4) दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितिक साक्ष्य को पूरा होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी ऐसे परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए कि और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के संगत ही नहीं होना चाहिए बल्कि अभियुक्त की निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए ।"

28. पूर्वगामी चर्चा के दौरान हमारी विचारित राय यह है कि दोनों निचले न्यायालय ने यह अवलंब लेने में गलती की है कि कथन का भाग जिससे संस्वीकृति की शब्दावली प्रकट हो सकती है जो उन्होंने अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस अधिकारी को दी थी और इसे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 को प्रतिकूल ठहराया जाएगा और केवल कथन का वह भाग जिससे विभिन्न सामग्रियों का पता चलता है, अनुज्ञेय होगी । इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतका के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।"

11(iii). वर्तमान मामले में, श्री हरक बहादुर जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, मुख्य साक्षी है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई, यद्यपि वह केवल ऐसा व्यक्ति था जो मामले में प्रकाश डाल सकता हो । श्री हरक बहादुर की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन तात्विक रूप से प्रभावित होगा । तथाकथित परिसाक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, अभियुक्त को अभिकथित अपराध से संबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

11(iv). हेतु : जैसा कि अभिलेख पर देखा गया है, वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों का अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नहीं था । निरीक्षक गौरी दत्त शर्मा अभि. सा. 23, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "मेरे अन्वेषण के अनुसार अभियुक्त और मृतक प्रेम नगर के नजदीक घटना के दिन प्रथम बार मिले थे परन्तु मैं यथावत् स्थान के बारे में नहीं बता सकता जहां वे पहली बार मिले । यह सही है कि अभियुक्त व्यक्ति की मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी ।"

11(iv)(क). **कुमार** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 33 और 34 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "33. मामले के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, अभियुक्त का हेतु अपराध करने का रहा है जिस पर गांव के उत्सव में ड्रामा के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में झगड़े के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे । साधारणतया, अभियोजन के मामले में अभियुक्त के हेतु को जानने की इच्छा जाहिर की गई क्योंकि परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली एक अन्य परिस्थिति की भांति है और इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यदि घटना के हेतु की वास्तविकता को साबित नहीं किया गया है, साक्षियों का घटना के बारे में मौखिक परिसाक्ष्य को केवल हेतु के अभाव के आधार पर ही त्यक्त नहीं किया जा सकता । यदि साक्ष्य विश्वास योग्य है । परन्तु वर्तमान मामले में जैसाकि हमने ऊपर के पैराओं में पहले ही चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्षियों का साक्ष्य संतोषजनक नहीं है और दूसरी ओर, यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर चोट मारी थी । प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के बावजूद कि उनके बीच झगड़ा हुआ था । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, निश्चित रूप से दोधारी तलवार का प्रयोग करके हेतु से कार्य किया गया ।

---

[1] (2018) 7 एस. सी. सी. 536.

34. इस प्रकार सुस्थिर विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा और साक्ष्य से जो कुछ भी स्पष्ट हुआ है इसमें अत्यधिक क्रूरता का अभाव है, यद्यपि यह उपधारणा की गई है कि अभियुक्त ने डंडे से मृतक को चोट पहुंचाई । क्या मामले में मृतक के जीवन को छीने जाने का प्रबल हेतु रहा है, साधारणतया, मृतक को अत्यधिक घातक क्षतियां पहुंचाई जानी चाहिए थीं न कि डंडे से परंतु खतरनाक आयुधों का प्रयोग करके । इन परिस्थितियों से हमें यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा ग्राम उत्सव के ड्रामा के दौरान किए गए झगड़े की पृष्ठभूमि में अभियुक्त द्वारा हेतु ग्रहण किया गया था, घटना की तारीख से पूर्व जैसा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए उस आधार को बताता है जिसमें उक्त झगड़े में हेतु का तत्व रहा हो, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल हुआ हो कि इस मामले में हेतु से कोई आधार प्रकट होता हो ।"

11(v). डाक्टर पीयूष कपिल (अभि. सा. 13) के अनुसार गला घोंटने के मृत्यु पूर्व चिन्ह मृतक की गर्दन पर दिखाई देते हैं, जो साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था । उन्होंने मृत्यु पूर्व चोट मृतक पर पाई थी ।

11(v)(क). **लवघानभाई देवीजीभाई वासवा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में 2018 की दांडिक अपील सं. 253 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 जनवरी, 2018 को इस निर्णय का विनिश्चय देते हुए पैरा 7 में उन परिधियों को अधिकथित किया है । जिन्हें इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय विचार में लिया जाता है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 और 304 के अधीन मामला आता है । उक्त पैरा यहां पर पेश करते हुए निम्नलिखित बातें कही गई हैं :-

"7. इस न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य

[1] (2018) 4 एस. सी. सी. 329.

वाले मामले में उन परिधियों को अधिकथित किया है जिन्हें इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय विचार में लिया गया है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 के अन्तर्गत मामला आता है जिस पर निम्नलिखित बातें कही गई हैं –

(क) परिस्थितियां जिसमें घटना घटी ;

(ख) प्रयोग किए गए आयुध की प्रकृति ;

(ग) क्या आयुध लाया गया था या घटनास्थल से उसे लिया गया ;

(घ) क्या शरीर के महत्वपूर्ण भाग को लक्षित करके हमला किया गया था ;

(ङ) प्रयोग किए गए बल की मात्रा ;

(च) क्या मृतक ने अचानक झगड़े में भागीदारी की थी ;

(छ) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी ;

(ज) क्या कोई अचानक प्रकोपन हुआ था ;

(झ) क्या हमला आवेश की तीव्रता में हुआ था ; और

(ञ) क्या व्यक्ति जिसे क्षति कारित की गई । किसी असम्यक् फायदे से की गई थी या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था ।"

11(v)(ख). वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अभियुक्त का मृतक पारस राम की हत्या करने का आशय था । किसी आयुध की बरामदगी नहीं की गई थी । ऐसा कोई कथन नहीं है कि शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किया गया था । किसी पूर्व शत्रुता के बारे में कोई साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त अचानक प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि हमला आवेश की तीव्रता में आकर किया गया था या अभियुक्त के बारे में कोई असम्यक् फायदा लेने के लिए क्षति कारित किया जाना अभिकथित है

या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । यद्यपि, साक्षियों के कथन पर विश्वास किया जाए । इस पर जो कुछ भी ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए । यह है कि यह एकल व्यक्ति का मामला नहीं था या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को पीटा था । इस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि पांच पिए हुए व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था, इन सभी के बीच गुथमगुत्था हुई थी और किसने उस पर क्षति कारित की ; और किसने घातक क्षति पहुंचाई, यह बात आगे नहीं आती है । पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला न तो विश्वसनीय है और न पूर्ण है । इन परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने का साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे होना चाहिए । अप्रतिरोध्य और निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तविक अपराधी है । वर्तमान मामले में हमारी यह राय है कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है । पारिस्थितिक साक्ष्य से विश्वास नहीं मिलता है, श्रृंखला पूरी नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपण करने का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता है । मात्र परिकल्पना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है कि केवल वह व्यक्ति था जिसने अभियुक्त व्यक्तियों में से यह कार्य किया ।

12. उपरोक्त चर्चा और मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में विफल हुआ है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति, नेपाली राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति जो वर्तमान में दंड को भोग रहे हैं, यदि वे किसी अन्य मामले में अभियुक्त नहीं हैं

तो उन्हें अलग-अलग उनके 50,000/- रुपए की राशि के वैयक्तिक बंधपत्र तथा उसी राशि (अलग-अलग) प्रतिभू को विद्वान् विचारण न्यायालय का समाधान होने पर तत्काल निर्मुक्त किया जाता है । इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील फाइल किए जा सकने पर अपील न्यायालय उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करेगा । तथापि, जो बंधपत्र इस तरह दिए जाएंगे, केवल छह माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे । तद्नुसार उन्मुक्ति वारंट तैयार किए जाएंगे । अंतिम रूप से अपीलों का निपटारा किया जाता है तथा यदि कोई लंबित प्रकीर्ण आवेदन है तो उनका भी निपटारा किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 29)

[23 जून, 2005]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "बख्तरबंद कार सेवा" से बख्तरबंद कार के साथ सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समय-समय पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "प्राइवेट सुरक्षा" से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बख्तरबंद कार सेवा की व्यवस्था भी है ;

(छ) "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण" से किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ, सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को शस्त्र सहित या उनके बिना प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है ;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ।

3. नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, उसे ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

4. व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड न रखना या उपलब्ध न कराना – कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तभी करेगा या प्रारंभ करेगा, जब उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर दिया है तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक, ऐसा कारबार करता रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विदेश में प्राइवेट सुरक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना प्रदान नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा ।

5. अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता – इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववत के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ही विचार किया जाएगा ।

6. वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं हैं – (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह, –

(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में किसी अपराध के लिए (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है ; या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से सम्पर्क रखता है जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है यह ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ; या

(घ) अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है ।

7. अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन – (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और धारा 11 के अधीन और पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ –

(क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किंतु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी ; और

(ग) यदि वह संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और संबद्ध पुलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तभी किया जाएगा जब –

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ; और

(ख) वे आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति से इनकार किया जाता है, आदेश में वर्णित किए गए हों ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति –

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता ;

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी ; और

(ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाएं ।

8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण – (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैंतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और

इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर आदेश पारित करेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु इनकार करने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

9. प्रचालन प्रारंभ करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्तें – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा ।

(2) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किए जाएं, देना सुनिश्चित करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियोजित करेगा ।

(4) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा जब वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो ।

(5) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के किसी

पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय उस व्यक्ति को, जिसके पास सेना, नौसेना, वायु सेना, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस, जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड भी हैं, तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, अधिमानता देगा ।

10. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता – (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा, जब –

(क) वह भारत का नागरिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;

(ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समाधान कर दिया हो ;

(घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो ;

(ङ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा करता हो जो विहित किए जाएं ; और

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, किसी व्यक्ति को प्राइवेट

सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दे सकेगा, जिसने निम्नलिखित में किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है :-

(i) सेना ;

(ii) नौसेना ;

(iii) वायु सेना ;

(iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल ;

(v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी है ; और

(vi) होमगार्ड ।

11. अनुज्ञप्ति की शर्तें – (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने के लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में अपेक्षाएं, जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुज्ञप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिनसे अभिकरण बना है, का ब्यौरा नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में और उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध ऐसे किसी दांडिक आरोप के संबंध में दी जाने वाली सूचना की बाध्यता भी है ।

(2) राज्य सरकार धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का नियमों में उपबंध कर सकेगी ।

12. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना – प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति अपने कारबार के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

13. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और निलंबन – (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) कि अनुज्ञप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया है ;

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया है ;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के यहां प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरुपयोग किया है ;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी शीर्षनामा विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न किसी नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ;

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दे रहा है या सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है ;

(छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था ;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में जानबूझकर असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है ;

(झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के अतिक्रमण में है या वह ऐसे किसी आदेश का अतिक्रमण करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है ;

(ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे, अतिक्रमण किया है ;

(ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड :-

(i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे ;

(ii) उन्होंने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके किसी भाग का दुर्विनियोग किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की गई थी ;

(iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाए गए थे ;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाए गए थे ; या

(v) उन्होंने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमति दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था ;

(ठ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के प्रश्न के लंबित

रहते हुए ऐसा करना आवश्यक है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तारित कर दिया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

14. अपील – (1) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इनकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति होगी ।

(3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

15. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा रजिस्टर का रखा जाना – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें –

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं ;

(ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटोग्राफ और वेतन होंगे ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या सेवाएं उपलब्ध कराई हैं ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ।

16. अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण – नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा ।

17. फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने उस गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

18. अप्राधिकृत व्यक्ति को जानकारी का प्रकटन – (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जाए या नियुक्त किया गया है या रखा गया है, नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजक निदेश दे, उस कार्य के संबंध में ऐसे नियोजन के दौरान उसके द्वारा अर्जित कोई जानकारी जो ऐसे नियोजक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को उस अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता देंगे ।

(3) यदि किसी विधि का अतिक्रमण किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जानकारी में आता है तो वह उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को जानकारी देगा ।

19. प्रत्यायोजन – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का, जिसका इस अधिनियम के अधीन, -

(क) उसके द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा, या

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या पालन किया जा सकेगा ।

20. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड – (1) कोई व्यक्ति

जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

21. कतिपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति – यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुसेना, नौसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी के समान हो या उस पर उस वर्दी के सुभिन्न चिह्न लगे हुए हों, तो वह और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

22. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है

या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

23. संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

24. राज्यों द्वारा अंगीकार के लिए आदर्श नियमों की विरचना – केन्द्रीय सरकार, ऐसे सभी या किसी विषय, जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में आदर्श नियम विरचित कर सकेगी और जहां ऐसे आदर्श नियम राज्य सरकार द्वारा विरचित किए जा चुके हैं वहां धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय, यथासाध्य, ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप बनाएगी ।

25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया ; धारा 10 की उपधारा (1)

के खंड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार ; धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शारीरिक मानदंड और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अन्य शर्तें ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(च) अपील करने के लिए धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप ;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 13(1)(ञ) देखिए]

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) ।

(5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) ।

(6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) ।

(8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) ।

(9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in